खण्ड–27, अंक–04
गुरुवार, 03 पौष, शक संवत्, 1931
(24 दिसम्बर, 2009 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2009)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 27 में 04 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	'क'
प्रश्नोत्तर	1–29
जनपद टिहरी के अन्तर्गत विस्थापितों की समस्याओं के सम्बन्ध में विगत सत्र में नियम–54 के अन्तर्गत श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य विधान सभा द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न ...	29–33
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	33
लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण सम्बन्धी प्राविधानों (रोस्टर) को लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर में सिंचाई विभाग द्वारा 58 ट्यूबवैल की स्वीकृति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	34
दरगाह शरीफ पिरान कलियर के हज हाऊस के निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	34
जनपद हरिद्वार में बी0 पी0 एल0 परिवारों के लोगों को विद्युत आपूर्ति हेतु खराब पड़े ट्रांसफार्मर को ठीक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	34–35
राजकीय महाविद्यालय बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के प्राचार्य के निलम्बन तथा उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद हरिद्वार के ग्राम सुल्तानपुर के मोजे मुबारिकपुर में लगे राजकीय नलकूप संख्या–एल0 जी0 1 की हाईटेंशन विद्युत लाईन के सम्बन्ध में	35–36
तहसील चौखुटिया में विगत मई से जून माह के बीच बादल फटने एवं अतिवृष्टि के कारण भूमि कटाव, पेयजल योजनाओं की क्षति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	36

विषय	पृष्ठ–संख्या
अल्मोड़ा के ब्लॉक भैंसियाछाना में आई0 टी0 आई0 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	36
प्रदेश में दोष पूर्ण कार्य संस्कृति के कारण जन समस्याओं के निवारण में जनप्रतिनिधियों को आने वाली कठिनाईयों के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तार्गत सूचना	36–37
उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2009–10) का सप्तम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	37
नियम–310 के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग	37–40
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	40–58
श्री प्रीतम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपराह्न 4:40 बजे एक व्यक्ति द्वारा सदन में प्रवेश किये जाने पर उठाया गया व्यवस्था प्रश्न	58–59
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमांगत)	59–68
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)	68–71
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)	71–73
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)	73–79
"राज्य समन्वय समिति" में विधान सभा में के दो माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	79
उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्दनगर (गैरसैंण) घोषित किये जाने सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा... (चर्चा जारी)	79
प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जन सामान्य को सुविधा प्रदान करने हेतु वर्तमान विकास खण्डों की संख्या बढ़ाते हुए 30 नये विकास खण्डों के निर्माण हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा... (चर्चा जारी)	79–80

विषय	पृष्ठ–संख्या
गढ़वाल विश्वविद्यालय के सम्बद्ध निजी बी0 एड0 में वर्ष 2007–2008 तथा 2008–2009 में कट ऑफ मेरिट से नीचे अंक पाने वाले छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिये जाने से तथा आरक्षित वर्ग के पात्र छात्र–छात्राओं के लिए आरक्षित स्थान सामान्य वर्ग को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन कोटवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या–18 के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत चर्चा	80–87
उत्तराखण्ड में निजी नर्सिंग होम्स में मरीजों के सम्बन्धियों द्वारा चिकित्सकों से दुर्व्यवहार एवं तोड़–फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–17 के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत चर्चा	87–92
नियम–105 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया तक रेलवे लाईन बिछाई जाय ताकि उक्त सुदूर क्षेत्रों का समग्र विकास से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (चर्चा जारी) ...	92–93
विधायक निधि की राशि बढ़ाये जाने की घोषणा	93–94
नियम–105 के अन्तर्गत श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक पर्यटन के नये आयाम तलाशने के सम्बन्ध में चर्चा (चर्चा जारी)	94
नियम–105 के अन्तर्गत डॉ0 हरक सिंह रावत द्वारा उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा (चर्चा जारी)	95–97
सभा मण्डप में घटित घटना पर मार्शल, विधान सभा की रिपोर्ट पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	97–100

विषय	पृष्ठ–संख्या
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	100
उत्तर प्रदेश सचिवालय की भांति उत्तराखण्ड सचिवालय में भी सहायक समीक्षा अधिकारियों के संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान को लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	100–101
राज्य के प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0) जवानों की विभिन्न समस्याओं एवं नया उत्तराखण्ड पी0आर0डी0 एक्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिदास, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	101–102
सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	102–103
राष्ट्रगान	103
नत्थियां	104–114

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अरविन्द पाण्डेय
3—श्री अनिल नौटियाल
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा
6—श्री ओम गोपाल
7—श्री करन मेहरा
8—श्री किशोर उपाध्याय
9—श्री केदार सिंह रावत
10—श्री केदार सिंह फोनिया
11—श्री खजान दास
12—श्री खड़क सिंह बोहरा
13—श्री गगन सिंह
14—श्री गणेश जोशी
15—श्री गोपाल सिंह राणा
16—श्री गोपाल सिंह रावत
17—श्री गोविन्द लाल
18—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20—श्री चन्दन राम दास
21—श्री जोगा राम टम्टा
22—श्री जोत सिंह गुनसोला
23—हाजी तस्लीम अहमद
24—श्री तिलक राज बेहड
25—श्री दिवाकर भट्ट
26—श्री दिवान सिंह
27—श्री नारायण पाल
28—काजी मौ0 निजामुद्दीन
29—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30—श्री प्रकाश पन्त
31—कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
32—श्री प्रीतम सिंह
33—श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
34—श्री प्रेमानन्द महाजन
35—श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36—श्री बलबीर सिंह नेगी
37—श्री बिशन सिंह चुफाल
38—श्री बंशीधर भगत
39—श्री बृज मोहन कोटवाल
40—श्री शेर सिंह
41—मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए0वी0एस0एम0
42—श्री मदन कौशिक
43—श्री मनोज तिवारी
44—श्री मयूख सिंह
45—श्री मातबर सिंह कण्डारी
46—श्री कुलदीप सिंह
47—श्री यशपाल बेनाम
48—चौ0 यशवीर सिंह
49—श्री रणजीत रावत
50—डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''
51—श्री राजकुमार
52—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
53—श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
54—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
55—श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
56—श्रीमती वीना महराना
57—श्री शहजाद
58—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
59—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
60—श्री सुरेन्द्र राकेश
61—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
62—श्री सुरेश चन्द जैन
63—डा0 हरक सिंह रावत
64—श्री हरभजन सिंह चीमा
65—श्री हरिदास
66—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरूवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले विधान सभा सत्र में जो टिहरी बाँध से...

श्री अध्यक्ष–

नत्थी ''क'' अल्पसूचित प्रश्न, माननीय सुरेन्द्र राकेश जी।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, कार्यसूची से सम्बन्धित मामला है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नगर विकास मंत्री जी।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जो आज की कार्यसूची है, उससे संम्बन्धित मामला है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, हमारी नियम–310 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद देख लेंगे। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, आज 5000 लोग सड़क पर हैं। 5000 लोगों पर बुलडोजर चलाया गया है जबरदस्ती। माननीय अध्यक्ष जी, उनका कोई कसूर नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शहजाद–

मान्यवर, आम लोगों को उजाड़ा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, पिछली बार यह तय हुआ था कि टिहरी बाँध से सम्बन्धित जो समस्याएँ हैं, विधान सभा में उन पर चर्चा होगी। मान्यवर, 4 दिन हो गये, बाकी सारी सूचनाँ आयी, लेकिन उसका कहीं नाम नहीं है। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, 125 लोगों के मकान तोड़े गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, 125 लोगों को बेघर कर दिया गया। बहुत ही गम्भीर प्रकरण है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, 125 दुकानों और मकानों को तोड़ा गया है। अगर सरकार लोगों को बसाने के बजाय उजाड़ती रहेगी तो आम जनता का विश्वास सरकार से उठ जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद देख लेंगे। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, आज लोग सड़कों पर हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शहजाद–

मान्यवर, आज उत्तराखण्ड की यह सबसे ज्वलंत समस्या है। (व्यवधान) वहाँ लोगों को उजाड़ दिया गया है। उन्हें बेदखल कर दिया गया। उन्हें सड़कों पर ला दिया गया। (व्यवधान) एक नेता के इशारे पर। (व्यवधान) इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसे नियम–310 में सुना जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, यह बहुत बड़ा जुल्म है। एक नेता के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। 5000 लोग सड़कों पर हैं। (व्यवधान) ये अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। जनता के लिए नहीं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) इसको प्रश्नकाल के बाद देख लेंगे। अभी तो मेरे पास आपकी कोई सूचना ही नहीं आयी है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, सरकार इस पर रिपोर्ट तो मंगवा ले।

श्री अध्यक्ष–

पहले इसको मैं देख तो लूँ। प्रश्नकाल के बाद इसको देख लेंगे। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, यह कार्यसूची से सम्बन्धित है। (व्यवधान) पिछले सदन में आपने कहा था इस पर चर्चा होगी। चार दिन हो गये लेकिन वह कार्यसूची में नहीं है। (व्यवधान) हम टकटकी लगा कर देखते रहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी अपनी बात को कहते–कहते 'वेल' में आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी माननीय सदस्य'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस विषय को दिखवा लेता हूँ, आप कृपया स्थान पर जायें।

(वेल में खड़े माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर वापस चले गये।)

अल्पसूचित प्रश्न

कुम्भ मेले हेतु हरिद्वार में स्थायी निर्माण कार्यों की प्रगति

**श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुम्भ मेला निर्माण कार्यों के अन्तर्गत हरिद्वार में कितने प्रतिशत और कौन–कौन से स्थायी निर्माण कार्य तिथि पर्यन्त पूर्ण हो चुके हैं?

क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

नगर विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

कुम्भ मेला विकास कार्यों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अब तक 72 स्थायी कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं। उक्त कार्यों का पूर्ण विवरण संलग्न † है।

उपरोक्तानुसार।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री जी मेरे सवाल को गौर से नहीं पढ़ पाये। प्रश्न मेरे द्वारा कुछ और किया गया है और उत्तर कुछ और ही दिया गया है। मेरे प्रश्न का उत्तर गलत आया है और मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, चूंकि प्रश्न के उत्तर तैयार करने की प्रक्रिया में सरकार का काफी पैसा खर्च होता है, वह बेकार न जाय। इसलिये मैं आपके माध्यम से पुनः माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कुम्भ मेले के कुल कितने स्थाई कार्यों का कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, उत्तर दिया गया है कि 72 निर्माण कार्यों का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है मेरा मूल प्रश्न यह है कि वहाँ पर कुल कितने स्थाई निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं, उनका कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो मूल प्रश्न है कि आज की तारीख तक कितने प्रतिशत और कौन–कौन से निर्माण कार्य पूरे हो चुके है। टोटल काम 273 हैं, जिसमें से 204 स्थाई कार्य हैं, जब इस प्रश्न का उत्तर दिया था 20 तारीख को, तब तक 72 कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुके थे और तारीख तक 76 कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं। 83 कार्य 31 दिसम्बर तक पूरे हो जायेंगे, इसकी पूरी संभावना है, यह कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो गये हैं। 42 काम मेलावधि तक पूर्ण हो जायेंगे, 2 कार्यों पर माननीय न्यायालय का स्थगन है, एक कार्य ऐसा है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद कार्य प्रारम्भ हो पायेगा। इस प्रकार से 204 स्थाई कार्यों में से 76 कार्य 100 प्रतिशत तथा 83 कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं और 42 मेलावधि के दौरान पूरे होंगे।

---

† (देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 104 पर)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया है कि 204 स्थाई काम निर्माणाधीन हैं। उनमें से 76 पूर्ण हो चुके हैं। 72, जब उत्तर दिया था तब और 76 आज हो गये। उत्तर कौन सी तारीख में दिया था ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 20 तारीख में उत्तर दिया था।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इसमें चार काम और पूरे हो गये। आज तारीख 24 है। चार काम और हो गये। तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि जो 204 काम स्वीकृत हुए थे और जो निर्माणाधीन हैं, ये कब स्वीकृत हुए थे, कब इन पर धनराशि रिलीज की गयी, कब इन पर कार्य प्रारम्भ हुए और कब इनके पूर्ण होने की अंतिम तिथि हैं ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, काँगड़ा मंदिर के निकट (व्यवधान) इन्होंने पूछा कब कार्य शुरू हुए थे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, दुबारा आप फिर सुन लें मेरा सवाल, आप बड़े विद्वान मंत्री हैं, पढ़–लिख कर आते हो, थोड़ा सुन लो, सुनकर सही उत्तर मिल जाय, अपेक्षा रहेगी कि उत्तर सही होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह था आपके माध्यम से पुनः मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि 204 निर्माणाधीन स्थाई कार्य, इनमें से 76 तो पूरे हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, मैं आप से अनुरोध करना चाहूँगा कि जब आप अपनी बात कहते हैं तो शब्दों के चयन का ध्यान रखा करें, सदन की मर्यादा का ध्यान रखें आप।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, 204 स्थाई कामों में कितनी धनराशि कब स्वीकृत हुई, नम्बर–एक। कार्य प्रारम्भ कब किये गये, नम्बर–दो। कार्य पूर्ण कब हो जायेंगे, नम्बर–तीन। ये तीन सवाल हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वही तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। हर काम का अलग–अलग होता है।

आज एक काम, कल दूसरा काम, परसों तीसरा काम। वहीं तो बता रहा हूँ। (व्यवधान) 76 क्या, मैं पूरे का ही बता देता हूँ। (व्यवधान) हरिद्वार में गंगा नहर के बायें किनारे... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, ये काफी विस्तृत हो जायेगा। आप माननीय सदस्य को सूची उपलब्ध करा दें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सूची मैं भेज दूँगा। पढ़ने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, दो–ढाई घंटे भी नहीं लगते। मैं तो पूरी की पूरी उनके पास भिजवा देता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, सूची तो उपलब्ध हो ही जायेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि 204 कार्यों पर कब ये धन स्वीकृत हुआ ? (व्यवधान) कितने धन की स्वीकृत हुई ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, टोटल 223 करोड़ 38 लाख रू० की स्वीकृति हुई, जिसमें 140 करोड़ रूपया अवमुक्त कर दिया गया है। (व्यवधान) सबकी स्वीकृतियों की तिथियाँ अलग–अलग हैं। (व्यवधान) आप दुबार सुनिए, शान्ति से बैठिए। मान्यवर, टोटल 273 काम हैं, परमानेंट काम 204 हैं, 76 आज की तारीख तक पूरे हो गये हैं, 83 काम 31 दिसम्बर तक पूरे होने की पूर्ण संभावना है, 42 काम हमारे ऐसे हैं जो मेला अवधि तक ही पूर्ण हो पाएंगे, दो कामों पर न्यायालय का स्टे आर्डर है, नहीं कराए जाएंगे, एक कार्य सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति के बाद होगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 4 सालों में 76 काम पूरे हुए और एक सौ कुछ कार्य क्या 10 दिन या 15 दिन में, क्योंकि कुम्भ जनवरी में शुरू होता है, शेष कार्य कैसे पूरे हो जायेंगे, इनके पूरे होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। माननीय मंत्री जी उत्तर ठीक प्रकार से नहीं दे रहे हैं, न उत्तर देना चाहते हैं। (व्यवधान) पैसे का दुरूपयोग किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि कुम्भ मेला क्षेत्र में मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नरेन्द्र नगर में ढालवाला

14 बीघा भी आता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो आपके शेष बचे कार्य हैं। कुम्भ सिर पर है, उन कार्यों को तो इसमें स्वीकृति ही प्रदान नहीं की गई है, जबकि हरिद्वार क अन्दर जितने तीर्थ यात्री आते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ढालवाला के बारे में तो उस दिन बात हो तो गई थी, दोबारा प्रश्न कैसे आ गया। माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि हम उसमें इनक्लूड कर लेंगे।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, एक जी0ओ0 कल ही मिला है, उसके लिए माननीय सदस्य ने मुझे बधाई भी दी थी।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मैं सरकार को भी और माननीय मंत्री जी को भी पुनः विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, लेकिन साथ में जो ढालवाला में ड्रेन कवरिंग का मामला है, उसकी पूरी गंदगी नदी में जा रही है और कैलाश गेट में जो पुल बनना था, उसका पूर्व मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर गये, लेकिन सरकार धोखेबाज निकली। इसका पैसा पी0डब्लू0डी0 देगा या कोई और देगा, यह तय नहीं किया गया। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, प्रश्न पूछिये कोई भाषण नहीं हो रहा है।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, इसका उद्घाटन माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने किया, अभी वहाँ पर शिलापट्ट लगा हुआ है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ उद्घाटन तब होता है जब कार्य पूर्ण हो जाता है।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, शिलान्यास किया हुआ है। लेकिन अभी तक उस पैसे को पी0डब्लू0डी0 देगा या कुम्भ मेले से वह धनराशि आयेगी, यह तय नहीं हुआ। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ओम गोपाल जी मेरे कक्ष में कल कह रहे थे कि माननीय अध्यक्ष जी वैसे तो मुझे देखते नहीं हैं, जब मैं चश्मा पहन लेता हूँ तो मैं डान लगता हूँ तब अध्यक्ष जी की नजर मुझ पर पड़ती है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह बात मेरे सामने की है।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो कैलाश गेट का पुल था उसका रिवाइज स्टीमेट भी आ चुका है, परन्तु कुम्भ मेले से वहाँ पर दो–दो अस्थाई पुल लगे। जितनी लागत से वह अस्थायी पुल लगे, उतने ही पैसे में वहाँ पर स्थाई पुल बन सकता था। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कैलाश गेट के लिए आप कब धनराशि अवमुक्त करवायेंगे? और ढालवाला ड्रेन कवरिंग का जो मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसका परीक्षण करवा लेता हूँ। जैसा होगा अवगत करा देंगे।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, एक चन्द्रभागा के बायीं ओर बन रहा है क्योंकि वहाँ पर मेन रोड बन्द हो जाती है, पूरी गाड़ियों को ढालवाला की तरफ डायवर्जन कर देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओम गोपाल जी, आपकी बात आ गई है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

जवाब भी आ गया है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए एक अल्टरनेट बाइपास, जो नेशनल हाईवे–58 से पुरकाजी से होकर हरिद्वार जाता है, पिछले अर्द्धकुम्भ में लक्सर खानपुर बढ़ेवाला मार्ग का निर्माण किया गया था।

श्री अध्यक्ष–

क्या यह कुम्भ कार्य में सम्मिलित है, वर्तमान मे सम्मिलित किया गया है?

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं किया गया है तो बात खत्म हो गई।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री ने अपने उत्तर भाषण में कहा कि 72 अस्थाई कार्य किये गये हैं, जिसका विवरण आपने संलग्न किया है। मैं समझ नहीं पाया कि........

मान्यवर, काई हटाना भी स्थाई निर्माण में आता है। काई तो आज हटायेंगे, कल फिर लग जायेगी। आपने अपने उत्तर भाषण में संलग्न किया है कि चैन लगाना और काई हटाना।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, काई हटाने में भी धनराशि खर्च हुई होगी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, स्थाई निर्माण की परिभाषा क्या है? आपने रंगाई, पुताई को भी स्थाई निर्माण में जोड़ दिया है। घाट का जीर्णोद्धार भी स्थाई निर्माण में है?

नवनिर्माण तो नहीं हुआ है न, किसी चीज का जीर्णोद्धार हुआ है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, घाट का जीर्णोद्धार तो स्थाई निर्माण का कार्य हुआ। क्योंकि अस्थाई निर्माण तो वह हुआ जब कुम्भ समाप्त हो जायेगा तो अस्थाई निर्माण कार्यों को हटा दिया जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

ठीक है। माननीय मंत्री जी से मैं सहमत हूँ कि काई हटाना भी स्थाई निर्माण में है। इसको भी स्थाई निर्माण की मद में जोड़ रखा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, किस नम्बर में है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, 21 नम्बर पर लिखा हुआ है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, चैन लगाना और काई हटाना यह 2.00 लाख रूपये का काम है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अगर यह सरकार कुम्भ के कार्यों में काई को हटाना भी स्थाई निर्माण में गिना रही है, तो इस सरकार का इससे सीधा–सीधा पता चलता है कि कुम्भ मेले में जो पैसा भारत सरकार से मिला है, किस तरह से यह सरकार उसकी बंदरबांट कर रही है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, जो टैण्डर कुम्भ के स्थाई/अस्थाई कार्यों के हुए, उन कार्यों की स्वीकृत राशि के सापेक्ष जो टैण्डर मंजूर हुए उसका औसतन प्रतिशत क्या था?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, औसतन प्रतिशत निकाला जाना तो इस समय सम्भव नहीं है। लेकिन मैं एक–एक का अलग–अलग करके बता देता हूँ कि कितने के टैण्डर हुए, क्या हुआ।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मोटे तौर से बता दें कि कितने 100 प्रतिशत में हुए, कितने 200 प्रतिशत में हुए। आपकी कितनी धनराशि स्वीकृत हुई, कितने टैण्डर हुए यह बता दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपस में बहस मत करें। माननीय सिंघल जी, आप प्रश्न करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मान्यवर, एक काम स्वीकृत हुआ, उसका टैण्डर हुआ। वह टैण्डर पाँच रूपये कम में गया या 10 रूपये कम में गया। प्रत्येक का औसत निकाला जाना सम्भव भी नहीं है, अलग–अलग करके हर कार्य का, कितने की स्वीकृति हुई, किस तारीख में हुई, ब्यौरा सदस्य चाहें तो उपलब्ध करा दूँगा, नहीं तो मैं पढ़ कर एक–एक बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

पढ़कर एक–एक करके मत बताइये। मोटे तौर पर बता दें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय मंत्री जी से जो भी पूछते हैं, वे कह देते हैं पढ़कर बता रहा हूँ। जानकारी इनके पास कुछ है नहीं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पढ़कर ही तो बताना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

आपको उपलब्ध करा देते हैं, पढ़ आप लीजिए। मान्यवर, सूची उपलब्ध करा दीजिए, पढ़ अपने आप लेंगे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बिना टैण्डर के भी कोई काम हुए हैं। बिना टैण्डर के कितने कार्य किये गये हैं? उसकी धनराशि कितनी है?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, निश्चित रूप से किये हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, अभी इक्जैक्ट तो नहीं बता पाऊँगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड नहर, रूडकी को हमने 8 काम दिये थे। वह 7 करोड़ 45 लाख 64 हजार रूपये के दिये थे। 4 करोड़ 59 लाख 13 हजार अवमुक्त किये गये थे। यह सारे काम हम बहुत पहले दे चुके हैं।

मान्यवर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यह हमारी भूमि है, हम काम उत्तराखण्ड को इस पर नहीं करने देंगे। यह पैसा हमने उनको दिया था। उन्होंने इस काम को बिना टैण्डर के शुरू किया। इस काम पर हमने जॉंच बैठायी और कमिश्नर को जॉंच अधिकारी बनाया गया, उन्होंने सहयोग नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार को कमिश्नर के द्वारा लिखा गया और शासन को भी अवगत कराया गया कि अभी वह सहयोग नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का टोटल पेमेंट रोक दिया गया और कमिश्नर की जॉंच प्राप्त होते ही उनके खिलाफ अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इसके अलावा भी कोई कार्य हुए हैं?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसके अलावा कोई भी कार्य नहीं हुए हैं।

श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, वैसे तो रूड़की के साथ हमेशा अन्याय होता रहा है (व्यवधान)।

मान्यवर, इस क्षेत्र को भी कुम्भ मेला क्षेत्र में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी आप जो–जो सड़कें गिना रहे हैं। मेरे संज्ञान में यह नहीं है कि आपने कौन–कौन सी सड़कें दी हैं और रूड़की क्षेत्र के लिए आप क्या–क्या दे रहे हैं। वहॉं पर सीवरेज की व्यवस्था खराब, पेयजल की व्यवस्था खराब बाकी सड़कों की व्यवस्था खराब (व्यवधान)(शेम–शेम) (थप–थपाहट) वहॉं पर कोई नये रास्ते नहीं बन रहे हैं, कोई सौन्दर्यीकरण नहीं हो रहा है। (व्यवधान) मैं। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रूड़की के लिए क्या–क्या काम की व्यवस्था की गयी है, इस सदन में बताना चाहें?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मुझे सदन को यह बात बताने में प्रसन्नता हो रही है कि माननीय विधायक जी के लिए 15 करोड़ रूपये दे रखे हैं कि वे जो–जो सड़कें देंगे, उनका प्रस्ताव दे दें, हम उनको प्रस्तावित कर देंगे। (घोर व्यवधान के मध्य) (सभी माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी बात, अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार द्वारा माननीय विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

(डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आ गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहादराबाद क्षेत्र में 14 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी, कृपया आप अपनी बात मत करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा, जब माननीय विधायक, रूड़की ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को कुम्भ क्षेत्र में सम्मिलित करने की बात उठाई, उनके क्षेत्र को कुम्भ क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया और काम नहीं हुआ तो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है और गर्व हो रहा है कि रूड़की में भी 15 करोड़ रू0 के काम स्वीकृत हुए हैं, इसमें माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष का कोई विरोध नहीं है। हमारी आपत्ति किस बात पर है कि अभी जब माननीय शहजाद जी को माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे कि बहादराबाद विधान सभा क्षेत्र में भी 14 करोड़ की स्वीकृतियाँ हैं, वहाँ उन्होंने विधान सभा क्षेत्र की बात कही, अब अन्तर

क्या है, जब रुड़की की बात की, तब यह कहा कि माननीय विधायक जी के विवेक पर और भी आगे कहा आपने कि जो सड़कें विधायक जी लिख कर देंगे, जो विधायक जी तय करेंगे, उसको स्वीकार कर लिया जायेगा और जबकि माननीय शहजाद जी के क्षेत्र में जब आपने उल्लेख किया, उत्तर में तो यह कहा कि विधान सभा क्षेत्र में 14 करोड़ की स्वीकृतियाँ दी गयी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह तो विपक्ष के विधायक और सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार है, वही व्यवहार हमारे साथ क्यों नहीं किया जा रहा है, वही व्यवहार विपक्ष के माननीय विधायकों के साथ क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बताया, तो मैंने कहा कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" के क्षेत्र में भी स्वीकृति है, कुछ इनके क्षेत्र में दी है जो जरूरी थी। (घोर व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, कुछ नहीं दिया है।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे और भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आप क्या चाहते हैं, माननीय शहजाद जी, अपने स्थान से प्रश्न करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये और भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ गये।) (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, एकरूपता और एक समान व्यवहार कैसे आए, एकरूपता होनी चाहिए। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय विधायक, बहादराबाद यहाँ बैठे हैं, आपने कुम्भ मेले में बहादराबाद में पानी की समस्या से अवगत कराया तो पानी की स्वीकृति भी दी। (घोर व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी गलत कर रहे हैं। (घोर व्यवधान)

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के पैसे का दुरूपयोग किया जा रहा है। (घोर व्यवधान)

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, विपक्ष द्वारा गलत आँकड़ा पेश किया जा रहा है, जब बैठक होती है तब ये आते नहीं हैं। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओम गोपाल जी, कृपया बैठ जायें। माननीय मंत्री जी, जो कुम्भ क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र हैं, जिसमें काम होने हैं और काम हो रहा है, कृपया उन क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठकर सारी योजनाएँ एक बार फिर देख लें। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, क्षेत्र के सारे विधायकों के साथ, नगर पालिका, नगर पंचायत जितने प्रतिनिधि हैं, सभी के साथ बैठक हुई, कुम्भ क्षेत्र में मेला अधिकारी, कमीश्नर, गढ़वाल मण्डल ने कुम्भ से सम्बन्धित जो प्रस्ताव आये वो सारे प्रस्ताव हमने स्वीकार किये, यही प्रोसीजर है, हम यही कह रहे हैं। (घोर व्यवधान)

श्री हरिदास–

माननीय, रूड़की क्षेत्र को 14 करोड़ रुपये दिये, सब कुछ अपने विवेक से कर रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेला अधिकारी द्वारा कुम्भ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नगर पालिका के (घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के इसी कथन पर मुझे आपत्ति है, बार–बार माननीय मंत्री जी कह रहे हैं विधायकों को, चेयरमैन को। हम यह कह रहे हैं जिस तरीके से आपने रूड़की के माननीय विधायक कहा तो आप बहादराबाद क्यों कह रहे हैं। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, फिर माननीय मंत्री जी, यहाँ धमका रहे हैं। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कुम्भ मेले में हमारा भी सहयोग है। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 12:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 12 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे साथ कुम्भ कार्यों में और अनेक कार्यों में भेदभाव हो रहा है। हरिद्वार में दो साल से राज्य योजना का एक नया पैसा नहीं मिला है। जिला योजना का पैसा रिलीज नहीं हुआ है। कुम्भ में हमारी एक भी संस्तुति नहीं ली गयी है। जो हमने संस्तुति करके भेजा भी है, उस पर पैसा जारी नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है ?

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, कुम्भ का ठेकेदार केवल हरिद्वार ही बनेगा या हम लोग भी हैं? हम लोगों की भी सुन ली जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं उसका परीक्षण करा लेता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। 4 विधायक सत्ता पक्ष के और 4 विधायक विपक्ष के हैं, सबका सम्मान बनाये रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। माननीय मंत्री जी, कृपया इस बात को दिखवा लीजिए कि जिस–जिस क्षेत्र में कुम्भ के जो कार्य स्वीकृत हुए हैं या लम्बित हैं, उनमें सम्मानित विधायकों के साथ बैठकर उनका परीक्षण करा लीजिए।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है। (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी एक पीड़ा है।

श्री अध्यक्ष–

आप भी बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, भारत सरकार द्वारा जो धन दिया गया है।........

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, एक मिनट, सारा हरिद्वार ही थोड़ी है।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आप कौन हैं यह कहने वाले कि हरिद्वार ही है? आप क्यों इस बात में टाँग अड़ा रहे हैं? जो कहेंगे माननीय अध्यक्ष जी कहेंगे। (व्यवधान) आप उधर बात कीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, आप इधर बात कीजिए। आप उधर क्यों देखते हैं?

(व्यवधान) इधर देख कर बात करिये। (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी खुशी का विषय है कि बड़े लम्बे समय के बाद हरिद्वार को कुम्भ मेला आयोजन का अवसर मिला है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कुम्भ क्षेत्र कहा है, कुम्भ मेला नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, कुम्भ में जितना भी पैसा लग रहा है, उसका क्षेत्र सिर्फ हरिद्वार तक सीमित कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, असलियत यह है कि जितना कुम्भ कार्य हो रहा है, उसके लिए जितना पत्थर आ रहा है, सारा ऊधमसिंह नगर से आ रहा है। सारी नदियाँ हमारी उस गंगा में पड़ती हैं, जिस गंगा में पर्व होना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

न मेरा न तुम्हारा। सब प्रदेश का है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि वहाँ से सारा पत्थर आ रहा है। वहाँ की सारी सड़कें टूट गयी हैं। (व्यवधान) हम चाहते हैं कि कुम्भ क्षेत्र का जो पैसा है, उन सड़कों के निर्माण में भी उसमें से कुछ लगवा दीजिए। (व्यवधान) हम लोगों ने भी कुम्भ मेले में स्नान करने के लिए आना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय चीमा जी की बात का भी ध्यान रखिए। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, मंत्री जी ने बैठकर यह कहा है कि एक पैसा नहीं दूँगा। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

नहीं ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री जी ऐसा नहीं कह सकते। हमारे मंत्री जी बड़े विशाल ह्रदय के हैं, ऐसी बात नहीं कह सकते।

श्री हरिदास–

मान्यवर, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरिदास जी, बात आ गयी है। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, जो 400 करोड़ रूपये कुम्भ मेले के लिए केन्द्र सरकार से मिले हैं, उसमें से 19 प्रतिशत का कोटा, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये दे रखा है। उस पैसे से उनकी योजनाओं के लिये या उनके क्षेत्र में कार्य किये जायेंगे, क्योंकि जहाँ से भी कुम्भ में एन्ट्री करते हैं, तो उन गाँवों में पैसा लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, ज्वालापुर के गाँवों में पैसा लगाया गया है या नहीं?

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर माननीय मंत्री जी आप लोगों के साथ अलग से बैठक करने वाले हैं, उस समय आप इस बात को रख लीजियेगा।

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

वर्ष 2008–09 मे टी0डी0सी0 द्वारा गेहूँ बीजों की क्रय–विक्रय स्थिति

*1–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2008–09 में अब तक टी0डी0सी0 द्वारा कितना एवं उसके सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2008 तक कितने बीज की बिक्री हुई तथा दिनांक 10 जनवरी, 2009 के पश्चात कितनी बिक्री हुई?

कृषि एवं पशुपालन (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

वर्ष, 2008–09 में टी0डी0सी0 द्वारा 5,03,870.77 कु0 गेहूँ बीज क्रय किया गया।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 तक कुल 3,49,583.00 कु0 तथा दिनांक 10 जनवरी, 2009 के पश्चात 18,796.80 कु0 बीज की बिक्री हुई।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि टी0डी0सी0 द्वारा लगभग 5 लाख क्विंटल गेहूँ की खरीद हुई थी और तीन लाख सत्तर हजार क्विंटल की बिक्री हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि टी0डी0सी0 द्वारा गेहूँ के बीज उत्पादन की औसत उत्पाद लागत क्या है और प्रति क्विंटल उत्पाद लागत क्या है? इसके साथ ही जो 1 लाख 35 हजार क्विंटल गेहूँ, जो बीज की बिक्री के बाद बचा, उसकी औसत बिक्री का क्या रेट रहा? इस पर कुल लाभ या हानि क्या रही और यदि इसमें हानि रही तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या सरकार टी0डी0सी0 के कर्मचारियों और अधिकारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर विचार कर रही है?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो सवाल किये हैं, उसमें छठे वेतनमान की जो बात आपने कही है, वह विचाराधीन है और मैं समझता हूँ कि सकारात्मक रहना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह तो दिया है कि विचाराधीन है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जो दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि दिनाँक 10–01–2009 से 16 जनवरी तक, हमने जो बीज विक्रय किया, उसमें जो असंशोधित है, वह 1101 रूपये 90 पैसे से 1102 रूपये 90 पैसे के बीच में इसे बेचा गया। जो संशोधित था, ट्रिटेड था, वह 850 से 905 रूपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा गया। जो बीज हमने

बेचा, उसमें हमको 2 करोड़ 13 लाख रूपये का लाभ हुआ और जो नुकसान हुआ, वह 383.10 लाख रूपये का हुआ। इस तरह से जो हमें नेट लॉस हुआ है, वह एक करोड़, 70 लाख और दस हजार रूपये का हुआ है।

श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक करोड़, 70 लाख और दस हजार रूपये का नुकसान इस वर्ष में हुआ है। इससे पहले भी टी0डी0सी0 कभी नुकसान में गया है या मात्र इसी साल नुकसान हुआ है और जो यह नुकसान हुआ है, उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है तो पहले वर्ष में हम फायदे में रहे हैं, इस वर्ष भी हम फायदे में हैं, पिछले वर्ष हमको नुकसान हुआ है। उसका कारण यह है कि बोर्ड ने जो निर्णय लिया कि इतना बीज का हमने लक्ष्य निर्धारित किया गया, वह लक्ष्य वास्तव में वास्तविक माँग से अधिक का रखा गया और इस कारण हमको उसमें नुकसान हुआ है। आगे से हमने यह तय किया है कि हम पूर्व अनुमान के आधार पर और जो पिछले वर्ष का हमारा नुकसान या लाभ हुआ है या डिमांड रही है, माँग के आधार पर हम आगे से बीज की खरीद करेंगे, ये हमने निश्चय किया है और इस वर्ष इसका परिणाम यह रहा कि इस वर्ष जितनी माँग हमारी थी, उतना बीज हमने खरीदा है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या आज की तारीख में आप यह मान सकते हैं कि माँग के अनुरूप आपके यहाँ (व्यवधान) क्या बीज की डिमांड बंद हो गयी ? क्या बीज की खरीद–फरोख्त बंद हो गयी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, अभी नहीं। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आपने फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर दिया।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, अभी तो बीज बिक रहा है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आप कैसे कह रहे हैं इस साल हमारे पास नहीं है? (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष हम नुकसान में नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब तक की बात कर रहे हैं ना।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माँग हमने ले ली हैं। हमारा जो मुख्य मार्केट हैं, बिहार में है, हमारी जो टी0डी0सी0 की मार्केट है, वो बिहार में है, उनसे हमने पहले डिमांड ले ली और उसके आधार पर उनको पूर्ति हो रही है। हमको मात्र केवल जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लिए हमारे पास बीज की थोड़ी कमी हुई है, उसको हम नैफेड से खरीद रहे हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वर्ष, 2008–09 में 5 लाख 3 हजार 877 कुन्तल गेहूँ खरीदा गया और विक्रय हुआ 3 लाख 49 हजार 593 कुन्तल और उसके बाद 18 हजार 796 कुन्तल तो जो 01 लाख 35 हजार 481 कुन्तल गेहूँ है मान्यवर, उसका टी0डी0सी0 ने क्या किया मान्यवर, इसके बारे में कुछ बताने का कष्ट करेंगे?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, उसको नीलाम किया गया। समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन दिया गया। (व्यवधान) मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बीज बच गया, इसके लिए दैनिक जागरण, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और बिहार, अमर उजाला, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश संस्करण, पायनियर अंग्रेजी, लखनऊ संस्करण और टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली संस्करण, इन चार समाचार पत्रों में इसके लिए विज्ञापित किया गया नीलामी के लिए और उस आधार पर इसकी नीलामी हुई हैं और मैंने बताया कि इसका जो हमको मूल्य मिला है, मैं पहले बता चुका हूँ, वैसे दुबारा बताना चाहता हूँ, इसमें जो असंशोधित बीज था, जो अनट्रीटेड था, वो 1101 रूपया 90 पैसे से लेकर 1102 रूपये 90 पैसे तक प्रति कुन्तल की दर से बिका है और जो संशोधित था, ट्रीटेड था, वो 850 रूपये से लेकर 905 रूपये प्रति कुन्तल की दर से विक्रय हुआ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो पाया? (व्यवधान) जो आप असंशोधित कह रहे हैं, गेहूँ ले करके टी0डी0सी0 ने उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? आप खुद कह रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में हम बीज नहीं दे पाये।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, ये उस वर्ष की बात नहीं हैं, ये इस वर्ष की बात है। दे नहीं पाये, उसकी व्यवस्था हमको बाहर से करनी पड़ी क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र का जो बीज है, जो पहाड़ी क्षेत्र में होता है, वो यहाँ पर उतना पैदा नहीं हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 10 जनवरी तक जो कुल 368 कुन्तल बीज बेचा गया, उसमें से कितना बीज हमारे प्रदेश में बेचा गया और कितना बाहर गया?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य को 2606 और उत्तर प्रदेश को 39439 और बिहार और झारखण्ड को 215939 कुन्तल।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि यह विचार किया गया कि जो माँग होगी, उतना गेहूँ खरीदा जायेगा बीज के लिए, तो क्या उस वर्ष जो गेहूँ खरीदा गया, बिना माँग को देखकर खरीदा गया? दूसरी बात यह है कि क्या इस बार टी0डी0सी0 जो बाजार में माँग थी, उसकी पूर्ति कर पायी या नहीं कर पायी?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं पहले बता चुका हूँ कि इस समय हमारा जो टोटल बीज है, वह बिक चुका है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास डिमान्ड थी, इसमें 100 प्रतिशत हमारी बिक्री हो चुकी है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों से जो बीज क्रय किया जा रहा है, वह किस रेट पर क्रय किया जा रहा है और किस रेट पर इसको बाजार में बेचा जा रहा है, तीसरा जो बोनस किसानों को दिया जाता है, क्या उसको बढ़ाने पर सरकार कोई विचार कर रही है और कितना बोनस दिया जा रहा है?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, बोनस तो लाभ के आधार पर दिया जा रहा है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इस समय क्या रेट खरीद रहे हैं और क्या रेट बेच रहे हैं?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इस समय जो औसत लागत है, वह 1230 रुपया कुन्तल है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, बेचा किस रेट जा रहा है, यही तो जानकारी चाहिए थी कि कितना लाभ हो रहा है और बोनस कितना देंगे? किसानों के बोनस की बात तो आई नहीं है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने कहा बोनस लाभ के आधार पर दिया जाता है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, टी0डी0सी0 किस रेट पर बेच रही है?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, तीन जोन हैं, इनमें अलग–अलग दरें हैं, मैंने पहले भी बताया था कि उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और बिहार ये तीन जोन हैं और 2080 उत्तर प्रदेश में जा रहा है, ये इसका मूल्य है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जो बीज उत्तर प्रदेश के बाहर जा रहा है, जो शेयर होल्डर यू0पी0 के बाहर के हैं, जबकि राज्य अलग बन गया है, इसका बंटवारा हो गया, आज भी शेयर होल्डर बाहर के हैं। जो वहाँ से चुन कर आते हैं, वह गेहूँ के माफिया के रूप में काम करते हैं। आप उठा कर देख लें पिछली बार भी गेहूँ उत्तर प्रदेश से वापस लाकर आटा मिलों को दिया गया था। इसमें बहुत भारी गोलमाल हुआ है। क्या इन शेयर होल्डरों को अलग किया जायेगा जो यू0पी0 में छोड़ दिये गये थे, जिनका बंटवारा हो चुका?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उस पर विचार कर लेंगे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जो पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए उपाय किये गये हैं, उन उपायों से क्या प्रभाव पड़ता है?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जिन तत्वों की कमी है वह नाइट्रोजन 2 से 3 होना चाहिए, हरिद्वार में दो हैं, फासफोरस 01 से 02 होना चाहिए यह हरिद्वार में 02 है और पोटास 02 से 03 होना चाहिए, यह हरिद्वार में 02 है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

नोट :– स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

तारांकित प्रश्न

जनपद हरिद्वार में कृषि योग्य भूमि में पोषक तत्वों की कमी तथा निवारण के उपाय

*1–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में कृषि योग्य भूमि की मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो गयी है?

क्या यह सत्य है कि पोषक तत्वों की कमी के कारण कृषि उत्पादन में इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए कोई उपाय कर रही है?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ, मृदा में पोषक तत्वों की कमी है।

जनपद हरिद्वार में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है।

पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

1–मृदा नमूनों का परीक्षण कराकर कृषकों को परीक्षण के आधार पर प्राप्त परिणाम के अनुसार सन्तुलित उर्वरकों के प्रयोग की सलाह दी गयी।

2–कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण किया गया।

3–कृषकों को हरी खाद तैयार करने हेतु 50 प्रतिशत हेतु अनुदान पर ढैंचे का बीज उपलब्ध कराया गया।

4–कृषकों को कम्पोस्ट खाद निर्माण हेतु बर्मी कम्पोस्ट एवं नाडेप कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

5–कृषकों को विभिन्न गोष्ठियों, मेलों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सन्तुलित उर्वरक प्रयोग करने हेतु सलाह दी जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में 17 वीं पशुगणना (दुधारू पशु) के सापेक्ष 18 वीं पशुगणना में हुई वृद्धि

*2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में पालतू पशुओं (दुधारू पशुओं) की 17 वीं पशुगणना के सापेक्ष 18 वीं पशुगणना में दुधारू पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतीराज अधिनियम बनाने पर विचार

*3–श्री प्रीतम सिंह–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार पंचायती राज अधिनियम बनाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त अधिनियम बना लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज मंत्री एवं कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

*4–श्री मयूख सिंह–

एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के आधार पर निरस्त।

स्थगित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में त्रि–स्तरीय पंचायतों की बैठकों में अपेक्षित अधिकारी/कर्मचारी का स्तर तथा अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

1–श्री प्रीतम सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की बैठकों में किस स्तर तक के अधिकारी/कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं?

क्या अधिकारी/कर्मचारी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की बैठकों में सुचारू रूप से हिस्सा लेते हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है?

यदि हाँ, तो क्यों?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय, क्षेत्र पंचायत स्तरीय तथा ग्राम्य पंचायत स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी उक्त पंचायत बैठकों में प्रतिभाग कर सकते हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी हाँ।

शासनादेश संख्या– 66/ग्राम विकास/दिनाँक 13–04–2000, शासनादेश संख्या–448/दिनाँक 26 अगस्त, 2003 तथा शासनादेश संख्या– 20–II/XII/05/86(35)/2004, दिनाँक 28–03–2005 द्वारा जिलाधिकारियों को पंचायत स्तरों पर आहूत बैठकों में रोस्टर निर्धारित करते हुए उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने तथा अनुपस्थित पाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर चेतावनी देते हुए अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के कड़े निर्देश दिये गये हैं। अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही सलंग्न † है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

बेहड़ाखाल के समीप 5 किमी० की परिधि में गाँवों में पशुधन की वास्तविक संख्या

1–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पशुपालन मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या–20 के उत्तर में बहेड़ाखाल के समीप 5 किमी० के परिधि में पड़ने वाले गाँवों में पशुधन की संख्या 1669 बताई गई है तथा द्वितीय सत्र, 2009 के अतारांकित प्रश्न संख्या–17 के उत्तर में बहेड़ाखाल के समीप, 5 किमी० की परिधि में पड़ने वालों गाँवों में पशुधन की संख्या 3088 बताई गई है?

यदि हाँ, तो बहेड़ाखाल के समीप 5 किमी० परिधि के अन्तर्गत पड़ने वाले गाँवों तथा पशुधन संख्या में व्यापक अन्तर होने का कारण क्या है और गलत सूचना/उत्तर देने के प्रति कौन उत्तरदायी है?

उक्त पशुधन गणना कब और किस–किस अधिकारी द्वारा किसकी उपस्थिति में कार्रवाई की गई है तथा बहेड़ाखाल से 5 किमी० पैदल परिधि के अन्तर्गत पड़ने वाले गाँवों के नाम तथा पशुधन की वास्तविक गणना क्या है?

† (देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 113 पर)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

बेहड़खाल के समीप 05 किमी० के स्थान पर पूर्व में 08 किमी० के परिधि के गाँवों की पशुधन संख्या 3088 गणना कर अंकित की गई है, जिसके कारण पशुधन संख्या में व्यापक अन्तर आया है। उक्त सूचना के लिए गणना करने वाले सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारीगण उत्तरदायी हैं।

उक्त गणना अगस्त, 2007 तथा जनवरी, 2009 में मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी द्वारा सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारीगण से कराई गई। वर्तमान में पशुगणना सम्बन्धित क्षेत्र के अन्वेषक कम संगणक, संख्या सहायक एवं क्षेत्रीय निरीक्षक से दिनाँक 19.11.2009 से 26.11.2009 के मध्य करायी गयी। पशुधन गणना के अनुसार बहेड़ाखाल से 05 किमी० पैदल परिधि के अन्तर्गत पड़ने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या 17 तथा पशुधन संख्या 1957 है।

गाँवों के नाम व पशुधन संख्या निम्नवत् हैः–

1.	बहेड़ा	–	70
2.	बहेड़ाखाल बाजार	–	70
3.	रिगुंड	–	124
4.	चौपड़ी	–	79
5.	मुलगढ़	–	14
6.	खाण्डा	–	105
7.	पैडुल	–	87
8.	नवाड़ी	–	58
9.	जग्सारी	–	139
10.	मण्डालू	–	151
11.	कोटा	–	7
12.	कुनकुली	–	138
13.	मटकोटी	–	202
14.	जखनौली	–	106
15.	दयूसा	–	374
16.	महादेवसैंण	–	56
17.	ग्वाड़ी	–	177
	कुल योग		1957

उपरोक्त राजस्व ग्रामों यथा जखनौली, पैडूल के चौण्डली, कुण्ड, डंगलधार तोक एवं मजरे होने के कारण उनकी पशुगणना उक्त राजस्व ग्रामों में सम्मिलित है।

जनपद अल्मोड़ा में पशुपालन विभाग के मैंसोड़ा फार्म के वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

2–श्री मनोज तिवारी–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पशुपालन विभाग मैंसोड़ा फार्म अल्मोड़ा में 15–20 वर्षों से कार्य कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

सचिव, कर्नाटक बनाम उमा देवी वाद में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 10.04.2006 के आलोक में राज्य के विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा एवं तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों विधिक, वित्तीय, व्यवहारिक एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करके अध्यक्षता देने हेतु मा0 पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में मा0 मंत्रिमण्डल की उप समिति गठित की गई है। उप समिति की संस्तुतियों के अनुरूप ही विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ की जिला जेल का निर्माण कार्य रूकने का कारण तथा कुल व्यय धन

3–श्री मयूख सिंह–

क्या कारागार मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ में बन रही जिला जेल का निर्माण कार्य किन कारणों से बन्द है?

तथा अब तक निर्माण कार्य में कुल कितना धन खर्च किया गया है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त कार्य को पूर्ण करने में और कितने धन की आवश्यकता होगी?

एवं उक्त कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

वित्तीय वर्ष, 2009–10 में कारागार विभाग के निर्माण कार्यों हेतु परिव्यय की स्वीकृति न होने के कारण संप्रति जिला जेल पिथौरागढ़ का निर्माण कार्य रुका है।

अब तक निर्माण कार्य में कुल रू0–1,50,00000/– की धनराशि व्यय हो चुकी है।

स्वीकृत कार्य को पूर्ण करने हेतु धनराशि रू0–2,57,40,000/– की और आवश्यकता है।

संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित होगा।

टी0डी0सी0 की वर्ष, 2007–08 व 2008–09 में शुद्ध लाभ की स्थिति

4–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टी0डी0सी0 की वर्ष, 2007–08 व 2008–09 में ब्याज एवं ह्रास से पहले पूर्ण शुद्ध लाभ की क्या स्थिति थी और वर्ष, 2008–09 की स्थिति क्या है?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

टी0डी0सी0 की वित्तीय वर्ष, 2007–08 व 2008–09 में ब्याज एवं ह्रास से पहले पूर्ण शुद्ध लाभ की स्थिति निम्नवत् थी:–

वित्तीय वर्ष	पूर्ण शुद्ध लाभ
2007–08	रू0 284.25 लाख
2008–09	रू0 42.52 लाख

ऊधमसिंह नगर के तहसील खटीमा स्थित नदी से कृषि योग्य भूमि का कटाव एवं रोकने के उपाय

5–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या कृषि मंत्रि अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील खटीमा में बहने वाली परवीन नदी के कारण ग्राम झनकट, वानूसा, पूरनापुर, नौसार, भगचुरी जादौपुर, सुनपहर, मजगमी ढाह, ढाकी आदि अनेक ग्रामों की सैंकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि प्रति वर्ष कट रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील खटीमा की कृषि योग्य भूमि के कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ,

जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील खटीमा में बहने वाली परवीन नदी द्वारा कृषि योग्य भूमि कटाव नियंत्रण हेतु कृषि विभाग द्वारा ग्राम जादौपुर एवं मजगमी हरियाली योजनान्तर्गत चयनित किये गये हैं, जिसमें अब तक हरियाली योजनान्तर्गत जादौपुर में 43 हैक्टेयर एवं ग्राम मजगमी में 195 हैक्टेयर क्षेत्र को भूमि कटाव से संरक्षित किया गया

है। राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत ग्राम डाह, ढाकी में 50 हैक्टेयर, झनकट में 150 हैक्टेयर एवं बानूसी में 50 हैक्टेयर क्षेत्र को भूमि कटाव संरक्षित किया गया है। शेष ग्रामों पूरनापुर, नौसर, भगचुरी, सुनपहर में सर्वेक्षण कर सैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर के तहसील खटीमा एवं सितारगंज में रासायनिक खाद की व्यवस्था

6–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या कृषि मंत्री अवगत है कि जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील खटीमा एवं सितारगंज में रबी की एवं खरीफ में चावल की बुवाई के समय प्रति वर्ष रासायनिक खाद (एन0पी0के0डी0ए0पी0 तथा यूरिया) की कमी हो जाती है जिससे दोनों फसलों की पैदावार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

विकास खण्ड सितारगंज में कार्यरत सहकारी गठित खरीफ रबी अभियान वर्ष 2008–09 में 3417.550 मै0टन एन0पी0के0 1358.900 मै0टन डी0ए0पी0 कुल 4776.450 मै0टन एवं वर्ष 2009–10 खरीफ एवं रबी अभियान में सितारगंज की सहकारी समितियों को 890.550 मै0टन डी0ए0पी0 कुल 4881.100 मै0टन उर्वरकों की आपूर्ति की गयी है।

इसी प्रकार विकासखण्ड, खटीमा में कार्यरत समितियों को वर्ष, 2008–09 में खरीफ एवं अभियान के लिए 3800.000 मै0टन एन0पी0के0 तथा 984.000 मै0टन डी0ए0पी0 कुल 7884.000 मै0टन एवं वर्ष, 2009–10 खरीफ एवं रबी अभियान के लिए विकास खण्ड, खटीमा के सहकारी समितियों को 1170.200 मै0टन एन0पी0के तथा 3254.150 मै0टन डी0ए0पी0 कुल 4424.350 मै0टन उर्वरकों की आपूर्ति की गयी है।

समुचित व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के अन्तर्गत विस्थापितों की समस्याओं के सम्बन्ध में विगत सत्र में नियम–54 के अन्तर्गत श्री किशोर उपाध्याय सदस्य विधान सभा द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले विधान सभा सत्र में आपने आदेशित किया था कि टिहरी बॉध से प्रभावित जो क्षेत्र है, उस पर सदन में चर्चा करवाई जायेगी। चार दिन सदन में बीत गये और कार्यसूची में किसी भी दिन वह विषय नहीं आया। मान्यवर, टिहरी

के लोगों ने देश और प्रदेश के विकास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। अगर उनकी अनदेखी की जायेगी तो निश्चित रूप से जनता में असंतोष व्याप्त होगा और जनता में असंतोष हो भी रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, आप बहुत विद्वान, ज्ञानी और पुराने सदस्य हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, आप नियमों के भी ज्ञाता हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सवाल ज्ञानी होने का नहीं, लोगों की समस्याओं का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, पूरी बात तो सुन लें। मैं बता रहा हूँ। कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, पिछली बार भी नहीं आया इस बार भी नहीं आया। इसमें बताने वाली कौन सी बात है। आपने कहा था कि हम इस पर चर्चा करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, बात तो सुन लीजिए। आप जानकार हैं, जब यह बात आई थी तो जुलाई के लिए यह सूचना निर्धारित थी, चर्चा के लिए और सदन की कार्यवाही 24 तारीख को खत्म हो गई थी तो सत्रावसान होने के पश्चात् जो सूचनायें आपने दी थी, वह अपने आप व्यपगत हो गई। अगर आप चर्चा चाहते हैं तो दुबारा सूचना दे दीजिए, उसमें दुबारा लग जायेगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, किसी अन्य नियम में स्वीकार करेंगे कि चर्चा सुनिश्चित हो जाए। मान्यवर, यह मेरी ही बात नहीं है, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की भी बात है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की भी बात है, माननीय शहजाद जी की भी बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–19 की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, उसमें उल्लिखित है कि जब सभा सत्रावसित हो तो सभी लम्बित सूचनायें (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, टिहरी के लोगों की रक्षा करना और यहाँ के समाज की रक्षा करना अब आपके हाथ में है, जो उस दिन आपने आश्वासन दिया था और आप उठा करके लाये थे वरना मैं अभी यहाँ 'वेल' में बैठ रहा हूँ।

(माननीय किशोर उपाध्याय जी 'वेल' मे आकर बैठ गये। नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्य 'वेल' में आ गये)

श्री अध्यक्ष–

आप दुबारा सूचना दीजिए। आप नियम–19 देखें। नियमानुसार सूचना दीजिए। नियम–19 देखें, उसमें लिखा है कि सभी लम्बित सूचनायें, वक्तव्य और चर्चायें व्यपगत हो जायेंगी और आगामी सत्र के लिए फिर से सूचनायें दी जायेंगी। अब बताइये हम क्या करें। नियमावली हटा दीजिए, जो जिसके मन में आये, करता रहे।

माननीय नेता बसपा, आप भी नियमों के ज्ञाता हैं, नियम–19 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्राविधान है कि 'सत्रावसान का प्रभाव– 'जब सभा सत्रावसित हो जाय तो सभी लम्बित् सूचनायें, वक्तव्य और चर्चायें व्यपगत हो जायेंगी और आगामी सत्र के लिए फिर से सूचनायें दी जायेंगी।' इसमें हम क्या करें। (व्यवधान के मध्य)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, नियमों को शिथिल करते हुए, पुनर्जीवित हो सकती हैं, चूँकि आपको अधिकार है। आप आदेश कर दें और मान लीजिए। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप सूचना दे दें, आज तो नहीं हो पायेगी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप चार दिन पहले बताते.....(व्यवधान के मध्य)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आगामी सत्र की चर्चा में शामिल कर लें। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

हाँ, आगामी सत्र की चर्चा में शामिल कर लूँगा। (व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी 'वेल' में अपनी बात कहते रहे और डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' मे आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

यदि आप नियमों के अन्तर्गत सूचनाएँ देंगे, तो नियमों के अन्तर्गत ही चर्चा होगी। (व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने विनिश्चय दिया था कि आपकी इस सूचना के प्रश्न को हम टेक–अप करेंगे । लेकिन नियमों के आधार पर लिखित सूचना तो देनी पड़ेगी ना। अगर आप नहीं देंगे तो कैसे लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, आपकी जो भी सूचनाएँ हैं उसको कार्य–मंत्रणा निर्धारित करती है और तारीख भी निर्धारित करती है। किस प्रकार की सूचना ली जाय, यह भी निर्धारित करती है और कितना समय उसमें दिया जाय, वह भी निर्धारित करती है। यदि आपकी सूचना विधिवत् आ जायेगी तो उस पर विचार किया जायेगा। उसमें आपसे कोई नाराजगी तो क्या है किसी को और न ही टिहरी के लोगों से नाराज हैं, बात आ गयी है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी 'वेल' में अपनी बात कहते रहे और डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' से वापस अपने–अपने स्थान पर बैठ गये।)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, पहले इस प्रश्न पर मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए, माननीय अध्यक्ष जी, मैं पीठ का बड़ा सम्मान करता हूँ। (हँसी) (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं देख रहा हूँ और सारा सदन देख रहा है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जब जब भी आपने आदेश दिया, हमने उसका पालन किया है। उन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी की है अगर इस तरह से सरकार (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ और आपकी इस बात के अनुरोध पर ही और माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय सदस्यगण के अनुरोध पर ही इस बात पर विचार किया था कि 25 जुलाई के लिए आपके इस प्रश्न पर विचार होना निर्धारित हुआ था, परन्तु हाउस 24 जुलाई को ही स्थगित हो गया था। इसलिए वह अपने आप में ही समाप्त हो गयी। अगर आपको इस प्रश्न पर दुबारा चर्चा करानी है तो दुबारा सूचना दीजिए और इस पर विचार कर लिया जायेगा। (व्यवधान के मध्य)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जब अगला सत्र हो उसमें सरकार यह तय करे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस बात को मैं तय नहीं करता, कार्य–मंत्रणा तय करती है या आप लोग ही निर्धारित करते हैं, जो इसके सदस्य होते हैं। (व्यवधान) अब श्री प्रणव सिंह जी, आपकी क्या बात रह गयी?

*कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात रह गयी है। आज के अखबारों में निकला है कि माननीय गन्ना मंत्री जी ने गन्ने के विषय में एक संशय पैदा कर दिया है। हमारे माननीय विधायक जी ने बताया है कि 186 रूपये प्रति कुन्तल रेट से गन्ने का पेमेंट किया जा रहा है। आपने आश्वासन दिया कि इसको चैक कर लेंगे या जाँच कराऊँगा लेकिन इनके द्वारा एक उद्‌गार और किया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जी, आप भी इस बात को जानते हैं कि इस सदन में अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता है, ये आपके सामने बात हुई है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री प्रेमानन्द महाराज, श्री सुरेन्द्र राकेश, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री हरिदास, श्री किशोर उपाध्याय, हाजी तस्लीम अहमद, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री मनोज तिवारी तथा श्रीमती अमृता रावत की कुल 09 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण सम्बन्धी प्राविधानों (रोस्टर) को लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

[मान्यवर, माननीय सदन को अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–244/111(1) 09–95 (अधि0)/07 टी0सी0–1, दिनाँक 11 दिसम्बर, 2009 के द्वारा लो0नि0वि0 में वरिष्ठ, कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्रभारी सहायक अभियन्ता बनाये जाने में अनु0 जाति/अनु0जनजाति वर्ग के कनिष्ठ अभियन्ताओं हेतु आरक्षण (रोस्टर) को लागू नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर नियम–300 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ]

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर में सिंचाई विभाग द्वारा 58 ट्यूबवैल की स्वीकृति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद के ब्लॉक भगवानपुर में सिंचाई विभाग द्वारा 58 ट्यूबवैल बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाकर नाबार्ड को भेजा है। लेकिन अभी तक उस पर स्वीकृति जारी नहीं की गई है। जबकि इस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की बहुत आवश्यकता है। किसान इस सम्बन्ध में कई बार उच्चाधिकारियों एवं माननीय सिंचाई मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं। इसलिए किसान आवश्यकता पूरी न होते देख आंदोलन की राह पर जा रहे हैं। इसलिए इस अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षित कर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

दरगाह शरीफ पिरान कलियर के हज हाऊस निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विश्वविख्यात धार्मिक स्थल दरगाह शरीफ पिरान कलियर में सम्पूर्ण विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से आने वाले जायरीन धर्मावलम्बियों की सुविधा हेतु ''हज हाऊस'' का निर्माण विगत सरकार द्वारा प्रारम्भ कराया गया था। परन्तु वर्तमान सरकार द्वारा उक्त भवन के निर्माण को रोक दिया है। जिससे जन समुदाय एवं अल्पसंख्यक समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। इस कारणवश अल्पसंख्यक अक्लियत अपने अन्दर हीन भावना तथा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह स्थिति कभी भी एक वृहद् जन आंदोलन का रूप ले सकती है। इसलिए निर्माण पुनः आरम्भ किया जाना चाहिए। जनहित में यह जानना भी आवश्यक है कि कितनी धनराशि, कब उक्त भवन हेतु स्वीकृत की गयी तथा कुल कितनी धनराशि का व्यय किया जा चुका है और कब निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया तथा कब यह रोक दिया और क्यों?

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने की माँग करता हूँ।

जनपद हरिद्वार में बी0पी0एल0 परिवारों के लोगों को विद्युत आपूर्ति हेतु खराब पड़े ट्रांसफार्मर को ठीक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिदास–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार में बी0पी0एल0 परिवार के लोगों को विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर, जो खराब पड़े हैं, विद्युत विभाग द्वारा उन ट्रांसफार्मरों

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ठीक नहीं किया जाता है। सरकार ने तो बी0पी0एल0 परिवारों की सुविधा के लिए अलग से ही बी0पी0एल0 ट्रांसफार्मर लगवाये, किन्तु जो ट्रांसफार्मर (बी0पी0एल0) खराब हो जाते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिससे बी0पी0एल0 परिवार के विद्युत कनैक्शन उपभोक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है और स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रबल कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

राजकीय महाविद्यालय बाजपुर जिला ऊधमसिंह नगर के प्राचार्य के निलम्बन तथा उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किशोर उपाध्याय–

[मान्यवर, राजकीय महाविद्यालय, बाजपुर के निलम्बित प्राचार्य, जो अभी उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी से सम्बद्ध हैं, को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये महाविद्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण निलम्बित किया गया है। उन्हें आरोपित किया गया था कि वे दिनाँक 26–10–2009 को महाविद्यालय में उपस्थित नहीं थे। प्राचार्य अस्वस्थ थे तथा दिनांक 23–10–2009 से 29–10–2009 तक आकस्मिक अवकाश पर थे, उपचार हेतु दिनाँक 26–10–2009 को डॉ0 सुशीला तिवारी मेमोरियल फॉरेस्ट अस्पताल, हल्द्वानी में आवश्यक चिकित्सा हेतु भर्ती थे। यह सरकार द्वारा एक वरिष्ठ शिक्षक के साथ उत्पीड़न की कार्यवाही है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

जनपद हरिद्वार के ग्राम सुल्तानपुर के मोजे मुबारिकपुर में लगे राजकीय नलकूप संख्या–एल0जी0 1 की हाईटेंशन विद्युत लाईन के सम्बन्ध में

*हाजी तस्लीम अहमद–

[मान्यवर, जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढाँग के ग्राम–सुल्तानपुर के मौजे मुबारिकपुर में लगे राजकीय नलकूप संख्या–एल0जी0 की हाईटेन्शन विद्युत लाईन को चलाने के लिए विद्युत विभाग द्वारा ग्राम–सुल्तानपुर से हाईटेंशन विद्युत लाईन नलकूप तक ले जायी गयी है। इस हाईटेंशन विद्युत लाईन के तार नीचे लटक रहे हैं। विभाग द्वारा पोलों को मानकों के अनुसार नहीं लगाया जाता है। इस हाईटेंशन विद्युत लाईन के तार नीचे लटके होने की वजह से कभी भी अमानवीय घटना हो सकती है। इसलिए इन पोलों की दूरी कम करके व तारों को उचित प्रकार से खींचना अति आवश्यक है।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस जनहित के अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

तहसील चौखुटिया मे विगत मई से जून माह के बीच बादल फटने व अतिवृष्टि के कारण भूमि कटाव, पेयजल योजनाओं की क्षति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, चौखुटिया में विगत मई से जून माह के बीच बादल फटने एवं अतिवृष्टि के कारण बड़ी मात्रा में भूमि कटाव, पेयजल योजनाओं मी क्षति हुई थी, हालाँकि व्यक्तिगत नुकसान का मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन आज भी तड़ाग नाले एवं कोट्यूड़ा नाले का उपचार नहीं किया गया है। जिसके कारण कोट्यूड़ा टेढ़ागाँव, अमस्यारी तथा ढनाण में भविष्य में बारिश होने पर जान माल के नुकसान होने की संभावना है तथा इन ग्रामों के निवासियों में हमेशा भय बना रहता हैं। भूमि संरक्षण विभाग तथा जिला प्रशासन की उदासीनता से क्षेत्रीय जनता आक्रोशित है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

अल्मोड़ा ब्लॉक के भैंसियाछाना में आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मनोज तिवारी–

[मान्यवर, इल्मोड़ा विधान सभा के ब्लाक भैंसियाछाना में आई0टी0आई0 भवन का निर्माण सी0एन0डी0एस0 (निर्माण इकाई पेयजल निगम) विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। भवन का पूर्ण निर्माण लगभग रू0 286 लाख में होना है। परन्तु अभी तक भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा विभाग को 25 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है। शेष धनराशि अभी तक विभाग को प्राप्त न होने के कारण भवन का निर्माण कार्य रूक गया है, जिस कारण वहाँ की जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की सूचना पर नियम–300 अन्तर्गत ध्यानाकर्षण की माँग करता हूँ।]

प्रदेश में दोषपूर्ण कार्य संस्कृति के कारण जन समस्याओं के निवारण में जनप्रतिनिधियों को आने वाली कठिनाईयों के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, उत्तराखण्ड भारत का गौरव आदिकाल से ही देवताओं ऋषि मुनियों की पावन स्थली रहा है, इसलिए उत्तराखण्ड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। किन्तु

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के वर्षों बाद भी यहाँ की कार्य संस्कृति में किसी प्रकार का परिवर्तन एवं सुधार नहीं हो पाया है, जिसके कारण जन समस्याओं के निवारण में क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों को अनेकानेक कठिनाईयों का सामना ही नहीं करना पड़ता है, बल्कि जनता का कोपभाजन भी बनना पड़ता है। यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि इस प्रदेश में मंत्रीगणों/मा0 मुख्यमंत्री जी को लिखे जाने वाले पत्रों की प्राप्ति तो हो जाती है किन्तु उन पत्रों में वर्णित समस्याओं के निवारण एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी जन प्रतिनिधियों को नहीं मिल पाती है। जिसके कारण क्षेत्रीय जन समस्याओं का यथासमय निवारण नहीं हो पाता है, जिससे जन असंतोष बढ़ता है।

मेरा मान्यवर, से विनम्र आग्रह है कि उत्तराखण्ड राज्य की परिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ के अनुरूप कार्यालयों की कार्य प्रणाली/कार्य संस्कृति में परिवर्तन/सुधार किया जाना चाहिए।

उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2009–2010) का सप्तम प्रतिवेदन

सभापति, लोक लेखा समिति (श्री प्रीतम सिंह)–

मैं, उत्तराखण्ड की द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति का सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

नियम–310 के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश, दूसरी सूचना श्री जोत सिंह गुनसोला, तीसरी सूचना श्री किशोर उपाध्याय, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, डा0 हरक सिंह रावत, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री यशपाल आर्य, श्री करन मेहरा, श्रीमती अमृता रावत, श्री तिलक राज बेहड़, श्री राजेश जुवाँठा, श्री बलवीर सिंह नेगी, चौथी सूचना श्री रणजीत सिंह रावत, श्री मनोज तिवारी, श्री प्रीतम सिंह, पाँचवी सूचना श्री नारायण पाल, श्री प्रेमानन्द महाजन और इसी प्रकार से, आज नियम–58 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो कि श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री यशपाल बेनाम, श्री हरिदास, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री करन मेहरा, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री राजेश जुवाँठा, डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल तथा श्री तिलक राज बेहड़, श्री किशोर उपाध्याय, डॉ0 हरक सिंह रावत, श्री मनोज तिवारी, श्री नारायण पाल, श्रीमती अमृता रावत तथा श्री गोपाल सिंह राणा की हैं। नियम–310 में 5 सूचनायें हैं और नियम–58

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में 15 सूचनायें हैं, इसलिए मैं अनुरोध करना चाह रहा था कि आप स्वयं निर्धारित कर लें कि कितनी सूचनाओं पर विचार किया जाना है, पार्टी स्तर से निर्धारित कर लें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, नियम–58 में आपने कल ही तय कर लिया था कि कौन–कौन सी सुनी जानी है और नियम–310 की सभी महत्वपूर्ण हैं।

श्री अध्यक्ष–

महत्वपूर्ण तो हैं और नियम–310 की परिधि में आती नहीं हैं।

*नेता प्रतिपक्ष (डॉ0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 की परिधि में आता है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय का हजारों शिक्षक आज आंदोलनरत् है, जिनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, आज वे आंदोलनरत् हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप सहयोग करें, हमारे ऊपर कृपा कर दें। ये सूचनायें नियम–310 की परिधि में नहीं आती हैं, नियम–58 में सुन लेंगे।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 की परिधि में आती हैं।

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 में नहीं आती है, इसलिए मैं अस्वीकार करता हूँ।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात करने लगे।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह प्रदेश के हजारों शिक्षकों के भविष्य का सवाल है, ये प्रदेश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, आप तय कर लें, मैं नियम–58 में सुन लूँगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में खड़े थे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आज विद्यालय बन्द हैं। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक सदन व्यवस्थित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जावेगा। कृपया सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करने लगे।)

माननीय जोत सिंह गुनसोला जी, आपका स्थान यहाँ नहीं है, आपका स्थान वहाँ है। सभी माननीय सदस्यों का स्थान उधर है, कृपया अपने–अपने स्थान पर चले जाईये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 के अन्तर्गत इसको सुन लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आज नियम–58 के अन्तर्गत 06 सूचनाएं लेनी हैं, वे आप निर्धारित कर लीजिए। सारी सूचनाएं नहीं लेनी हैं, सिर्फ 06 सूचनाएं लेनी हैं। सारी सूचनाएं नहीं ले सकता हूँ। कल भी बात हो गयी थी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आज आखिरी दिन है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी सूचनाएं ले लीजिए, जो प्रमुख सूचनाएं हैं, उन्हें आप ले लीजिए। मैं चाहता हूँ इस सूचना पर चर्चा स्वीकार कर लीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सभी सूचनाएं प्रमुख हैं। आप तय कर लीजिए, कौन सी सूचना लेनी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आज नियम–310 के अन्तर्गत यह महत्वपूर्ण सूचना है, जो नौजवानों के भविष्य से सम्बन्धित है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस सूचना को ले लीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 3:15 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 3 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नियम–310 की एक सूचना थी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री यशपाल बेनाम, श्री हरिदास, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री करन मेहरा, श्री ओत सिंह गुनसोला, श्री राजेश जुवांठा, डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल तथा श्री तिलक राज बेहड़, श्री किशोर उपाध्याय, डॉ0 हरक सिंह रावत, श्री मनोज तिवारी, श्री नारायण पाल, श्रीमती अमृता रावत एवं श्री गोपाल सिंह राणा की कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिनमें से मैं श्री करन मेहरा, श्री ओत सिंह गुनसोला, श्री हरिदास, श्री सुरेन्द्र राकेश और श्री किशोर उपाध्याय की सूचना को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ, शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य गण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर पूर्ववत अपनी बात करते रहे।)

(माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम जी 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, राइस मिलर्स के पेमेंट का मामला है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप आपस में तय कर लीजिए। (व्यवधान) सभी माननीय सदस्य आपस में तय कर लीजिए। यह संभव नहीं है मेरे लिए। (व्यवधान) सामान्यतः पाँच सूचनाएं ली जाती हैं, मैं आठ सूचनाएं ले रहा हूँ। तीन नियम–310 वाली और पाँच नियम–58 वाली।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ये राइस मिलर्स के पेमेंट का मामला है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय यशपाल बेनाम जी, आप स्थान ग्रहण करें। आपकी सूचना नियम–58 की परिधि में नहीं आती है, मैंने देख लिया है उसे, परीक्षण करवा लिया है, नियम–58 की परिधि में नहीं आती है, आती तो मैं जरूर ले लेता। (व्यवधान) जब परिधि में आयेगी तभी लिया जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) सामान्यतः पाँच सूचनाएं ली जाती हैं, आप लोगों के आग्रह पर आठ सूचनाऐं ले रहा हूँ। (व्यवधान) परिधि में नही आती है, क्या करूँ मैं। (व्यवधान) आपकी सूचना आ गयी है, सरकार इसे भी देख लेगी

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के तहत बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे विषय पर जो...(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, 200 करोड़ रूपये का मामला है। आप सरकार को निर्देश दे दें। (घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम 'वेल' में पूर्ववत् खड़े होकर अपनी बात कहते रहे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय यशपाल जी, यह सूचना नियम–58 की परिधि में नहीं आती है, नियमों की परिधि में आती तो मैं जरूर ले लेता। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय यशपाल जी, चूँकि यह नियमों की परिधि में नहीं आती है, माननीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद सब को मिलता है, यह नियमों की परिधि में आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियमों की परिधि में नहीं आती है, इसलिए मैं कैसे ले लूँ। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम 'वेल' से अपने स्थान पर चले गये।)

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, घरेलू विद्युत बिलों का सरचार्ज माफ करने के सम्बन्ध में जो जनहित का मसला है, आज हमारे प्रदेश में करोड़ों रूपया सरकार का पैण्डिंग पड़ा है, आज हमारे गाँव के लोग, हमारे पूरे प्रदेश के लोग इसको दे नहीं पा रहे हैं। सरचार्ज इतना ज्यादा हो गया है कि वह बिल से दो गुना तिगुना हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने भी सरचार्ज माफ करने की घोषणा की थी, जबकि जहाँ मुख्यमंत्री घोषणा कर देता है, वह जी0ओ0 हो जाता है, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा करने के बावजूद भी हमारे प्रदेश के घरेलू कनैक्शनों का सरचार्ज माफ नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत खराब स्थिति हमारे प्रदेश में हो रही है। इसमें सरकार सदाशयता का परिचय दे। पहले भी जब सदन चला था, इन्होंने कहा था कि विद्युत नियामक आयोग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को विधान सभा की सिफारिश भेज देंगे लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, वह सरचार्ज आज तक माफ नहीं हो पाया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस सरचार्ज को माफ करने के लिए कम से कम मार्च तक का उन्हें समय दिया जाय, जिससे हमारी सरकार को राजस्व का भी फायदा होगा और जो उनके पास कनैक्शन है, वह भी सुचारू रूप से चल पायेगा। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आज विद्युत नियामक आयोग को सिफारिश न करते हुए सीधे-सीधे इसे माफ कर दिया जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार राज्य की विद्युत दरों का निर्धारण उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है और जिसके आधार पर समय-समय पर टैरिफ आदेशों के अनुसार विद्युत दर एवं सरचार्ज निर्धारित किया जाता है। विद्युत बिल भुगतान समय पर न किये जाने की दशा में उपभोक्ताओं से सरचार्ज की वसूली होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में मूल धनराशि 30 जून, 2009 तक जमा करने की शर्त पर विद्युत सरचार्ज और पैनाल्टी माफ किये जाने की घोषणा कर दी गई थी। इस घोषणा के तहत कुल मूल धन 77 लाख 36 हजार रूपये था। यह 30.06.09 तक जमा कराया गया। इस पर सरचार्ज 25 लाख 68 हजार आता है। अब जिन लोगों ने 30 जून, 2009 तक अपने मूल विद्युत बिलों को जमा ही नहीं करवाया तो उनको किस तरह से छूट दी जा सकेगी। वर्तमान में इस समय उत्तराखण्ड के लगभग 1 लाख ग्रामीण उपभोक्ता हैं, जिन पर विद्युत सरचार्ज बकाया है और 30.06.09 तक केवल 1 हजार 105 उपभोक्ताओं द्वारा मूल धन जमा कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदाशयता का परिचय देते हुए घोषणा कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता हैं, उनके विद्युत बिलों का अगर वे मूलधन जमा कर दें तो विद्युत सरचार्ज माफ हो जायेगा। अब चूँकि वह अवधि निकल गई, इसलिए यह सम्भव नहीं श्रीमन्, कि अब यह विद्युत सरचार्ज माफ किया जाए।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा तो मार्च तक और बढ़ाने का आग्रह है सरकार से, आपके माध्यम से।

श्री प्रकाश पन्त–

मानमीय अध्यक्ष जी, माननीय सदन की भावना के अनुरूप इस प्रस्ताव को हम मैनेजमैंट बोर्ड के सामने ले जायेंगे, वही निर्णय करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आज जो 8 सूचनाएं निर्धारित हुई हैं, नियम–58 के अन्तर्गत सुनने के लिए इसके तहत आज जितनी भी सूचनायें आई थीं, शेष सूचनाओं का ध्यान मैं शासन की ओर आकृष्ट करता हूँ। सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

*श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–58 के तहत रानीखेत को जिला बनाने की सम्बन्धित सूचना को स्वीकार किया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, रानीखेत को जिला बनाने की माँग 5 दशक पुरानी है। चाहे गोरखा शासनकाल हो या फिर ब्रिटिश शासनकाल। रानीखेत उप मण्डल का प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपना अलग महत्व रहा है। गोरखा शासनकाल में पाली पछाव उप मण्डल क्षेत्र का मुख्यालय पाली में था, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान रानीखेत लाया गया। तब से रानीखेत के जो प्रशासनिक अधिकार हैं उनको अब भी एस०डी०एम०पाली के नाम से ही जाना जाता है, यह माँग समय–समय पर उठती रही है। प्रथम बार वर्ष, 1955 में रानीखेत जिले की माँग उठाई गई थी। वर्ष, 1985 में तत्कालीन राजस्व मंत्री स्वर्गीय श्री बलदेव सिंह आर्य जी ने रानीखेत उप मण्डल को जिला बनाने के औचित्य को स्वीकार किया था। वर्ष, 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार में आश्वासन समिति में भी इस विषय को लाया गया था, अर्थात उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसको जिला बनाने की सहमति जताई गई थी। रानीखेत जिले की इस माँग को वर्ष, 1987 में राजस्व परिषद् व आठवें वित्त आयोग ने भी रानीखेत को जिला बनाने के लिए अपनी सकारात्मक रिपोर्ट शासन को भेजी थी। इस क्रम को गति देते हुए एस०वैंकटमणि आयोग द्वारा प्रबल संस्तुति के साथ जिला बनाने के लिए रिपोर्ट दी गई थी।

वर्ष, 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जिले की माँग को जायज ठहराया, लेकिन उप चुनाव की घोषणा के कारण यह उस समय सम्भव नहीं हो सका और उन्होंने एस०डी०एम० की जगह पर ए०डी०एम०, डी०एस०पी० को वहाँ बैठाकर उसकी औपचारिक शुरूआत कर दी।

मान्यवर, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने इस बात की घोषणा रानीखेत में की थी और वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, माननीय श्री बिशन सिंह चुफाल जी ने भी जिले बनाने की जो माँगें थीं, स्वीकार किया है, मान्यवर, जब से यह सत्र चल रहा है, लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है कि इसमें भी नये जिलों को बनाने के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है और मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूँ कि रानीखेत, जो उप मण्डल है, जिसकी अपने आप में बहुत बड़ी जनसंख्या है, वह 3 लाख 40 हजार है। मान्यवर, इसमें 1309 राजस्व ग्राम, 59 न्याय पंचायत, 120 पटवारी क्षेत्र, 4 थाने शामिल हैं और इससे कहीं कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, जिसकी जनसंख्या वर्ष, 2001 के अनुसार 2 लाख 17 हजार 149 और बागेश्वर की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनसंख्या 2 लाख 49 हजार 453 है, उनको जिला बना दिया गया है। मान्यवर, रानीखेत जिले की जो सबसे पुरानी माँग उत्तर प्रदेश के समय से है, उसको नकारा गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो रानीखेत उप मण्डल है, इसका क्षेत्रफल 1469.77 वर्ग कि0मी0 है, इसको जिला बनाने की आवश्यकता है। मान्यवर, रानीखेत तहसील में, वर्तमान में पाँच तहसीलें बना दी गयी हैं, जिसमें द्वाराहाट, चौखुटिया, भिक्यासैंण, सल्ट और रानीखेत, जिसका इतना महत्व हो, इतनी बड़ी तहसील जिसके आज पाँच भाग कर दिये गये हों। इस बात से समझ सकते हैं कि कितनी आवश्यक और जायज माँग रानीखेत जिले की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि रानीखेत को जल्दी से जल्दी जिला बनाये जाने की प्रक्रिया को जारी किया जाय और इसके लिए बजट का प्राविधान किया जाय और भी इसके साथ जिन-जिन जिलों की माँग उठी है उन जिलों के लिए भी बजट का प्राविधान किया जाना चाहिए। मैं माँग करता हूँ कि सरकार इस सूचना पर अपना वक्तव्य दे।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जिलों के पुनर्गठन का विषय तृतीय सत्र, 2008 के नियम–105 के अन्तर्गत इस सम्मानित सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था और उस प्रस्ताव के आधार पर इसी सदन में मेरे माध्यम से आश्वासन आया था कि वर्तमान में इन इकाईयों को देखते हुए इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, इसके लिए हम एक समिति बनाकर विचार करेंगे। जहाँ–जहाँ पर इस तरह की माँगें आयेंगी, उसका अध्ययन किया जायेगा कि इसमें किस तरह से अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए हम चिन्तित हैं। इस विषय पर इसी विधान सभा के तृतीय सत्र, वर्ष, 2008 में सरकार का आश्वासन आ चुका है और आश्वासन की प्रतिपूर्ति के लिए दिनाँक 17 अगस्त, 2009 को मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में जिसमें अपर मुख्य राजस्व आयुक्त (मुख्यालय), आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल सदस्य और सम्बन्धित जनपद हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी सदस्य हैं। मान्यवर, ये कमेटी अपना कार्य कर रही है और कमेटी की रिपोर्ट आने के पश्चात सम्यक् विचारोपरान्त मंत्रि–परिषद अपनी रिपोर्ट में निर्णय ले सकेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय करन मेहरा और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य् करता हूँ।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, वर्ष, 2001 से अब तक निरंतर कार्य करते हुए

गढ़वाल मण्डल विकास निगम के कर्मचारियों का निगम के अधिकारियों द्वारा मौखिक आदेशानुसार दिनाँक 18 जून, 2009 से कार्य एवं वेतन से वंचित रखा जाना और उसके बाद कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन और जब कर्मचारियों की न्यायोचित माँगों को न माना गया तब उनको मजबूर होकर क्रमिक भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा और आज भी वे 39 कर्मचारी और उनका मोर्चा अनवरत रूप से एक-एक, दो-दो कर्मचारी करके क्रमिक अनशन और भूख हड़ताल पर निगम मुख्यालय के सामने बैठे हैं। मान्यवर, स्थिति कुछ इस तरह से बनी कि वर्ष, 2008 में वर्षा ऋतु के कारण खनन, चुगान और टिपान का कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया, फलस्वरूप उस खनन में, उस चुगान और टिपान में लगे हुए 153 कर्मचारियों की सेवाओं को रोक दिया गया और एक प्रयास के बाद 73 लोगों को कार्ययोजित कर दिया गया और 80 युवक और युवतियों को निकाल दिया गया, इसके विरोध स्वरूप इन कर्मचारियों ने निगम के मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन का सहारा लिया। मान्यवर, वर्ष, 2009, जून में 80 कर्मचारियों को फिर से हटा दिया गया। खनन, चुगान और टिपान दूसरे सत्र का नहीं चला तो उनको हटा दिया गया। इन 80 कर्मचारियों ने भी कहा कि मान्यवर, हमारे साथी जो समवेतन ले रहे थे, समकार्य कर रहे थे, उनमें से 73 कर्मचारियों को निगम ने ही कार्ययोजित कर दिया तो क्या उन 80 कर्मचारियों को सेवायोजित नहीं करना है।

इस वेदना को सुनने के बाद 80 में से 41 कर्मचारियों को फिर सेवायोजित कर लिया गया और आज शेष 39 कर्मचारी, जो बाकी बचे रह गये हैं वे भी यही माँग कर कर रहे हैं कि निगम इन 39 कर्मचारिशों को भी कार्ययोजित करे।

मान्यवर, जिला पौड़ी में खनन, चुगान और टिपान का कार्य चल रहा है, जिला हरिद्वार में निगम का खनन और चुगान का काम चल रहा है। मान्यवर, इसी तरह चमोली में कई नदियों पर टिपान चल रहा है, इसी तरह निगम का टिहरी में कई नदियों पर टिपान चल रहा है, खनन का कार्य चल रहा है, केवल दून वैली को छोड़कर अन्य नदियों में गढ़वाल मण्डल विकास निगम अपने कर्मचारियों से इस कार्य को करा रहा है। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार ने जिस तरह से 153 में से 73 लोगों को पहले कार्ययोजित किया, फिर 80 लोगों में से 41 लोगों को कार्ययोजित किया गया, तो ठीक उसी प्रकार से इन चुगान के कार्यों में, इन 39 लोगों को भी कार्ययोजित किया जाए। इसका निर्देश सरकार अपने गढ़वाल मण्डल विकास निगम को दे जिससे उन कर्मचारियों की जो न्यायोचित माँग है, उसको माना जाए और वो जो मजबूरन भूख हड़ताल के लिए क्रमिक अनशन पर बैठे हुये हैं, यही उनका आंदोलन करने का रास्ता है और अपनी जीविका को चलाने के लिए, रोजी रोटी प्राप्त करने के लिए जब गढ़वाल मण्डल विकास निगम अपने उन तमाम कर्मचारियों को कार्ययोजित कर सकता है। सदाशयता के साथ 39 कर्मियों से भी कार्य शिफ्ट वाईज लिया जा सकता है, मेरा यह

सुझाव है कहीं ऐसी बात नहीं है शिफ्टों में कार्य हो सकता है, तो उन शिफ्टों में इन 39 कर्मचारियों को कार्ययोजित किया जाए, मैं यह माँग आपके माध्यम से सरकार से करता हूँ। धन्यवाद।

*गन्ना, आबकारी एवं शहरी विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री जोत सिंह गुनसोला, विधायक मसूरी ने गढ़वाल मण्डल विकास निगम में कार्यरत् 39 कर्मचारियों को वर्तमान समय में कार्य पर न रखने के सम्बंध में ग्राह्यता पर अपने विचार रखे हैं, माननीय विधायक जी ने कहा, वर्तमान समय में वो 39 कर्मचारी कार्य पर इसलिए नहीं हैं कि जो देहरादून में कार्य था, वह कार्य इस समय नहीं हो रहा है। मान्यवर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम में खनन कार्य हेतु दैनिक वेतन के आधार पर कुल 94 कर्मचारी हैं, जिसमें जनपद देहरादून में 75, चमोली में 02 व हरिद्वार में 17 कर्मचारी कार्ययोजित थे। मान्यवर, जनपद हरिद्वार एवं देहरादून के जिलाधिकारी, देहरादून एवं हरिद्वार द्वारा दिनाँक 01 जुलाई से 30 सितम्बर, 2009 तक खनन कार्यों पर रोक लगा दी थी, बरसात और अतिवृष्टि के कारण, क्षेत्रों में खनन पर रोक की वजह से खनन क्षेत्रों में तैनात 81 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कार्य से विरत कर दिया गया और शेष 13 कर्मचारी निगम खनन मुख्यालय/प्रवर्तन में कार्यरत हैं। जनपद देहरादून की दून घाटी के अन्तर्गत बहने वाली नदियों के तल पर चुगान/टिपान की कार्यवाही पर रोक लगाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में जनहित याचिका संख्या–34, मोहम्मद आरशी बनाम भारत सरकार एवं अन्य योजित की गयी। योजित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 05 जून, 2009 द्वारा खनन संक्रियाओं पर रोक लगा दी गयी है, इस प्रकार से देहरादून में खनन का कार्य बन्द है।

जनपद हरिद्वार में खनन कार्य खुलने पर 37 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रखा गया है, इसी प्रकार जनपद चमोली में 03, टिहरी में 2, कुल 42 वेतनभोगी कर्मचारियों को भी कार्ययोजित कर लिया गया है। शेष 39 कर्मचारियों से कार्य न होने के कारण कार्य नहीं लिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्याः–15130/2009, गढ़वाल मण्डल विकास निगम बनाम मोहम्मद आरशी योजित की गयी है। योजित विशेष अनुमति याचिका में दिनांक 8 जनवरी, 2010 सुनवाई हेतु निर्धारित है। इस प्रकार विशेष जो अनुमति याचिका लम्बित रहने के फलस्वरूप दून घाटी में वर्तमान में खनन संक्रियाओं पर प्रतिबन्ध है। देहरादून जनपद में खनन संक्रियाओं पर प्रतिबन्ध होने के कारण जो अतिरिक्त जनशक्ति है, उस पर कोई काम इस क्षेत्र में नहीं है इस कारण से जो ये 39 कर्मचारी कार्य से विरत हैं, जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आयेगा, उसके बाद इन 39 कर्मचारियों को भी कार्ययोजित किया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला जी को एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अन्तर्मन से आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रदेश में जो सूखे की स्थिति है, इस पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, आज यहाँ पर गरीब, दलित और समाज के अन्तिम छोर पर जो व्यक्ति है। मान्यवर, ए0पी0एल0 राशन कार्ड धारकों को जिस तरह से सरकार द्वारा खाद्यान्न नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर नियम–58 के अन्तर्गत आपने यहाँ पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, यह सरकार कितनी लापरवाह है, जो ए0पी0एल0 राशन कार्डधारक हैं। एक राशन कार्ड पर आज 10 किलो0 गेहूँ महज उन लोगों को दिया जा रहा है, चीनी नहीं दी जा रही है। मान्यवर, एक परिवार में यदि हम माता–पिता को भी छोड़ दें और खाली दो बच्चे और दो जो उनके अभिभावक हैं, जब भी जो राशन हम दे रहे हैं वह एक व्यक्ति के हिस्से ढाई किलो राशन आ रही है, यदि एक दिन का राशन लगा दिया जाय तो ऐ व्यक्ति के हिस्से में 80 ग्राम गेहूँ आ रहा है।

मान्यवर, 30 ग्राम गेहूँ एक व्यक्ति के एक वक्त के खाने के लिए सरकार उपलब्ध करा रही है। इस 30 ग्राम गेहूँ में क्या हो सकता है, इस पर यह सम्मानित सदन विचार कर सकता है। यह कैसी सरकार है जो अपने प्रदेश के निवासियों को भूखा मारना चाहती है, ऐसी सरकार पर धिक्कार है, माननीय सदस्य इतने गम्भीर विषय को हल्के में ले रहे हैं, आज पूरे प्रदेश में भुखमरी की स्थिति हो रही है और आप हँस रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ आप ट्रेजरी बेंच के सदस्यों को निर्देशित करें। अगली बार आपको पता चलेगा आप कहाँ पर खड़े हैं। सत्तापक्ष के माननीय सदस्य हर मामले में हँस रहे हैं। कल सूखे पर चर्चा हो रही थी, उस पर भी हँस रहे थे। इस प्रदेश का मजाक उड़ा रहे हैं, इस प्रदेश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, मैं आपको देख रहा था, जब वे हँस रहे थे, तो आप भी मुस्करा रहे थे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हमारे सभी प्रतिनिधि जब भ्रमण पर क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। अगर सरकार खाद्यान्न ही उपलब्ध नहीं करा सकती

तो ऐसी सरकार का क्या मतलब है कि लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हो जाएं। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास खाद्यान्न की कोई कमी हो। मान्यवर, अन्त्योदय में जो गेहूँ इस प्रदेश को वर्षवार उपलब्ध हुआ, वह वर्ष, 2002–03 में 9120 मीट्रिक टन अन्त्योदय का गेहूँ मिला।

श्री अध्यक्ष–

आप तो ए0पी0एल0 कार्ड धारकों की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जी हाँ, ए0पी0एल0 कार्ड धारकों की बात कर रहा हूँ। वर्ष, 2002–03 में ए0पी0एल0 में 94 हजार 554, वर्ष 2003–04 में 2 लाख 21 हजार 640...

श्री अध्यक्ष–

ये कुन्तल में है या मीट्रिक टन में ? (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मीट्रिक टन में बता रहा हूँ। (व्यवधान) मान्यवर, 2009–10 का बता रहा हूँ, 1 लाख 77 हजार 192 मीट्रिक टन गेहूँ मिला। मान्यवर, यह समझ में नहीं आ रहा कि यह गेहूँ जा कहाँ रहा है। मैंने खुद देखा है, जो लोग यह गेहूँ ले रहे हैं, 10 किलो में भी, उनको 10 किलो पूरा नहीं मिल रहा है। उसमें से भी दुकान में एक किलो काट दिया जा रहा है। इसके साथ ही 10 किलो में कंकड़ पत्थर कम से कम आधा किलो होगा (व्यवधान) और 'पहले आओ पहले पाओ' का सिस्टम भी कर दिया है। मान्यवर, अगर आप आदेशित करेंगे तो नमूना आपके सामने रख दूँगा, क्या क्वालिटी उस गेहूँ की है, जो उस गेहूँ को खाएगा, उसकी दशा क्या होगी। इस प्रदेश के अस्पतालों की जो दशा है, वह भी ठीक नहीं है। (व्यवधान)

*श्री रणजीत रावत–

माननीय मंत्री जी के पास क्रेशर भी है, कंकड़ भी तो बेचने हैं। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जो गरीब व्यक्ति है, वह उसी राशन पर जिन्दा है, इसके अलावा आप ए0पी0एल0 में कोई चीनी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जो ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 के कार्ड धारक हैं, उनकी स्थिति एक जैसी है। मान्यवर, मैं निवेदन करता हूँ यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि जब हम राशन ही अपने प्रदेश की जनता को उपलब्ध नहीं करा सकते तो ऐसी सरकार के कोई मायने नहीं हैं। इसलिए सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय, जिससे इस प्रदेश की गरीब जनता का हित हो सके। धन्यवाद।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कुछ भी यहाँ पर ए0पी0एल0 के बारे में बातें कही हैं, मैं उस पर और स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। मान्यवर, वर्तमान में राज्य में ए0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या 17 लाख 77 हजार 9 लाख है। (हँसी)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में 70 लाख हैं तो पूरा प्रदेश ही ए0पी0एल0 में आ जायेगा।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, थोड़ी सी गड़बड़ हुई कि बाद में लाख बोला, वह पहले है और वह 17 लाख, 77 हजार 9 है। दिनांक 01–01–2003 को इस राज्य को जो ए0पी0एल0 का गेहूँ मिला था, वह 18,470 मीट्रिक टन था। (व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह रावत–

इसका हिसाब लगाया कि इसमें कंकड़ कितना था ?

श्री अध्यक्ष–

पहले इसका हिसाब देख लीजिये, कंकड़ का हिसाब बाद मे ले लीजियेगा।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, इसक साथ ही 19,457 मीट्रिक टन चावल का मासिक आवंटन किया जा रहा था। यह आँकड़े वर्ष, 2003 के हैं, जब जनता ने शासन की बागडोर 2007 में हमारे हाथ में दी तो......।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, क्या वर्ष, 2003 से 2007 तक यही स्थिति रही ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, यही स्थिति रही, आप देख लीजिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह नहीं रही, यह 18 हजार नहीं है, एक लाख सत्तासी हजार मीट्रिक टन है, यह वर्ष, 2002–03 का है।

श्री दिवाकर भट्ट–

आपके पास जो है, उसमें गड़बड़ी होगी या गलत लिखा होगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह हम आपके विभाग से ही लाये है। यह 18 हजार हो ही नहीं सकता है।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, हो सकता है उसमें मिस हो गया हो, आप लोग पहले मेरी पूरी बात सुन लें, इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य रिकार्ड है तो उस पर अलग से बात कर लेंगे।

मान्यवर, वर्तमान में सरकार के सत्तासीन होते ही भारत सरकार द्वारा दिनाँक 01–01–2007 को जो 18,470 मीट्रिक टन गेहूँ मिला था, वह 1566 मीट्रिक टन गेहूँ हमें मिला।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वर्ष, 2003 से 2007 तक का है। मैं यह जानना चाहता.......।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, इस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले मेरी पूरी बात तो आ जाने दीजिये। (व्यवधान) तो जैसा कि मैंने बताया कि हमको 1566 मीट्रिक टन गेहूँ और 17,664 मीट्रिक टन चावल वर्ष, 2007 में मिला। राज्य सरकार बहुत चिन्तित थी, क्योंकि ए0पी0एल0 का गेहूँ समाप्त हो चुका था। हमें मात्र 1566 मीट्रिक टन गेहूँ 17 लाख, 77 हजार, नौ कार्डधारकों को बाँटना था। मैंने आप लोगों से कहा कि बाद में इस बारे में चर्चा कर लेंगे कि क्या कारण थे, पहले इस बात को सुन लीजिये। आराम से सुन लीजिये, उसके बाद चर्चा कर लेंगे। मान्यवर, यह बहुत अहम लोक महत्व का प्रश्न है, मैं माननीय किशोर उपाध्याय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे इस बात को सदन के सामने लाये हैं। बहुत साफ बात इस पर होनी चाहिये कि स्थिति क्या है।....

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, अब सरकार भी मान रही है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, जब लगातार भारत सरकार से हम आग्रह करते रहे, लगातार पत्रों से माननीय मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी और हम लगातार

दिल्ली जाते रहे, शायद आपके संज्ञान में होगा कि हम पीछे भी माननीय खाद्य मंत्री जी से मिले थे और उस बार भी बड़ा अनुरोध करने के बाद हमको 5000 मीट्रिक टन गेहूँ अस्थाई रूप से उपलब्ध हुआ ए0पी0एल0 में। (व्यवधान) 1566 और 5000 मीट्रिक टन गेहूँ हमको मिला और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, लगातार उत्तराखण्ड शासन केन्द्र से गुजारिश करता रहा, लगातार पत्रों के माध्यम से और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गये, उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, भारत सरकार से अतिरिक्त 12 हजार मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, मैं बताता हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कहीं आँकड़ों का हेर–फेर हो रहा है तो उसे दुरूस्त कर लेंगे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

आपको सितम्बर, 2008 में 2766 प्लस अतिरिक्त 12 हजार (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, ठहर जाईये, वहाँ तक तो मैं आया नहीं। अभी मैं वर्ष, 2007 और 2008 की बात कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी तक वर्ष, 2007–08 तक की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) अभी वो विषय नही आया।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए और मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूँ। यह पूरे राज्य की त्रासदी है और सभी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये गम्भीर मुद्दा है थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। इसी प्रकार दिनांक 01.01.2009 को हमको जो सामान्य कोटे में मिला, वो 2766 मीट्रिक टन गेहूँ मिला और लगातार अनुरोध, विनय करने के बाद हमारे साथ भारत सरकार ने थोड़ा रियायत की, 12 हजार मीट्रिक टन हमको तदर्थ के रूप में और दिया गया। ये एडहॉक व्यवस्था है, किसी समय भी भारत सरकार इसको वापस ले सकती है, ये परमानेंट नहीं है, ये रेग्यूलर नहीं है। अभी इसमें पूरी बात आने दीजिए। मैं समझता हूँ कि पूरी आपके सामने पिक्चर आ जायेगी, जो आप जानना चाहते हैं। ये दिनांक 01.11.2009 तक के आवंटन की यही स्थिति है जो दिनांक 01.01.2009 को थी। ये आज भी वही स्थिति है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब राज्य में

वर्तमान में ए0पी0एल0 कार्डधारकों हेतु 20 किलोग्राम गेहूँ एवं 15 किलोग्राम सरकार द्वारा कुल 17 हजार 90 मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले सुन लीजिए। अभी तो आपने जो 10 किलोग्राम की बात की, इसमें जोड़-घटाना कर देंगे। उक्त 17 हजार 90 मीट्रिक टन खाद्यान्न 14 हजार 766 मीट्रिक टन गेहूँ जिसमें 2766 मीट्रिक टन नियमित व 12 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूँ सम्मिलित है एवं 2324 मीट्रिक टन चावल सम्मिलित है। इस प्रकार राज्य को जन वितरण प्रणाली में अपनी मासिक आवश्यकता से 45 हजार 105 मीट्रिक टन खाद्यान्न प्रति माह कम प्राप्त हो रहा है। इसे दुबारा पढ़ सकता हूँ। आज हमको जितना खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है ए0पी0एल0 में जो मिलना चाहिए था जो हम इतने कार्डधारकों को भारत सरकार के मानकों के आधार पर अगर बाँटते तो हमें 45 हजार 105 मीट्रिक टन खाद्यान्न और मिलना चाहिए था।

श्री रणजीत रावत-

मान्यवर, टोटल कितना मिलना चाहिए ?

श्री दिवाकर भट्ट-

मान्यवर, अभी टोटल भी आ जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक बार इतनी जोर से कहा कि मुझे भी थोड़ा अचम्भा हुआ कि आज मैं कुछ बोल सकूँगा कि नहीं, इतनी बुलंद आवाज इस शरीर से निकली, अब यह गेहूँ का असर नहीं तो किस चीज का असर है।

श्री अध्यक्ष-

इससे यह लग रहा है कि गेहूँ जा कहाँ रहा है ?

श्री दिवाकर भट्ट-

मान्यवर, वैसे मैं एक बात साफ तौर से कहना चाह रहा हूँ कि राज्य सरकार ने कभी इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया है। राज्य सरकार का पूरा नजरिया यह रहा कि यह राज्य के अन्दर बड़ा संकट है, इस संकट को हल करने के लिए हम तमाम लोगों को राजनीति से ऊपर उठ करके एकजुट होकर के इसको प्राप्त करना होगा, यह कार्य हमने किया। मान्यवर, आपके संज्ञान में होगा कि मैंने पहले भी लोक सभा मैम्बरान साहिबानों की दो बार बैठक बुलाने का प्रयास किया, दो बार हुआ है, तीसरी बार मैंने फिर बुलाया उनकी अपनी व्यस्तता थी, वह उपलब्ध नहीं हो पाये और वह नहीं आ पाये। उसके बाद भी मैंने कोशिश की और सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि हम सर्वदलीय बैठक करके इसका कोई हल निकालें और सभी दलों को हमने आमंत्रित किया, तीन बार हमने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। माननीय सदस्यों ने वहाँ पर एकजुट होकर कहा कि वाकई में यह गम्भीर मसला है, हमें इसको हल करने के लिए एकजुटता दिखानी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आज भी तमाम साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह मामला बहुत गम्भीर है और इस गम्भीर मसले को हल करने के लिए हम सब लोगों को इस पूरी सभा को एकजुट होकर भारत सरकार से कहना चाहिए,

यह मेरा अनुरोध है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे चीनी का मामला है, चीनी के मामले पर माननीय सदस्य बोलें। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, चावल का मैंने आपको बता दिया कि चावल कितना चाहिए था ? मैंने पूरा विवरण आपको उपलब्ध करा दिया है। चीनी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु माह अप्रैल, 2008 से माह मार्च, 2009 तक चीनी मिलों से 73368.60 मी0टन चीनी आवंटित की गई थी परन्तु मिलों के पास लेवी अंश की चीनी उपलब्ध न होने के कारण मात्र 59020.10 मी0टन चीनी उपलब्ध हो पायी एवं 14348.5 मी0टन चीनी नहीं मिल पायी।

माननीय अध्यक्ष जी, 2009–10 की बात कही। इसी प्रकार 2009–10 में माह अप्रैल, 2009 से नवम्बर, 2009 तक राज्य हेतु भारत सरकार से 51343.40 मी0टन चीनी आवंटित की गई परन्तु मिलों में लेवी अंश न होने से मात्र 28139.60 मी0टन चीनी उपलब्ध हो पाई, इस तरह से 23203.80 मी0टन चीनी उपलब्ध नहीं हो पायी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिवाकर भट्ट जी, आप जरा तिलक राज बेहड़ जी को धन्यवाद दे दीजिए, उन्होंने चाय फीकी पीनी शुरू कर दी है। (हँसी)

श्री दिवाकर भट्ट–

इसके लिए तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग सहयोग करें। मान्यवर, इसी प्रकार वित्तीय वर्ष, 2008–09 में एवं माह अप्रैल, 2009 से माह नवम्बर, 2009 तक भारत सरकार से 124712.00 मी0टन आवंटन के विरूद्ध 37552.30 मी0टन चीनी उपलब्ध नहीं हो पायी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कल भी ऐसा था पढ़ा हुआ मान लिया जाए, सब लिखा था उसमें।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, यह समस्या तो ए0पी0एल0 कार्डधारियों की है। केन्द्र से जो हमको कोटा आवंटित नहीं हो पा रहा है गेहूँ और चावल का, यह मैंने आपके सामने रखा है। एक बात जो आपकी बहुत अहम थी मान्यवर, राज्य के अंदर दो वर्ष सूखा पड़ा है। यह बहुत ही गम्भीर मसला है इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर सूखे की व्यवस्था नहीं थी या जो दैनिक श्रमिक या मजदूर है, छोटा गरीब तबके का है, जिसकी आजीविका

के साधन बहुत ही सीमित है, निश्चित रूप से उसको यह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। गरीब लोग जो इससे त्रस्त हैं इसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ लेकिन भुखमरी जो आप लोगों ने लिखी है। भुखमरी का मतलब भूख से कोई मर गया। भूख से राज्य के अंदर किसी की मृत्यु नहीं हुई है। हाँ, इसमें परेशानी है, कमी है लेकिन भुखमरी शब्द इसमें नहीं जुड़ना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, राज्य सरकार ने अपनी तरफ से क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आपसे निवेदन किया है कि सब मिलकर प्रयास करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद में सन् 1976 में भूमिहीन मजदूरों को अपने परिवार को चलाने के लिए और रोजी–रोटी के लिए आसामी पट्टे सरकार के द्वारा आवंटित किये गये थे और उन आसामी पट्टे धारकों को जिस समय पट्टे दिये गये। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जब पट्टे दिये गये थे, तो उन पट्टों में कहीं भी अंकित नहीं था कि ये पट्टे 5 वर्षों के लिए दिये गये और सन् 1976 से लगातार वे पट्टे धारक अपने परिवार को और उसमें अनाज पैदा करके अपनी रोजी–रोटी देते चले आ रहे हैं। मान्यवर, कुछ भूमि ऐसी भी थी जो केवल एक ही फसली होती थी यानी उसमें सालभर में एक ही फसल होती थी, लेकिन मजदूरों ने कड़ी मेहनत करने के बाद उस बंजर जमीन को सुधारकर उपजाऊ बनाया और अब उसमें साल में दो फसल होती है। माननीय अध्यक्ष जी, उन मजदूरों का दुर्भाग्य यह है कि जिन्हें सन् 1976 में जो पट्टे दिये गये, आज 32 साल बाद यानी आज भी जो काबिज चले आ रहे हैं। मान्यवर, उनमें से कुछ लोगों के पट्टे छीनकर उनको परिवार की रोजी–रोटी के लिए मोहताज किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जिन लोगों के पट्टे छीने जा रहे हैं, उन लोगों के पट्टे छीनकर और सरकार के कुछ अधिकारियों के द्वारा उन पट्टों को निरस्त कर, ऐसे लोगों को उस भूमि पर काबिज किये जाने का काम किया जा रहा है।

मान्यवर, जो भूमि बिल्कुल बेकार थी मेहनत कर उसे तैयार किया गया और इन 30 सालों के बाद उस गाँव में मैं एक गाँव का नाम लूँगा, रहमतपुर गाँव है, उसमें 105 पट्टे गरीब परिवारों को दिये गये, जब वह नदी की भूमि दो फसली हो गयी यानी अच्छी जमीन बन गयी। मान्यवर, उन लोगों का दुर्भाग्य है कि आज उनके पट्टों को कैन्सिल किया जा रहा है और बाहर की अरूण देव कंस्ट्रक्शन कंपनी है उस भूमि को उसके साथ साँठ–गाँठ करके उन्हें दिया जा रहा है। मान्यवर, जो हजारों पट्टे धारक हैं यदि उनकी संख्या जोड़ी जाय तो लाखों में बैठती है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे ये भुखमरी। इस प्रकार निश्चित रूप से इस उत्तराखण्ड में और हरिद्वार जनपद में भुखमरी आ सकती है और इनके 32 सालों बाद हक छीने गये।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूँ एक सवाल के अन्तर्गत उत्तर आया था सरकार द्वारा, कि वर्ष, 1976 से लगातार गरीब लोग उस भूमि पर काबिज हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड में आज उ0प्र0 जमींदारी–विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सन् 1997 में जब उत्तराखण्ड का गठन भी नहीं हुआ था, तब यह शासनादेश जारी किया गया। इसे उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 1997 के नाम से जाना गया। जिसमें यह व्यवस्था दी गयी। उसके बाद भी तरह तरह के कई आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये कि जो लोग 12 साल तक लगातार काबिज चले आ रहे हैं, उन्हें असंक्रमणीय पट्टे का अधिकार दे दिया गया है। जिसमें स्पष्ट उल्लेख है, इसकी धारा 122 च, ब, 14 च, इसे मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ के पूर्ववर्ती उप धाराओं में किसी बात के होते हुए भी जहाँ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी खेतिहर मजदूर के अध्यासन में धारा–177 के अधीन गाँव सभा में निहित कोई भूमि जो धारा–132 में उल्लिखित भूमि न हो और दिनाँक 30 जून, 1995 के पूर्व में हो और भूमिधर के रूप में उक्त दिनांक से पूर्व में उसके द्वारा दर्ज किसी भूमि सहित इस प्रकार कदाचित भूमि 8.26 हैक्टेयर लगभग 3.125 एकड़ से अधिक न हो, ऐसे मजदूर के विरूद्ध भूमि प्रबंध समिति या कलैक्टर, इन धाराओं के अधीन कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, गरीब लोगों से जुड़ा हुआ मसला है और सन् 1976 से जुड़ा हुआ मसला है, तब से इन लोगों को पट्टे दिये गये हैं और धारा में उल्लिखित किया गया है कि यह भी समझा जाए कि उसे यह भूमि असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधन के रूप में धारा–195 के अधीन रख दिये जाए, यानि अधिकार दे दिये गये। 1997 में एक तरफ यह कहा जाता है कि विधियों में प्राविधान नहीं है लेकिन यह एक्ट उसी उ0प्र0 जमींदार विनाश भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक, 1997 है, जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड में भी कार्य किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि

जिस एक्ट के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आदेश पारित किए जा रहे हैं, उसके तहत मानवता को ध्यान में रखते हुए सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इन लोगों को हक जरूर दिया जाए, जिन लोगों का हक बनता है। एक्ट के आधार पर भी हक बनता है, मानवता के आधार पर भी बनता है। इस महत्वपूर्ण मसले पर सरकार कार्यवाही करें और उन गरीब लोगों को बचाया जा सके। उन गरीब लोगों का हक जरूर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, 12 साल बाद भी अगर किसी के पास पट्टा न हो और वह अवैध कब्जेदार हो तो वह उसका अधिकारी हो जाता है पट्टे देने के बाद अब 32 साल बाद उसको निरस्त किया जा रहा है। एक्ट में प्राविधान है और सरकार भी चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के बाहर इस संबंध में जब हमने अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि आपकी बात तो सही है लेकिन हम देखेंगे, तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जब मेरी बात सही है, आप उन लोगों की पीड़ा को समझते भी हैं, जिन्हें अधिकार मिलना चाहिए था, उन्हें अधिकार मिल जाना चाहिए। जब आप देना चाहते हैं और आप देने में सक्षम हैं और एक्ट भी कहता है तो उन लोगों का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी, मिल जाना चाहिए। अंत में माननीय अध्यक्ष जी, पुरजोर अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि उन लोगों को जिनका अधिकार बनता है, जिनका हक बनता है, उनको निश्चित रूप से मिल जाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश जी द्वारा नियम–58 के अन्तर्गत दी गई सूचना के पक्ष में जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–122 बी0 का उल्लेख किया गया, मैंने कल भी जिक्र किया था माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश जी से कि आप आधी–अधूरी सूचना सदन में न दें। आपने 122 बी0 का उल्लेख किया लेकिन यह जो पट्टे दिये गये हैं, वह धारा–132 के आधार पर दिये गये हैं और 122(बी0) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि इसे धारा–132 के आधार पर नहीं दिया गया, उसको पढ़ लें। चूँकि 1976 में 3710 आसामी पट्टे जिला हरिद्वार में आवंटित किये गये हैं और वह धारा–132 में है कि वह भूमि जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, धारा–132 में भूमि कौन–कौन सी होगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, धारा–132 में हैडिंग में है कि वह भूमि जिस पर भूमिधरी अधिकार नहीं होंगे और इसमें कौन सी भूमि है तो ऐसी सार्वजनिक भूमि जिस पर भूमिधरी अधिकार नहीं होगा और ये पशुचर भूमि, अस्थिर अस्थायी खेती के ऐसे भूखण्ड, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा गजट में निर्दिष्ट कर दें और ऐसी भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार द्वारा

सरकारी गजट में प्रख्यापित कर दिया गया हो, इसी तरह से इस कैटेगरी के अन्तर्गत जो भूमि आती है, आसामी पट्टेधारियों को पट्टे दिये जाने का प्राविधान किया गया था और उसके आधार पर पट्टे दिये गये थे औरर आसामी की जो शर्त है वह भी धारा-133 में है क्योंकि यह पट्टे उस समय 5 वर्ष के लिए दिये गये थे और पट्टे देते समय जो पट्टे दिये जाते हैं और गरीब लोगों को दिये जाते हैं। जिससे उनका आर्थिक उन्नयन हो और आर्थिक उन्नयन होने के पश्चात अगर उनकी आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाती है तो सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि वे अभी वास्तविक रूप में गरीब हैं तो पुनः उनके पट्टे नवीनीकृत किये जाते हैं और चूँकि इन पट्टों में जैसे माननीय सदस्य ने अवगत कराया तो 1515 आसामी पट्टेधारियों का कब्जा चल रहा है। यह प्रकरण आसामी पट्टे की सीमा से अधिक होने के कारण कब्जा बेदखली का वाद सक्षम न्यायालयों में जिला स्तरीय राजस्व न्यायालय, आयुक्त, मुख्य राजस्व आयुक्त एवं मा0 उच्च न्यायालय में यह वाद विचाराधीन है, इसलिए जो वाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं तो उन वादों का आधार लेते हुये उन पर इस सम्मानित सदन में निश्चित रूप से चर्चा नहीं कर सकते हैं और चूँकि प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में भी हैं और जिस नियम के तहत इनको पट्टे आवंटित किये गये हैं, उस नियम के तहत उनको भूमिधरी अधिकार देना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपराह्न 4:40 बजे एक व्यक्ति द्वारा सदन में प्रवेश किये जाने पर उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार बहुत चिंतित है। प्रदेश में रेड अलर्ट करने की बात सरकार ने कही। माननीय मुख्यमंत्री जी को जान का खतरा है, यह भी गम्भीर विषय है, यह समाचार पत्रों में और टेलीविजन चैनलों में हमने इस बात को देखा। माननीय अध्यक्ष जी, जब विधायक लोग विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए विधान सभा परिसर में आते हैं तो हमारी गाड़ी को चैक किया जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ कहीं विधान सभा परिसर में न चला जाये कि जो हमारी कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का कार्य न कर सके। श्रीमन्, आज जो स्थिति

इस सदन में पैदा हुई है, निश्चित रूप से यह बहुत ही गम्भीर विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे–पीछे एक शख्स विधान सभा मण्डप में अंदर प्रवेश कर गया, इससे गम्भीर विषय और कोई हो नहीं सकता। यह इस प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है कि व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य नहीं है। सीधे विधान सभा मण्डप से अन्दर प्रवेश कर जाता है, यह स्थिति गम्भीर है। वह व्यक्ति ट्रेजरी बेंच तक चला गया। मान्यवर, हमने पहले सोचा कोई नया सदस्य होगा। इससे गम्भीर विषय कोई हो नहीं सकता और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को निश्चित रूप से खतरा है और जिस तरीके से एक व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे विधान मण्डप में आया, यह गम्भीर विषय है। मैं चाहूँगा कि आप की पीठ से इस पर निश्चित रूप से कोई रूलिंग आये और मैं यह भी नहीं समझ रहा हूँ कि उस आदमी को कस्टडी में लिया है या नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति अंदर आया और अंदर आने के बाद सीधे बाहर भी चला गया। यह भी देखने वाला विषय है और गम्भीर विषय है। इसकी जाँच होनी चाहिए कि किसके साथ वह व्यक्ति अन्दर आया और जहाँ पर यह चूक हुई है, इसका निरीक्षण किया जाय।

*शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, वह व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री के आने से पहले आ गया था।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो और गम्भीर विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विधान सभा मण्डप में आने से पूर्व वह व्यक्ति विधान सभा मण्डप में प्रवेश कर चुका है तो जो माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं उनके कथन से सहमत हूँ। यह और भी गम्भीर विषय है। मुझे नहीं मालूम उस व्यक्ति को हिरासत में लिया है या नहीं इसकी जाँच होनी चाहिए और आपकी पीठ से निश्चित रूप से इस पर विनिश्चय आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अभी रिपोर्ट लेकर आपको बता देते हैं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, आपकी जो नियम–310 की सूचना थी, जिसे नियम–58 के अन्तर्गत परिवर्तित कर दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश निर्माण निगम से सम्बन्धित है, आप उस पर अपने विचार रखें।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको आभारी हूँ कि नियम–310 के अन्तर्गत जो कार्य स्थगन का हमारा प्रस्ताव था, उसे आपने नियम–58 के अन्तर्गत उसकी ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, राज्य बनने के बाद इस राज्य में निर्माण कार्यों को गति मिल सके। निर्माण कार्यों को तेजी के साथ किया जा सके। राज्य सरकार ने दिनाँक 25–03–2008 को एक शासनादेश के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना निगम का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गठन किया और इस निगम के गठन के पीछे सरकार का निश्चित रूप से यह मत था कि उत्तराखण्ड राज्य के अंदर जो विकास के कार्य हैं, उन कार्यों को गति देकर के विकास के कार्यों को त्वरित गति से पूरा किया जा सके। जब निगम का गठन हो रहा था हमने उस वक्त भी कहा था। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने उस वक्त भी सम्मानित सदन में इस बात को कहा था कि जो उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना निगम का गठन किया जा रहा है, इसके बजाय सरकार के पास अन्य जो निर्माण एजेन्सियाँ हैं, चाहे आर0ई0एस0 हो, चाहे गढ़वाल मण्डल विकास निगम हो, चाहे कुमाऊँ मण्डल विकास निगम हो, चाहे लोक निर्माण निगम हो, इन निर्माण निगमों के माध्यम से प्रदेश में विकास के कार्यों को करने का काम किया जाय। लेकिन सरकार ने जब इस निगम का गठन किया तो उस वक्त यह दलील दी थी, सरकार ने यह बात कही थी कि इन विभागों के पास, जिनका मैंने जिक्र किया, अत्यधिक कार्य होने की वजह से इस प्रदेश के अन्दर उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना निगम का गठन किया जाना नितान्त आवश्यक है। सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना निगम का गठन किया और गठन के पश्चात् श्रीमन्, दिनाँक 13-03-2008 को एक शासनादेश के माध्यम से इस बात को भी कहा कि उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को सरकार कोई निर्माण कार्य आवंटित नहीं करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड अवस्थापना निगम का जब गठन हुआ तब इस निगम को कार्य करने का अवसर मिला और दो यूनिटों का गठन हुआ। इसके माध्यम से जो लगभग 700 करोड़ रूपये के कार्य थे, उनके प्रोजेक्टों के इस्टीमेट बनाने का कार्य इस निगम ने किया। लेकिन इसी बीच दिनाँक 15-10-2009 को एक शासनादेश जारी किया गया कि उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना निगम जो गठित किया गया है, उसको कार्य नहीं दिया जायेगा। मान्यवर, हम नहीं समझ पाये कि क्यों इस निगम का गठन किया गया, इस निगम के गठन का औचित्य क्या था ? यदि उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के माध्यम से ही सरकार ने कार्य सम्पादित कराने का निर्णय ले लिया है तो इस निगम का गठन करने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। श्रीमन्, हमने जो बात कही थी, वह सामने आ गयी कि इस निगम का गठन न किया जाय। हमारे पास जो अन्य कार्यदायी संस्थाएं हैं, उन कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से इस प्रदेश के विकास कार्यों को करने का काम सरकार कराए।

श्रीमन्, जो दो यूनिटों का गठन हो चुका है, उनको सरकार ने अब तक मात्र 3 कार्य आवंटित किये। मैं समझता हूँ कि इस उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना निगम के साथ सरकार सरासर नाइंसाफी करने का काम कर रही है और जो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम है, उसके पास कोई इतना बड़ा ढाँचा नहीं है, उसके पास इतना बड़ा टैक्निकल स्टाफ नहीं है, जिसके माध्यम से वह इस उत्तराखण्ड राज्य के विकास के निर्माण कार्यों को गति दे सके। सहायक अभियन्ता स्तर का एक व्यक्ति प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करता है, तो इस निगम में विश्वास व्यक्त करके और अपने निगम को दरकिनार करके सरकार क्या संदेश देना चाह रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। मान्यवर, मैं तो आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस प्रदेश के विकास कार्यों को गति

देने का मुद्दा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय ताकि जिस उद्देश्य के लिए इस निगम का गठन किया गया, उसको हम प्राप्त कर सकें। साथ ही जो लाभाँश है, 8 प्रतिशत और 9 प्रतिशत, जो निगम को मिलता है, वह उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को जा रहा है। अच्छा होता, अगर हमारा जो निगम है, उसके माध्यम से हम कार्य कराते, तो निश्चित रूप से यह लाभ इस निगम के कर्मचारियों को मिलता। यह बहुत गम्भीर विषय है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, विद्वान सदस्य माननीय प्रीतम सिंह जी ने बड़ी गम्भीरतापूर्वक अपने विषय को रखा। आपने जिस आदेश को इस प्रश्न का मूल आधार बनाया, वह आदेश मेरे सामने है। इस आदेश में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राज्य के अन्दर स्थापित जितनी भी इकाईयाँ हैं, उन सब को कोई कार्य नहीं दिया जायेगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। मैं इसको उद्धृत करना चाहूँगा, इसमें लिखा है, जो समय–समय पर शासनादेश निर्गत हुये हैं, लोक निर्माण विभाग द्वारा और उन शासनादेशों को विविध निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। उस निर्देश में केवल एक बिन्दु और जोड़ा गया है कि "शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त किये गये निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को उत्तराखण्ड में दिनाँक 31 मार्च, 2010 तक कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।" अर्थात् पूर्व से यह संस्था कार्य कर रही थी, उसके लिये एक सीमा निर्धारित कर दी गई और पूर्व में दिनाँक 05–04–2002 को प्रदेश की निर्माण इकाईयों की तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता के आलोक में निर्माण एजेन्सियों के विस्तार पर रोक लगाये जाने हेतु राज्य सरकार से बाहर की कार्यदायी संस्थाओं को उनके आगणन पर कोई नया कार्य स्वीकृत न करने सम्बन्धी आदेश हुआ था, जिसके अन्तर्गत 2 करोड़ से अधिक गैर मानकीकृत भवन निर्माण कार्य हेतु तथा 8 करोड़ से अधिक के समस्त भवन निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग को, सिंचाई विभाग को तथा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास निगम से आगणन प्राप्त कर निविदा के माध्यम से तथा 2 करोड़ तक के सभी निर्माण कार्य उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास निगम को उत्तराखण्ड राजकीय निगम तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को दो करोड़ से अधिक और आठ करोड़ तक के गैर मानकीकृत भवन के निर्माण कार्य किसी भी निर्माण एजेंसी को, किन्तु बाहर की एजेंसी को न्यूनतम टैण्डर के आधार पर ही निर्माण कार्य आवंटित किये जाने की व्यवस्था की गई थी।

तदुपरान्त समय–समय पर यह शासनादेश संशोधित हुये और उसके आधार पर दिनाँक 13 मार्च, 2009 को आदेश निर्गत किये गये थे, जिसमें 1 करोड़ की लागत के कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को, एक करोड़ से पाँच करोड़ तक की योजनायें लोक निर्माण विभाग को और उत्तराँचल पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम को तथा पाँच करोड़ से अधिक के सभी कार्य उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम से सम्पादित किये

जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। चूँकि अभी वर्तमान में राज्य के अन्दर निर्माण कार्य और विकास के कार्य प्रचुर मात्रा में होने के कारण और अवस्थापना विकास निगम का ढाँचा विधिवत् धरातल पर न उतरने के कारण यह आवश्यकता महसूस की गई कि केवल दिनाँक 31 मार्च, 2010 तक के लिये पूर्व से कार्य कर रही एजेंसी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को भी कार्य दिये जाने की प्रक्रिया रखी जाय, इसके पीछे यही मंतव्य था। हमारा भी यह प्रयास है कि हमारे राज्य के अन्दर की जो संस्थायें और निगम हैं, वह अपने पैरों पर खड़े हों और अवस्थापना विकास निगम के ढाँचे को विधिवत् गठित करने की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि हम दिनाँक 31 मार्च, 2010 तक उस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हमारे ही निगम प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य आवंटित किये जायेंगे, ताकि उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्य हों, यही प्रक्रिया इसके अन्तर्गत निहित की गई है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ कि जब दिनाँक 13–03–2008 को सरकार ने एक निर्णय ले लिया था कि उत्तराखण्ड में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्य नहीं दिया जायेगा। तो उसके बाद दिनाँक 15–10–2009 को उसमें संशोधन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई ? दूसरी बात आपने कही कि मार्च, 2010 तक ही सीमा बढ़ी है, तो क्या दिनाँक 25–03–2008 के बाद उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को कोई कार्य आवंटित किया गया था नहीं ? क्योंकि यदि आवंटित कर दिया तो उसकी अवधि तो बढ़ती ही जायेगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, भले ही सीमा बढ़ा दी जाये, यदि उनको कार्य आवंटित कर दिये जायेंगे तो उनको पूरा करने में पाँच साल तो लगेंगे ही, इससे तो कार्यावधि बढ़ती रहेगी और यह निगम कार्य करता रहेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि दिनाँक 31 मार्च, 2010 तक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्य दिया जाय और तब तक हम अपनी सभी संस्थाओं को मजबूत कर लें और उसके बाद उन्हीं से काम लें।

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, राज्य हित में ही तो हमने अपना निर्माण निगम बनाया था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह एवं डा0 हरक सिंह रावत एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इसे मैं अग्राह्य करता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-310 के तहत उत्तराखण्ड के बेसिक शिक्षकों की विभिन्न माँगों के सम्बंध में जो मैंने सूचना इस सदन में चर्चा की ग्राह्यता के लिए, चर्चा स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत की थी, उसको नियम-58 में परिवर्तित करके आपने नियम-58 में उसकी ग्राह्यता पर कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इसे प्रदेश का उद्योग कहूँ या सबसे बड़ा विभाग कहूँ, वह शिक्षा विभाग है। रोजगार के लिए भी, ढाँचे के दृष्टिकोण से भी और इस शिक्षा विभाग के अगर सवा दो लाख कर्मचारी पूरे प्रदेश में शिक्षक और कर्मचारी हैं तो लगभग 01 लाख 40 हजार कर्मचारी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं शिक्षक रहे हैं, मैं भी स्वयं गढ़वाल विश्वविद्यालय से पिछले 25 वर्षों से जुड़ा हूँ। इस राज्य के निर्माण में भी इस प्रदेश के शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपने बच्चों के पेट की परवाह न करते हुए इस उत्तराखण्ड के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आन्दोलन में जो सहभागिता निभाई है और किसी समाज के, किसी धर्म के, किसी क्षेत्र के विकास में, उस क्षेत्र के, उस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस राज्य निर्माण के बाद निश्चित रूप से ये उम्मीदें की जा रही थीं कि जो हमारी परम्परागत शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी शिक्षा का स्तर है, वह ऊँचा से ऊँचा होता चला जाय, निरन्तर उसमें वृद्धि हो, गुणवत्ता में इसकी सुधार हो। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, पिछले राज्य बनने के 09 वर्षों में समय-समय पर सुधार हुए, लेकिन जब से यह सरकार आई है इस सरकार ने एक ऐसा वातावरण बना दिया है, शिक्षक का एक सम्मान समाज और दुनिया में होता है। "गुरू गोविन्द दोनों खड़े काके लागू पायँ" भगवान और गुरू दोनों खड़े हों तो पहले गुरू के चरण स्पर्श करने की अपेक्षा की जाती है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह सरकार आई है दो मुख्यमंत्री इन तीन वर्षों में बदले हैं, यह मामला आपका आन्तरिक है।

माननीय अध्यक्ष जी, दो शिक्षा मंत्री, यह तो निशंक जी आपको सदबुद्धि आ गई, पहले तो आबकारी और शिक्षा का जो घालमेल खण्डूड़ी जी ने कर रखा था, बड़ा अटपटा सा लोगों को लगता था। एक तरफ आबकारी, एक तरफ मद्य निषेध का एक ही मंत्री था। लेकिन आपने आबकारी से हटाकर विभाग का अलग मंत्री बनाया है। मैं बधाई जरूर देता लेकिन शिक्षा की इतनी घोर उपेक्षा इस प्रदेश में होगी, इसलिए आबकारी विभाग को कैबिनेट मंत्रालय और पहली कक्षा से लेकर बारहवीं तक का इतना बड़ा ढाँचा है, जिस विभाग के जिम्मे एक लाख चालीस हजार कर्मचारी/शिक्षकों की जिम्मेदारी है और लाखों बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, जिससे हमारा प्रदेश उन्नति की ओर बढ़ेगा और समाज में परिवर्तन होगा। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, इतने महत्वपूर्ण विभाग में राज्य

मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया और इसीलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। क्या पूरे देश का शिक्षक, प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षक, जिसको विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए था वह विधान सभा के सम्मुख प्रदर्शन कर रहा है। आखिर उन शिक्षकों का कोई मान्यवर, संतुलन नहीं बिगड़ा है। अगर आज वह प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उनको प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज उनको अपनी माँगों के लिए तालाबंदी का कार्यक्रम शिक्षाधिकारियों के आफिस में करना पड़ा है तो इसलिए करना पड़ा क्योंकि दो–दो बार माननीय शिक्षा मंत्री जी से वार्ता सरकार ने स्थगित कर दी। दिनाँक 8.12.09 को शिक्षा मंत्री से वार्ता हुई फिर स्थगित हुई, उसके बाद दिनाँक 9.12.09 को उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। दिनाँक 14.12.09 को पुनः वार्ता का अनुरोध किया गया और लगातार शिक्षा मंत्री से शिक्षक वार्ता करना चाहते थे और अपनी समस्याओं को अपने परिवार के मुखिया के सम्मुख करना चाहते हैं लेकिन मुखिया से वार्ता न होने के कारण आज उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए कोई तैयार नहीं था तो नतीजा यह हुआ कि दिनांक 21.12.2009 को उन्हें जिलों पर तालाबन्दी का कार्यक्रम करना पड़ा कल विधान सभा के सामने धरना देना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अखबारों में पढ़ा ऐसा लगता है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, अखबारों की बातों का संज्ञान तो लिया नहीं जाता है, मेरे ख्याल से।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं संज्ञान नहीं ले रहा हूँ। यह प्रचार पूरे प्रदेश में किया जा रहा है कि विद्यालयों में छापेमारी हो रही है। (किसी माननीय सदस्य के मोबाइल की घण्टी की ध्वनि आने पर) माननीय शिक्षा मंत्री जी यह घण्टी इसलिए बज रही है क्योंकि मैंने कैबिनेट मंत्रालय की बात कर दी। (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि इस प्रदेश का शिक्षक, शिक्षक न होकर कोई अपराधी हो, डकैत हो, चोर हो या उच्चका हो। छापेमारी में धरा गया, पकड़ा गया। यह आज शिक्षकों के प्रति क्या माहौल प्रदेश में बना दिया गया हैं ? (माननीय सदस्य ओम गोपाल जी द्वारा अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहने पर) माननीय ओमगोपाल जी, आप भी ऐसे विद्यालयों में पढ़े हो, तभी तो ऐसे हो गये हो। मैं तो ऐसे शिक्षक से पढ़ा हूँ जिससे हमें 2 + 2 = 4 बताया है। तीन या पाँच नहीं कहता था। माननीय अध्यक्ष जी, प्राथमिक शिक्षक अपनी कुछ माँगों के लिए आंदोलित हैं।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, एक मिनट। जब तक मैं आज की कार्यसूची में निर्धारित मदों को पूरा करने तक सदन की कार्यवाही की समयावधि बढ़ाये जाने की घोषणा करता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उनकी पहली माँग है कि 611 जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूलों में उच्चीकृत किया जाए और जब इन जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूलों में उच्चीकृत किया गया, तब उन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जूनियर हाईस्कूलों में जो शिक्षक कार्यरत थे, उन शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में समायोजित करने का निर्णय लिया गया। इससे उन शिक्षकों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है।

मान्यवर, 21 अक्टूबर, 2009 को एक शासनादेश जारी किया गया है, एक किलोमीटर के दायरे में जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको मर्ज कर दिया जायेगा तथा तीन किलोमीटर के दायरे में जो भी जूनियर हाईस्कूल हैं, उनको भी विलय किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस कारण मध्य सत्र में ऐसी स्थिति में इस ब्लॉक खण्ड और मुख्यालय में एक अव्यवस्था जैसी हो गयी और ऐसा माहौल बन गया है।

आज अध्यापक इस बात को देख रहा है कि हमारा विद्यालय मर्ज हो रहा है और खण्ड शिक्षाधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी के चक्कर काट रहा है और पूरे विकास खण्डों में शिक्षा व्यवस्था ठप्प हो गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ हमने इन विद्यालयों का राजकीयकरण कर दिया गया है। जो बेसिक शिक्षा में विद्यालय थे, कक्षा एक से आठ तक के और कक्षा नौ से बारह तक के जो माध्यमिक विद्यालय में थे। हमने एक से बारह तक सभी शिक्षकों को राजकीय शिक्षक घोषित कर दिया गया है। सब राजकीय शिक्षक घोषित कर दिये गये। मान्यवर, हमने उत्तर प्रदेश में रहते हुए सी0टी0 वेतनमान को मृत घोषित कर दिया। मान्यवर, अब माध्यमिक विद्यालयों में तीन प्रकार के वेतनमान रह गये हैं। जिसमें से एक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतनमान, दूसरा हाईस्कूल के अध्यापकों का वेतनमान, जिसे एल0टी0 कहते हैं और तीसरा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतनमान, जिसे लेक्चर कहते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, जो अध्यापक जूनियर हाईस्कूल विद्यालय में कार्य कर रहे हैं वे शिक्षक आज एल0टी0 का वेतनमान लेते हैं। अगर अब आप जूनियर हाईस्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं, उन शिक्षकों को हटाने की आवश्यकता नहीं है। वे शिक्षक उसी हाईस्कूल में रह सकते हैं, अगर आज जूनियर हाईस्कूल में साइंस का शिक्षक नहीं है तो उस विद्यालय से आप साइंस विषय का अध्यापक ला सकते हैं और अंग्रेजी का ला सकते हैं, गणित के शिक्षकों को ला सकते हैं। मान्यवर, उन विद्यालयों को हटाने की क्या आवश्यकता पड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए इन शिक्षकों की बात को सरकार और निदेशालय स्तर पर नहीं सुना जा रहा हैं। इन्होंने माँग की है कि हमारे लिए अलग से बेसिक शिक्षा निदेशालय माध्यमिक और बेसिक विद्यालय को सम्भालने में असमर्थ है, मान्यवर, जब इनको राजकीय कर्मचारी घोषित किया गया है तो इनके ए0सी0पी0 की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। मान्यवर, जो छठे वेतनमान में विसंगतियाँ रह गयी है, जो शासनादेश संख्या–41 में दी गयी है, वह 13 जनवरी, 2009 का है। इन विसंगतियों

को भी दूर किया जाना चाहिए। मान्यवर, इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन हो, मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप शिक्षक को लाठी के बलबूते विद्यालय में भेज सकते हैं और विद्यालय से कक्षा में भी भेज सकते हैं, अगर शिक्षक का पढ़ाने का मन नहीं होगा तो आप कैसे रोक लेंगे। इसलिए लाठी के बलबूते शिक्षक को विद्यालय नहीं भेजा जा सकता और आपको प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाना होगा कि शिक्षक अपने कर्तव्य को समझे। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ठप्प है और शिक्षक आक्रोशित हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा स्वीकार की जाय।

शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को एल0टी0 ग्रेड में पदोन्नति हेतु एल0टी0 सेवा नियमावली में 30 प्रतिशत का प्राविधान किया गया है। जिसमें से 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूलों से बेसिक शिक्षकों का समायोजन तथा 01 किलोमीटर की परिधि में संचालित प्राथमिक एवं 03 किलोमीटर की परिधि में संचालित जूनियमर हाईस्कूलों का एकीकरण कर आदर्श विद्यालयों की स्थापना के निर्णय सम्यक् विचारोपरांत शैक्षिक संवर्द्धन, छात्र संख्या में आ रही कमी एवं मितव्ययिता के दृष्टिगत ही लिए गये हैं। वर्ष, 2003–04 में राज्य सरकार ने राज्य की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयी शिक्षा का एकीकृत ढाँचा लागू किया गया। यह ढाँचा शिक्षा में सुधार हेतु गठित कोठारी आयोग की संस्तुति के ही अनुरूप है। छठे वेतनमान की वेतन विसंगतियों के प्रकरणों का निराकरण वित्तीय नियमों के अनुसार किया जा रहा है। इन निर्णयों से किराये के भवनों में संचालित भवनों से छात्रों की सुरक्षा की जा सकेगी साथ ही अनावश्यक किराये के रूप में अपव्यय हो रहे शासकीय धन को भी बचाया जा सकेगा तथा न्यूनतम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में कार्यरत अधिक अध्यापकों को कम अध्यापक वाले विद्यालयों में तैनात कर आदर्श विद्यालयों की संकल्पना को साकार किये जाने के लिए किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूँ कि दिनाँक 8.10.2009 को उनके अनुरोध पर हमारे आवास पर और दिनाँक 24.10.2009 को उनके अनुरोध पर हमारे कार्यालय में और दिनाँक 06.12.09 को इनकी वार्ता सुनिश्चित की गयी थी, लेकिन निदेशक के छुट्टी पर रहने के कारण उनके लिखित अनुरोध पर अब सत्र के बाद हमारी उनसे वार्ता सुनिश्चित की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये और थोड़ी देर बाद फिर वापस सदन में आ गए।)

*श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आज से दो दिन पहले 22 तारीख को रुड़की की एक बस्ती काशीपुरी में एस0डी0एम0 द्वारा लगभग 125 मकान, दुकान पर बुलडोजर चलवाया गया और माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, वे हजारों लोग आज खुले आसमान के नीचे हैं। यह समझ से परे की बात है कि एकदम यकायक कैसे अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने का फैसला लिया गया। इतनी भारी संख्या में जिन लोगों के घर गए हैं, जिनकी दुकानें गयी हैं, उनके प्रति सरकार गम्भीर नहीं दिख रही है और आज तक उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, अवैध बस्तियाँ रोज बनती हैं, फिर उनको उजाड़ने की व्यवस्था होती है, वह अवैध बस्ती नहीं थी, नगर पालिका से उनके नक्शे पास थे, कैसे उनके नक्शे पास हुए और आज कैसे उनको अवैध घोषित किया गया ? वहाँ सरकारी नाली थी।

माननीय अध्यक्ष जी, आज बहुत ही गम्भीर स्थिति रुड़की के अन्दर है, काशीपुरी मोहल्ले के अन्दर है, उसकी सुनहरा बस्ती के अन्दर है। मान्यवर, लोगों का कहना है कि एक नेता को फायदा पहुँचाने के लिए, एक नेता का मत बचाने के लिए, उन हजारों लोगों को बेघर किया गया है, उन्हें खुले आसमान के नीचे भगवान भरोसे छोड़ा गया है, अगर इसी तरह व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति होती रही तो मैं नहीं समझता कि सरकार व विधायक किसी के काम आयेंगे, तो ऐसा कुछ करें कि उन्हें दोबारा बसाया जा सके, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके सरकार के द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन करूँगा कि समूचे प्रकरण पर आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराई जाए।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शहजाद जी ने हरिद्वार जनपद के रूड़की शहर के काशीपुर बस्ती के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण के उद्देश्य से यह सूचना रखी है, चूँकि रूड़की हरिद्वार मोटर मार्ग के किनारे अतिक्रमण किया गया था, जैसा कि अवगत कराया गया माननीय शहजाद जी द्वारा, कि नगरपालिका परिषद् द्वारा इनके भवन प्लान भी पास किये गये थे। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह कार्यवाही अधिकाँशतः नगर पालिका परिषद्, रूड़की की सीमा के बाहर की भूमि पर की गई और चूँकि यह मार्ग प्रमुख मोटर मार्ग है और उस मोटर मार्ग पर दोनों ओर अतिक्रमण की गई भूमि है, काफी चौड़ी सड़क है और वर्तमान में अभी कुम्भ प्रारम्भ होने वाला है और आवागमन की कठिनाई को देखते हुये उस मोटर मार्ग का चौड़ा किया जाना आवश्यक था और विगत लम्बे समय से इन सभी अतिक्रमणकारियों से कहा गया था कि आप कहीं अन्यत्र व्यवस्था करें, लेकिन अन्त में मजबूर होकर नगर पालिका परिषद्, रूड़की की सीमा के बाहर स्थित भूमि में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के दृष्टिकोण से यह कार्यवाही अमल में लाई गई है। यह जनहित में आवश्यक हो गया था, इस कारण यह कार्य किया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शहजाद–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि यह बता दें कि उनके नक्शे पास थे या नहीं और कुम्भ के लिए कौन सा ट्रैफिक उस रास्ते से वहाँ जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बाई पास रोड़ है और इण्डस्ट्री से मिली हुई है, और इसके साथ–साथ जो नगर पालिका परिषद् की सीमा है, उससे बाहर है, कुछ सीमा से लगी है, पूरी तरह से अतिक्रमण था, इसलिए अतिक्रमण हटाया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, यह अधिनियम बहुत छोटा सा है और यह उत्तर प्रदेश आवास परिषद् विकास परिषद् की धारा–62, जिसमें विकास परिषद् क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति के कतिपय अन्तरणों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करने की व्यवस्था अधिकथित करता है। वर्तमान समय में स्टाम्प शुल्क पाँच प्रतिशत तक की दर नियत करने की शक्ति राज्य में निहित है। राज्य हित में इस व्यवस्था को निरसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस तरह से मूल अधिनियम की धारा–62 को निरसित किये जाने का प्राविधान इसमें किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि यह माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में सम्मिलित था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनहित में यह घोषणा की थी। वर्तमान में सम्पत्ति के कतिपय अन्तरणों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की दर को समाप्त करने पर राज्य के राजस्व दर में एक वित्तीय वर्ष में लगभग दो करोड़ की कमी आने की संभावना है। चूँकि इसमें जनहित में सार्वजनिक हित निहित था और इसके चलते हुए इसमें यह निर्णय लिया गया है। अतः सार्वजनिक हित को व्यापक दृष्टि से दृष्टिगत रखते हुए इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है।

मान्यवर, यह तो ठीक है कि स्टाम्प ड्यूटी को कम करके अतिरिक्त जो दो करोड़ का भार राज्य सरकार वहन करेगी। मान्यवर, मूल रूप से इस स्टाम्प ड्यूटी का प्रदेश की उन नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में, नगर निगम में और जहाँ–जहाँ आवास एवं विकास प्राधिकरण अवस्थापित हैं, उनको इस शुल्क को दो–दो प्रतिशत का आवंटन होना था। जहाँ विकास प्राधिकरण हैं, नगर पालिकाएं भी हैं, वहाँ मूल से इस स्टाम्प ड्यूटी से अर्जित धन का एक प्रतिशत नगर पालिकाओं को जाता था, विकास के अवस्थापना कोष में और एक प्रतिशत विकास प्राधिकरण को जाता था। मान्यवर, यह जो दो करोड़ का अतिरिक्त भार हुआ, क्या सरकार इस दो करोड़ के अतिरिक्त और व्यवस्था उन नगर पालिकाओं के लिए और उन सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के विकास के लिए करेगी ? यह मैं सरकार से जानना चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि ये अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की दर को समाप्त करने पर राज्य के राजस्व में एक वित्तीय वर्ष में लगभग दो करोड़ की कमी आने की संभावना है। मान्यवर, यह दो करोड़ रूपये अवस्थापना निधि में जाता था, यह बात सत्य है। लेकिन जब से जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत हमारे जितने भी बड़े नगर निकाय हैं, उनकी अवस्थापना सुविधाओं के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, उसके बाद उनकी अवस्थापना विकास का कार्य जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गयी।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत मात्र 3 नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र आच्छादित है। नगर निगम, देहरादून का क्षेत्र है, हरिद्वार का क्षेत्र है और इसी तरह से नैनीताल का क्षेत्र है। बाकी प्रदेश की जो छोटी नगर पालिका और परिषद् हैं, उनकी जो स्थिति है उनके लिए 2 करोड़ के अवस्थापना कोष में जाना चाहिए। आपने 3 को तो केन्द्र की योजना से आच्छादित कर दिया, लेकिन 2 करोड़ का स्टाम्प ड्यूटी का जो भार है, वह उनमें वितरित होना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूँकि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 इसको कम्पनसेट करेगा, जिन जगहों पर उसके माध्यम से प्रोजेक्ट दिये गये हैं। बाकी जगह तो राज्य सरकार स्वयं देखती है और नगर पालिकाओं की अवस्थापना सुविधाएं अपने स्तर पर प्रदान करती हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा यह कहना है माननीय मंत्री जी से, कि बाकी नगर पालिका परिषदों और पंचायतों को भी उसके क्षेत्र में स्टाम्प ड्यूटी का एक प्रतिशत जाता था और विकास प्राधिकरणों को भी जाता था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बता दिया है।

जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, आपने तो यह कह दिया कि यह उन नगर पालिका परिषदों और पंचायतों को नहीं मिलेगा, जो उस परिधि में नहीं है। जे0एन0यू0आर0एम0 उन्हीं को कम्पनसेट करेगा, औरों को नहीं करेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उनको तो राज्य सरकार अतिरिक्त सहायता देती है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, सरकार अतिरिक्त रूप से सहायता देती है। लेकिन यह उनका मूल रूप से अधिकार है, एक प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी को लेने का और 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी को ट्रॉसफर करने का। यह उनका मौलिक अधिकार है और एक्ट में भी यह व्यवस्था है। मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि छोटी नगर पालिकाओं और पंचायतों को 2 करोड़ की व्यवस्थाएं दी जाएं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से 3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या................वर्ष 2009)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) का उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर संशोधन हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों को विवर्जित करते हुए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा–62 का निरसन

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–62 उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

निरसन और अपवाद

3. ऐसे निरसन के होते हुए भी मूल अधिनियम की उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (संशोधन) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक भी मूल विधेयक उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 की धारा–34 को निरसित किये जाने के सम्बन्ध में है। वर्तमान समय में स्टाम्प शुल्क में 5 प्रतिशत तक की दर नियत करने की शक्ति राज्य में निहित है और राज्य सरकार

ने इसे निरसित करने का निर्णय लिया है। चूँकि श्रीमन्, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से राज्य सरकार एवं सम्बन्धित निकायों के त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और सम्बन्धित निकायों को निर्धारित महत्वपूर्ण सुधार कार्य 2005 से 2012 की मिशन अवधि के अन्तर्गत निर्धारित समय से पूर्व करने थे। इनमें से कुछ रिफार्म्स इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने हैं और वर्ष 2010–2011 तक स्टाम्प ड्यूटी पांच प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत लाये जाने हेतु आवास विभाग द्वारा प्रत्यारोपित दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क समाप्त किया जाना है। इसमें से एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क पिछले वर्ष समाप्त कर दिया गया है, शेष एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क भी उपरोक्त अधिनियमों में संशोधन के उपरान्त समाप्त हो जायेगा। श्रीमन् यह भी उल्लेख करना है कि स्टाम्प ड्यूटी को 2010–11 तक 5 प्रतिशत लाने का शेष कार्य भी सम्पादित किया जाना है। इस स्टाम्प ड्यूटी के समाप्त हो जाने के पश्चात् सम्पत्ति के कतिपय अन्तरणों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की दर को समाप्त करने पर राज्य के राजस्व में एक वित्तीय वर्ष में लगभग 17 करोड़ की कमी आने की सम्भावना है और इस कमी की प्रतिपूर्ति, कम्पनशेसन भारत सरकार देगी। जो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के माध्यम से हमको दिया जायेगा और जो यह त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 हुआ था, उसके अनुसार महत्वपूर्ण सुधार कार्य निर्धारित किये गये हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में एक संशोधन आप लोगों के समक्ष रखा गया है, इसलिये इसे सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से 3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या..................वर्ष 2009)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 का उत्तराखण्ड राज्य की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर संशोधन हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों को विवर्जित करते हुए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा–34 का निरसन

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–34 उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

निरसन और अपवाद

3. ऐसे निरसन के होते हुए भी मूल अधिनियम की उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया गया।

श्रीमन्, यह भी एक छोटा सा विधेयक है और उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश, 2006 की

धारा–39 सम्पत्ति के कतिपय अन्तरणों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करने की व्यवस्था अधिकथित करता है। वर्तमान समय में स्टाम्प शुल्क की 1 प्रतिशत की दर को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। श्रीमन्, इसको समाप्त होने के पश्चात् एक वित्तीय वर्ष में लगभग 16 करोड़ की कमी आने की सम्भावना है और यह कमी भी अवस्थापना विकास के अन्तर्गत चयनित तीनों जनपदों के अतिरिक्त, जितने भी नगर निकाय हैं, उनको भी दिये जाने का प्राविधान इसके अन्तर्गत है। इसलिये इसका कोई अतिरिक्त आर्थिक भार इस राज्य के ऊपर नहीं पड़ेगा, इसीलिये इस अत्यावश्यक संशोधन को सर्वसम्मति से पारित किया जाय।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक पर इस संशोधन के द्वारा फिर वहीं पर एक बात आ जाती है कि अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को हटाकर यह सरकार एक ओर तो संसाधनों की बात करती है कि सरकार के पास संसाधन कम हैं। मान्यवर, और दूसरी ओर जो स्टाम्प ड्यूटी और अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में सरकार को धन आ रहा है। 16 करोड़ की व्यवस्था एक है, 17 करोड़ इससे पहले वाले, 33 करोड़ वो हो गया, और दो करोड़ उससे पूर्व वाले में कुल 35 करोड़ के संसाधन को बहुत ही आसानी से एक संशोधन के माध्यम से सरकार यह स्वीकार कर रही है कि सरकार के पास आय के संसाधन बहुत हैं। यह तो स्वाभाविक है, स्टाम्प ड्यूटी आदमी प्रदान करता है और उस स्टाम्प ड्यूटी के तहत जिस क्षेत्र में भी चाहे क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत हो, चाहे नगर पालिका परिषदों के अन्तर्गत हो, चाहे नगर निगम के अन्तर्गत हो, जो भूमि और भवन को खरीदता है, वो स्टाम्प ड्यूटी को स्वाभाविक रूप में देना चाहता है और वो भी एक प्रतिशत। 5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत के रूप में जो स्टाम्प ड्यूटी सरकार ने मैं समझता हूँ कि माफ की है, पिछले वाले में तो इंगित किया है कि केन्द्र सरकार इसकी कहीं से भरपाई करेगी और वर्तमान जिस विधेयक को सरकार लायी है, उस विधेयक में कहते हैं कि 16 करोड़ की व्यवस्था अवस्थापना कोष से होगी। मैं यह सरकार से जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी धनराशियों को, क्योंकि स्थानीय निकाय की जितनी नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती चली जा रही है। न सरकार अवस्थापना से उनको पूरी मदद दे पा रही है, न ही वो अपने विकास क्षेत्रों में अपने अनुरूप कोई कर लगा पा रही है और जो कर स्वाभाविक रूप में एक नागरिक देना चाहता है, उस कर को भी आप समाप्त कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार की ये एक अच्छी पहल है।

सरकार अगर मात्र माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर अमल करती है और प्रदेश के संसाधनों को खोखला करती है तो मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार का ये अच्छा कदम है। मान्यवर, और इससे वो होने वाले विकास कार्य प्रभावित होंगे और हम ये मानते हैं मान्यवर, कि अवस्थापना कोष में भी नगर पालिकाओं या नगर परिषदों को यदि आप धन आवंटन करते हैं तो उसमें अतिरिक्त 16 करोड़, अतिरिक्त 2 करोड़, 35 करोड़ की अतिरिक्त सहायता, जो उनको मिल रही है सहायता, उसके अतिरिक्त 35 करोड़ की सहायता उन नगर पालिकाओं को उसी वित्तीय वर्ष में दी जाय जिस वित्तीय वर्ष में,

उनको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यह सहायता दी जाय। मान्यवर, सवाल ये है कि एक ओर शहरों पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, लोग पलायन करके आ रहे हैं और उन तमाम सुविधाओं के लिए, उन सुविधाओं को सेवन करना पड़ता है, चाहे वो पानी की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे सफाई की हो। मान्यवर, चाहे सड़कों की हो, चाहे शहर में आवास विकास की हो, उन तमाम सुविधाओं को वे नगर पालिकाएं आसानी से दे नहीं पाती हैं, नगर पंचायतें उन नागरिकों को सुविधा नहीं दे पाती हैं। मान्यवर, उनके पास एक साधन था कि एक प्रतिशत, दो प्रतिशत, उनको ये पैसा मिलता और मिलकर वो अपने संसाधनों को बढ़ाते। उस पर सरकार यदि इस संशोधन को आवश्यक समझती है मान्यवर, तो मैं समझता हूँ कि जितना भी संशोधनों के द्वारा जो वित्तीय अनुदान कम होगा, वो 35 करोड़ का अनुदान उन नगर पालिका और पंचायतों के लिए उसी वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 35 करोड़ के हिसाब से प्लस प्रति वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाकर उनको अनुदान दिया जाय। तब ये कहीं पर सार्थकता सिद्ध करेगा मान्यवर, ये मैं सरकार से चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त—

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पूर्व में अवगत कराया जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के माध्यम से और भारत सरकार तथा राज्य सरकार और सम्बन्धित स्थानीय निकायों के मध्य त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 महत्वपूर्ण सुधार कार्यों के हेतु किया गया था श्रीमन्, उस एम0ओ0यू0 की एक शर्त ये थी कि स्टाम्प ड्यूटी जो शहरी क्षेत्रों में हैं, उसको हम पाँच प्रतिशत तक लाएं श्रीमान्। मान्यवर, चूँकि इन तीनों विधेयकों को, जिनको अभी मैंने सदन के समक्ष रखा था, जिनमें माननीय सदन की दो विधेयकों पर कृपा मिली है। जहाँ तक स्टाम्प ड्यूटी के कारण होने वाली वित्तीय हानि का सम्बन्ध है, चूँकि जो तीन बड़ी नगर पालिकायें हमारी हैं, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, ये तीनों की तीनों, इनकी सभी अवस्थापना सुविधाओं का विकास, जो कार्य इस स्टाम्प ड्यूटी के शुल्क से किया जाता रहा, वह अवस्थापना सुविधा का विकास जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के माध्यम से होगा और जो छोटी नगर पालिकायें हैं, नगर निकाय हैं उनके अन्तर्गत आई0डी0एस0एम0टी0 इन्ट्रीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ स्मौल मीडियम टाउन्स इस योजना के तहत अवस्थापना का विकास होगा। इसलिए अतिरिक्त कर जनता पर लगाये जाने की आवश्यकता नहीं और यह उस महत्वपूर्ण सुधार कार्य का हिस्सा है जिसका एम0ओ0यू0 भारत सरकार, राज्य सरकार और नगरीय निकायों के त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 के माध्यम से हुआ है, इसलिए यह होना आवश्यक है, इसीलिए यह संशोधन विधेयक रखा।

श्री किशोर उपाध्याय—

माननीय अध्यक्ष जी, नगर निकायों और नगर पंचायतों की जो स्थिति है, यह अच्छा होता कि सरकार जो यह संशोधन विधेयक ला रही है, जो छोटी नगर पंचायतों में है उनकी हालत ऐसी है, मेरे क्षेत्र में जैसे चम्बा नगर पंचायत हैं, उसकी कुल आय 18000 है और उसका खर्चा 75 हजार है, सरकार की तरफ से उनको कहीं भी कोई संसाधन उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे हैं और उसके अलावा मान्यवर, इन नगर पंचायतों

में न तो कोई यू0ओ0 की व्यवस्था है, वहाँ पर एक भी स्थायी कर्मचारी नहीं है और जब स्थायी कर्मचारी नहीं है तो उस नगर पंचायत का, उस नगर निकाय का काम कैसे चलेगा। अगर सरकार इस सम्बन्ध में समुचित विधेयक यहाँ पर लाती तो निश्चित रूप से हम सब उसका समर्थन करते। इसलिए सरकार इसमें गम्भीर नहीं है, मेरे विचार से इस विधेयक को आपको वापस लेना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, गम्भीरता कहाँ पर नहीं दिख रही है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, वहाँ पर यू0ओ0 क्या व्यवस्था है, उन छोटी इकाईयों के लिए कहाँ से संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं, कर्मचारी कहाँ से उपलब्ध करवा रहे हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह विधेयक तो कर्मचारियों से सम्बन्धित नहीं है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत साफ तरीके से अवगत करा दिया है कि ये दोनों योजनायें भारत सरकार के द्वारा संचालित हैं आई0डी0एस0 और जे0एन0एन0यू0आर0एम0। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि एक ओर आप संसाधनों में अपने आप कमी कर देना चाहते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी नहीं लेंगे दूसरी ओर क्या ये नगर पालिकायें और नगर पंचायतें और नगर निगम सुनिश्चित करेगा कि वहाँ पर उन नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों द्वारा दी जाने वाली तमाम नागरिक सुविधाओं को क्या सरकार निःशुल्क प्रदान करेगी ? क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा संचालित योजनायें हैं और नागरिक सुविधाओं की योजनायें हैं, क्या सरकार ऐसा करेगी, नहीं तो नगर पालिकायें अतिरिक्त कर भी लेंगी, हर चीज का कर लेंगी, ये तमाम अवस्थापनाओं का जो कोष बढ़ेगा, वह भारत सरकार देगी ? साढ़े पाँच हजार करोड़ रूपया हरिद्वार के अन्दर वर्ष, 2017 तक खर्च किया जाना है। मेरा आपसे सिर्फ यह आग्रह है कि क्या आप नागरिकों को यह सुविधायें प्रदान करेंगे ? तो उनसे आने वाले कर के रूप में जो नागरिक सुविधाओं का, जो आप प्राप्त करते हैं, क्या उसको सरकार माफ करेगी और जो आपकी दूसरी योजना है आई0डी0एस0 की है, उसके तहत आने वाली छोटी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को जब भारत सरकार राज्य अवस्थापना कोष में मदद दे रही है तो क्या वहाँ पर भी इसी तरह की नागरिक सुविधाओं से आप करों का निष्पादन समाप्त करेंगे ? यह दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, राज्य स्तरीय सुधार के तहत यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया का मूल आधार नगर निकायों को, चूँकि हम चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद–243 के तहत जो 74वाँ संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। चूँकि जिस तरह से 9 विभाग, अभी तक 12 वीं अनुसूची में

उल्लिखित 18 कार्यों में से नगर पालिकाओं को सौंपे गये हैं, वह उसी प्रक्रिया का हिस्सा है और हमारी सोच और दृष्टि है कि हम नगर पालिकाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर प्रदान करें और यह जो अवस्थापना सुविधाओं का प्रश्न है, इन दोनों बड़ी योजनाओं के आधार पर सभी नगर पालिकाओं में अवस्थापना सुविधायें दी जायेंगी और यह प्रयास रहेगा कि जिन नगर पालिकाओं में और अधिक किसी भी तरह की समस्यायें हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास रहेगा। लेकिन जो मूल प्रयास संविधान के अनुच्छेद–243 में अन्तर्निहित है, वह यही है कि हम नगर निकायों को अपने पैरों पर मजबूत होने में कामयाब बनायें।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, नगर पालिकायें आत्मनिर्भर होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन नगर पालिकाओं के स्वरूप के लिए क्या शासन और सरकार चिन्तित नहीं है। अगर सरकार चिन्तित होती तो देहरादून एक नगर निगम है, जहाँ 14 महीने में अभी तक डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ है। नगर पालिका परिषदें हैं, नगर पंचायतें हैं, वहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। मान्यवर, देखें, इस संरचना के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है। मान्यवर, संवैधानिक व्यवस्था है। एक्ट के तहत वहाँ चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन सरकार मूकदर्शी बनी हुई है। वह कहीं यह भी कहने की कोशिश नहीं कर रही है कि नगर पालिकाओं का जो कम्पोजीशन है, वह इनकम्पलीट है। मान्यवर हमारा यह मानना है कि समय पर इसके चुनाव होने चाहिए, कम्पोजीशन पूरा होना चाहिए और प्रत्येक नगर पालिका, नगर पंचायतों और नगर निगम के अध्यक्ष का उन तमाम व्यवस्थाओं में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनमें विधायकों का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इन विकास प्रा0 के अन्दर अगर देहरादून के अंदर और नगर निगम के अंदर है तो विधायक उसमें सदस्य नहीं है। हम चाहते हुए उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बड़ी चतुराई के साथ जो आपने नियम–310 प्रश्न लगाया था, उसका भी प्रश्न पूछ दिया। माननीय सदस्य की विद्वता की दाद देनी चाहिए, लेकिन मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि राज्य की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कनिष्ठ उपाध्यक्ष के निर्वाचन सम्बन्धी प्रकरण में उत्तराखण्ड नगर पालिका स्थानों और पदों में आरक्षण और आवंटन संशोधन नियमावली, 2009 में कतिपय संशोधन कर दिये गये हैं और इसके पूरे प्रकरण को राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत करा दिया गया है और निर्वाचन किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से 3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या..................वर्ष 2009)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 का उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर संशोधन हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ — 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा–39 का निरसन — 2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–39 उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

निरसन और अपवाद — 3. ऐसे निरसन के होते हुए भी मूल अधिनियम की उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य समन्वय समिति में विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन विकलांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–13 की उप धारा (1) एवं (2) के खण्ड (छ) के अन्तर्गत "राज्य समन्वय समिति" में विधान सभा के दो माननीय सदस्यगणों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् समझे जायेंगे, को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री किशोर उपाध्याय –

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री केदार सिंह फोनिया जी ने बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है, जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं और उनको खुश करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमको निःशुल्क दी है, इसके लिए भी धन्यवाद।

उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित किये जाने सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) की जाय। मान्यवर, (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जन सामान्य को सुविधा प्रदान करने हेतु वर्तमान विकास खण्डों की संख्या बढ़ाते हुए 30 नये विकास खण्डों के निर्माण हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा

*श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "यह माननीय सदन प्रबल सिफारिश करता है कि प्रदेश की विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रशासनिक दृष्टि से जन सामान्य को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में वर्तमान विकास खण्डों की संख्या को बढ़ाते हुए नए विकास खण्डों के सृजन पर गम्भीरता से विचार किया जाय, विशेषकर जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मछखाली, मझोड़, जालली, सोमेश्वर नये विकास खण्ड बनाये जाने तथा प्रदेश में लगभग 30 नये विकास खण्डों का निर्माण किए जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाय।"

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी बी0 एड0 में वर्ष, 2007–2008 तथा 2008–2009 में कट ऑफ मेरिट से नीचे अंक पाने वाले छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिये जाने से तथा आरक्षित वर्ग के पात्र छात्र–छात्राओं के लिए आरक्षित स्थान सामान्य वर्ग को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन कोटवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या–18 के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत चर्चा

श्री बृजमोहन कोटवाल–

मान्यवर, विश्वविद्यालय द्वारा बिन्दु संख्या–2 के अन्तर्गत प्रबन्धकीय कोटे में अनियमित प्रवेश के सम्बन्ध में जो कारण दिये गये हैं तथा बिन्दु संख्या–3 के संदर्भ में जो उत्तर दिये गये हैं, वह परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि विभाग ने अपने उत्तर में अनियमितताओं को स्वीकार किया है किन्तु उन अनियमितताओं को ठीक किये जाने हेतु कोई भी प्रस्ताव अथवा सुझाव या कार्य योजना शासन से इंगित नहीं की हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने से विश्वविद्यालय द्वारा की गयी गड़बड़ियों का समाधान नहीं हो जाता। जिन स्कूलों द्वारा इस विषय में अनियमिततायें बरती गयी हैं, उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? उसका भी उत्तर में कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, उक्त गड़बड़ियों के विरूद्ध जिन छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय के विरूद्ध आन्दोलन किया गया, सरकार द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए न्यायालय में वाद दायर किया गया, किन्तु उन अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जो कि नियमानुकूल नहीं है। अतः मैं इस विषय को नियम–51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा के लिए सदन में उठाना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा प्रांत का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश का महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण विषय है और इस प्रकार से शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर अनियमितताएं, भ्रष्टाचार अगर होते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी दुःख की बात है। मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जो अनियमितताएं पाई गयी हैं विश्वविद्यालय में और कहा गया है कि अब यह विश्वविद्यालय केन्द्र का हो गया है तो विश्वविद्यालय इस पर गहन विचार करेगा, यह उत्तर का औचित्य नहीं हैं।

मान्यवर, इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की जगह सामान्य वर्ग के कट ऑफ मैरिट के नीचे हैं, उनको प्रवेश दिया गया है। इतना ही नहीं उसमें भ्रष्टाचार किया गया है विज्ञान के अभ्यर्थियों की जगह कला के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये गये हैं। मान्यवर, मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ न कि सरकार की बात कर रहा हूँ। (व्यवधान) जिन निजी बी0एड0 कालेजों में किया गया है, सबसे प्रथम कट ऑफ मैरिट के नीचे प्रवेश दिये गए हैं, उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। द्रोण कालेज ऑफ मैनेजमैण्ट एण्ड एजुकेशन, देहरादून–2 एसजीआरआर, देहरादून में 05, गुरूकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर में–02, एसपी मैमोरियल श्रीनगर में–20, मसूरी इंस्टीटयूट ऑफ आईटी, देहरादून में–07 पेस्टलवीड बी0एड0 कालेज में–04, मालिनी वैली कालेज में–16, शकुन्तला देवी एजुकेशन, देहरादून में–09, रुड़की डिग्री कालेज, धनौरी में–02, श्री देव भूमि इंस्टीटयूट में–29, सीतादेवी मैमोरियल ऑफ एजुकेशन, ज्वालापुर में–19, मसूरी मैनेजमेण्ट इंस्टीट्यूट, मसूरी में 17, बिहाइव कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज देहरादून में 3, दून पीजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल साईस, धुलाकुई देहरादून में 01, दून इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग सुभाष रोड, देहरादून में 10, द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट, धामावाला में 01, इनके अलावा नारायण स्वामी उत्तरॉचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देहरादून ने विश्वविद्यालय को बी0एड0 प्रवेशों के सम्बन्ध में वाँछित सूचना नहीं दी। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव स्टडी एण्ड डेवलपमेन्ट, शिखापुर, रुड़की ने स्टेट तथा मैनेजमेंट कोटे की सूची एक साथ लगाई है। मान्यवर, यह बड़े दुख का विषय है, यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने कट ऑफ मेरिट से नीचे प्रवेश दिये हैं, अनुसूचित जाति के छात्रों की जगह पर सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिये हैं, इस प्रकार से अनियमिततायें और भ्रष्टाचार हुआ है, मनमाने ढंग से फीस वसूली है, भ्रष्टाचार किया है। मान्यवर, उन दोषी अधिकारियों–कर्मचारियों को दण्डित किया जाए, इस सम्बन्ध में जिन छात्रों ने आवाज उठाई है, उनके मुकदमें वापस किये जायें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रक्रिया यह है कि माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे, उसके बाद किसी भी माननीय सदस्य को कुछ पूछना हो तो वह पूछेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें आधे घंटे की चर्चा लिखी हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप नियम–51 के अन्तर्गत देखें, उसमें चर्चा का उल्लेख है। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, आप नियमावली का नियम–51 देखें, क्या प्रक्रिया है, यह स्पष्ट हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रक्रिया देखें, इसमें क्या दिक्कत है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, शैक्षणिक सत्र, 2007–2008 के लिए हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय में कुल 37 स्ववित्त पोषित बी0एड0 संस्थान सम्बद्ध थे और 12 मई, 2008 को राज्य कोटे की 50 प्रतिशत सीटें विश्वविद्यालय द्वारा संस्थानों को अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प वरीयता पत्र के आधार पर प्राप्तांकों की वरीयता के अनुसार और शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का अनुपालन करते हुए आवंटित की गयी थी, जिनमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। मान्यवर, प्रबन्धकीय कोटे की शेष 50 प्रतिशत सीटें जिनमें प्रवेश पर सभी संस्थानों को विश्वविद्यालय द्वारा एक कट ऑफ मैरिट भी उपलब्ध करा दी गयी थी और जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि इस कट ऑफ मैरिट के अन्तर्गत संस्थानों को प्रवेश करने होंगे तथा शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का अनुपालन करना होगा। प्रबन्धकीय कोटे के अन्तर्गत अनियमित प्रवेशों की शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् संस्थानों से प्रबन्धकीय कोटे के अन्तर्गत किये गये प्रवेश की सूची माँगी गयी। इन सूचियों की जाँच कुलपति द्वारा एक जाँच समिति के माध्यम से करवायी गयी और जाँच समिति द्वारा पाया गया कि 18 बी0एड0 संस्थानों ने वर्ष, 2007–2008 में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कट ऑफ मैरिट से नीचे अभ्यर्थियों का प्रवेश किया है। इसके अतिरिक्त 14 स्ववित्त पोषित बी0एड0 संस्थानों द्वारा प्राविधानों की अवहेलना की गयी, जिसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून को विश्वविद्यालय के द्वारा दिनाँक 04–02–2009 को पूरा प्रकरण संदर्भित किया गया। इस संदर्भ में समय–समय पर कार्यवाही की जाती रही। राज्य सरकार द्वारा उक्त सभी संस्थानों की स्थाई सम्बद्धता समाप्त किये जाने का प्रकरण महामहिम कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मान्यवर, 15 जनवरी, 2009 को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा गढ़वाल विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात् कुलपति द्वारा दिनाँक 16–05–2009 के द्वारा अलग अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् (एन0सी0टी0), नई दिल्ली से भी इन संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। वर्ष, 2008–2009 के लिए प्रवेश परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अद्यतन स्थिति यह है कि दिनाँक 15–01–2009 से गढ़वाल विश्वविद्याय केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है और इस विश्वविद्यालय पर राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। एन0सी0टी0 की उक्त क्षेत्रीय समिति की 146वीं बैठक दिनाँक 5 से 7 अगस्त तक में, समिति द्वारा अधिनियम, 1993 की धारा–17 के अन्तर्गत

24 बी0एड0 संस्थानों शैक्षिक सत्र, 2009–2010 के लिए स्थाई सम्बद्धता समाप्त किये जाने का निर्णय ले लिया गया है।

श्रीमन्, इसके पश्चात चूँकि राज्य सरकार के माध्यम से जो प्रक्रिया की जानी थी, वह प्रक्रिया समाप्त हो गयी। इसलिए अब आगे इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही इस प्ररिप्रेक्ष्य में किया जाना संभव नहीं है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–51 की सूचना पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, राज्य कोटे की 50 प्रतिशत सीटों पर प्राप्तांकों के अनुसार छात्रों को सीटें एलॉट की गयीं, यह बिल्कुल सही है। यह समस्या केवल गढ़वाल विश्वविद्यालय की नहीं, बल्कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय की भी यही समस्या है। मान्यवर, दिक्कत प्रबन्धकीय कोटे में ही आ रही है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने साफ–साफ कहा कि विश्वविद्यालय के द्वारा जब कट ऑफ मैरिट जारी की जा रही है, तो विश्वविद्यालय स्वयं सेंट्रल काउन्सिलिंग क्यों नहीं कर रहा ? जबकि पिछले वर्षों में यदि हम ध्यान दें तो 28 हजार बी0एड0 की फीस होती थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह तय किया गया कि अलग–अलग फीस नहीं होनी चाहिए, एक ही कोर्स के लिए और विद्यालय के प्रबन्धकों के साथ शासन ने मीटिंग की और फीस को 28 हजार से बढ़ाकर 40 हजार किया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सारी सीटों में काउन्सिलिंग विश्वविद्यालय स्वयं करेगा। इसी आधार पर फीस को 28 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया गया। उसके बाद भी 50 प्रतिशत सीटों पर कट ऑफ मैरिट जारी करने के बाद भी जो अनियमितता होती है। यह बात तो ठीक है कि यह जारी होने के बाद विद्यालय के प्रबन्धक कट ऑफ मैरिट में 200 नम्बर हैं और वे ज्यादा पैसा लेकर 201 नम्बर वाले को एडमीशन देते हैं लेकिन 235 नम्बर वाला, 203 नम्बर वाला, 204 नम्बर वाला छूट जाता है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करें।

डा0 पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मेरा इतना ही कहना है कि जब यह निर्णय विभिन्न प्रबन्धकों के साथ लिया जा चुका था, शासन के द्वारा, उसके बाद विश्वविद्यालयों को स्वयं शत प्रतिशत सीटों की सेंट्रल काउन्सिलिंग करनी चाहिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर विषय माननीय कोटवाल जी ने यहाँ पर रखा है और मुझे यह लगता है कि जिस तरह से इन शिक्षण संस्थानों में अन्य लोगों को जो प्रवेश दिये जाते हैं, आरक्षित वर्ग को छोड़कर, निश्चित रूप से इसमें सरकार

और शासन सभी लोग शामिल हैं, इसलिए उन शिक्षण संस्थानों के विरूद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं होती। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर जो वक्तव्य दिया, उसमें जो दोषी अधिकारी हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ एक ही स्पष्टीकरण मैं जानना चाहूँगा। इसमें कहा गया कि आरक्षित वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, उनमें सामान्य वर्ग के जो छात्र–छात्राएं हैं, उनको प्रवेश दिया गया, यह गम्भीर विषय है। क्या आरक्षित वर्ग की छात्र–छात्राएं उपलब्ध नहीं थे, इस वजह से उनको प्रवेश दिया गया था उपलब्ध होने के बावजूद ऐसे छात्र जिनकी मैरिट नहीं थी, उनको प्रवेश दिया, तो यह गम्भीर विषय है। इसलिए सरकार को इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। जिस शिक्षण संस्थान द्वारा इस तरीके से आरक्षित वर्ग के छात्र–छात्राओं के स्थान पर अनारक्षित वर्ग के छात्र–छात्राओं को लिया गया, यह तो गम्भीर विषय है। विश्वविद्यालय की तरफ से जो कार्यवाही होगी, वह अलग है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी इसमें कोई ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

*श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्री कोटवाल जी द्वारा प्रस्तुत नियम–51 के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि कोटवाल जी के नियम–51 के प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही थी, उसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों में शिक्षा सत्र, 2007–08 में 50 प्रतिशत आरक्षित कोटा था। उनको भरे जाने में वास्तव में अनियमितता हुई है। (व्यवधान) कुमाऊँ में भी हुई, मैं मानता हूँ। परन्तु अनियमितता होने के बावजूद उस पर गम्भीरता से न लेकर मात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है, इसलिए उनको छोड़ दिया जाय। उनका अपराध माफ कर दिया जाय। मैं तो इस बात को ठीक नहीं समझता हूँ। कोई अधिकारी यदि पी0सी0एस0 होता है और उसने कोई अपराध किया होता है, तो आई0ए0एस0 होने के बाद उसका अपराध माफ हो जाता है क्या ? इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। इसमें ऐसे कई मामले हैं। मेरे पास एक मार्कशीट है, इसमें 201 नम्बर हैं जबकि 190 वाले का एडमिशन लिया गया और 201 वाले का नहीं लिया गया और वह भी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी था। केन्द्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकार हो, हमारे पदों को भर नहीं रही है, कह रही है कि यहाँ आदमी नहीं मिल रहे हैं और अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। केन्द्र सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि देश में जितने भी आरक्षित श्रेणी के पद रिक्त हैं, उनको जनरल से भर दिया जाय। यह तो बहुत ही घोर अन्याय हमारे साथ हो रहा है। आरक्षित वर्ग के इस विषय को गम्भीरता से लिये जाने की आवश्यकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने ऐसा कोई दिशा–निर्देश नहीं दिया है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये हैं, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सरकार इसे स्पष्ट करे और यदि दिशा–निर्देश केन्द्र सरकार के नहीं हैं, तो इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अपने उत्तर भाषण में इसे स्पष्ट कर देंगे।

श्री बृजमोहन कोटवाल–

मान्यवर, जो निजी बी0एड0 कालेज दुकानों की तरह से खोले गये हैं। उनका निरीक्षण किया जाय और कट ऑफ मैरिट के नीचे सामान्य वर्ग के बच्चों को वहाँ पर प्रवेश दिया गया है और अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र और छात्राओं को नहीं दिया गया, इसका तत्काल निरीक्षण किया जाय और सरकार इस ओर प्रभावी कदम उठाये। जिन छात्रों ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, मुसिफ कोर्ट में जो उन पर मुकदमा चल रहा है, उसे वापस लिया जाय और इस पर सख्त से सख्त कदम उठाये जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक प्रवेश सम्बन्धी विषय माननीय विधायक पुष्पेश त्रिपाठी द्वारा उठाये गये, जिसमें इन स्ववित्त पोषित बी0एड0 संस्थानों के अन्दर जो प्रवेश परीक्षा निर्धारित की गई है, वह उत्तराँचल अनुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों प्रवेश और शुल्क निर्धारण विनियम अधिनियम, 2006 की धारा–7 के माध्यम से की गई। जिसके अन्तर्गत यह प्राविधानित है कि सभी सरकारी सीटें राज्य सरकार द्वारा संचालित कॉमन परीक्षा और कॉमन काउंसिलिंग द्वारा भरी जायेंगी और निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में सरकारी सीटों के अतिरिक्त सभी सीटें सम्बन्धित अनुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं के द्वारा संचालित कॉमन परीक्षा और कॉमन काउंसिलिंग के द्वारा भरी जायेंगी। मेरे द्वारा पूर्व में माननीय सदन के संज्ञान में लाया गया था कि सभी 24 बी0एड0 संस्थानों में शैक्षिक सत्र, 2009–10 के लिये अस्थाई सम्बद्धता समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इसी परिप्रेक्ष्य में चूंकि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन गया और इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अधिनियम के माध्यम से यह प्राविधान है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के

अन्तर्गत सभी 189 संस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अन्दर अन्तर्निहित हो गये। इसलिए राज्य सरकार का सीधा हस्तक्षेप उनमें नहीं है और इस का संज्ञान लेते हुए श्रीमन्, दिनाँक 04 नवम्बर, 2009 को उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय को इस सम्पूर्ण प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए यह कहा गया है कि कृपया इन सभी, जिनमें से 18 ऐसे संस्थान, जिन्होंने कट ऑफ मैरिट के नीचे प्रवेश किये हैं और 14 ऐसे संस्थान, जिनके द्वारा आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया गया है और उनकी सम्बद्धता समाप्त किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। श्रीमन्, उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु ये पत्र भेजा गया।

श्रीमन्, इसके साथ–साथ वर्तमान में हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम राज्य के अंदर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाने का प्रयास करें और इस गुणात्मक मानकों को पूरा नहीं करते होंगे, उनके मानक पूरा करने हेतु कुलपति को निर्देशित किया गया है। इसके साथ–साथ उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों का जनपदवार निरीक्षण किया जा रहा है और इसके माध्यम से हम चाहते हैं और हमारा ये निर्णय है कि राज्य के अंदर स्थापित जितने तकनीकी और उच्च शिक्षा से सम्बन्धित जुड़े हुए संस्थान हैं, उन सब में निर्धारित मानकों के अनुरूप शिक्षण कार्य सम्पादित हो और उनके माध्यम से यहाँ के छात्रों को गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था और उनके शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की व्यवस्था में पारदर्शिता कायम हो, इस प्रक्रिया के तहत निर्धारित ये कार्यवाही की गयी है। श्रीमन्, इसलिए मैं सम्मानित सदन के संज्ञानार्थ के विषय रख रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने ये कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ये व्यवस्था की गयी है। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भरा जायेगा, ये केन्द्र सरकार के निर्देश हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य अपने विचार रख सकते हैं। इसे कार्यवाही से निकाल देना, यह [illegible] नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि केन्द्र सरकार के ऐसे कोई दिशा–निर्देश नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी है और विस्तार से बता दिया है।

उत्तराखण्ड में निजी नर्सिंग होम्स में मरीजों के सम्बन्धियों द्वारा चिकित्सकों से दुर्व्यवहार एवं तोड़–फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल सदस्य, विधानसभा द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–17 के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत चर्चा

*डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरे द्वारा एक तारांकित प्रश्न दिनाँक 21.12.2009 को जो रखा गया था, उस पर यहाँ पर जवाब सरकार द्वारा आया। प्रश्न ये था कि जो चिकित्सकों एवं नर्सिंग होम या सरकार हॉस्पिटल हों, उसमें जो मरीजों के सम्बन्धियों द्वारा दुर्व्यवहार या तोड़फोड़ की घटनाएं होती हैं, सरकार उन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कोई कानून बनाने का विचार रखती है ? मैं समझता हूँ कि सरकार ने इस प्रश्न को बहुत गम्भीरता से नहीं लिया और सीधा–साधा सवाल हैं कि इस प्रकार का कोई विचार सरकार का नहीं है, कहकर इस मामले को टाला। मान्यवर, इसी से जब संतुष्ट नहीं थे और इस जवाब से मैं ही क्या पूरा चिकित्सक समाज ही उत्तराखण्ड का त्रस्त रहा कि इस तरह का जवाब सरकार से आया तो आपके माध्यम से मैंने नियम–51 के अन्तर्गत चर्चा की आपसे माँग की। आपने सहृदय स्वीकार किया तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा स्वीकार की। मान्यवर, इस तरह की घटनाएं अनेक नगरों में उत्तराखण्ड के हो रहीं हैं, लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो संख्या में बहुत अधिक न हों पर अगर नर्सिंग होम में या सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के या नर्सिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार होता है या नर्सिंग होम या अस्पताल तोड़े जाते हैं। मान्यवर, तो उसका असर पूरे उत्तराखण्ड जिले के अन्य चिकित्सकों में भी, उसका भय व्याप्त हो जाता है।

इस समाज में उसका रिजल्ट आ रहा है वह यह है कि आज कोई मरीज गम्भीर प्रकृति का किसी नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर, उसके साथ जो 20–25 तीमारदार आते हैं, सम्बन्धी आते हैं, भीड़ को देखकर वह सोचते हैं कि इसे आगे रेफर कर दिया जाय। दूसरे अस्पताल में जाता है, वहाँ से तीसरे अस्पताल में रेफर होता है। कई बार तो एक नगर से दूसरे नगर में, यहाँ तक कि दिल्ली तक उस मरीज को ले जाना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन में 12–12 घन्टे लग जाते हैं। यह आये दिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखने को मिलता है, क्योंकि मैं भी एक चिकित्सक हूँ। तो डॉक्टर अपना पीछा छुड़ाते हैं और तीमारदार उस मरीज को लेकर एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। ऐसे में आवश्यक हो गया है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाय तो कम से कम एक संदेश इस राज्य सरकार द्वारा ऐसे लोगों के पास जाये कि इस तरह का जो दुर्व्यवहार है, वह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। मैं मान्यवर, आपको बताना चाहूँगा कि देश के कई राज्य जैसे कि आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा एवं महाराष्ट्र, ये आठ ऐसे राज्य हैं, जहाँ पर यह कानून बन चुका है और तीन राज्यों की आन्ध्र प्रदेश की, राजस्थान की और तमिलनाडु की ये जो गजट की प्रति है, उसको सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसी प्रकार कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में इस कानून को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मैं यह माँग करता हूँ कि यह अपराध संज्ञेय अन्य प्रदेशों मे बन गया है यहाँ पर भी बने ताकि चिकित्सक बेखौफ होकर ऐसे जो गम्भीर प्रवृत्ति के मरीज आते हैं, उनका इलाज कर सके। मान्यवर, इस तरह के जो कानून अन्य प्रदेशों में बने हैं, वह उत्तराखण्ड में भी बने, ऐसी मैं माँग करता हूँ। धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मानमीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया। मैंने पूरे राज्यभर से विगत तीन वर्षों के आँकड़े एकत्रित किये। प्रदेश में मरीजों से सम्बन्धित निजी चिकित्सकों से दुर्व्यवहार एवं नर्सिंग होम में तोड़–फोड़ की घटनाओं के सम्बन्ध में विगत तीन वर्षों में मुख्य रूप से जनपद ऊधमसिंह नगर में जो 04 अभियोग पंजीकृत हुए, इसके अतिरिक्त हरिद्वार में वर्ष, 2008 में 03, वर्ष 2009 में 04, देहरादून में वर्ष 2007 में 01, वर्ष 2008 में 01 और 2009 में 01, अल्मोड़ा में वर्ष 2007 में 01 और प्रदेश के शेष पाँचों जनपदों में भी कोई भी अपराध विगत तीन वर्षों में इस प्रकरण के दर्ज नहीं हुए। मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि निजी चिकित्सकों को विशेष सुविधा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनाँक 19 फरवरी, 2009 को डॉक्टर डिसूजा नानावती अस्पताल मुम्बई बनाम मुहम्मद अशफाक में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार उनके द्वारा कोई भी अभियोग इस सम्बन्ध का दिया जाता है तो वह तत्काल पंजीकृत किये जाने की व्यवस्था उसमें दी गई है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि निजी चिकित्सकों के विरूद्ध अपराध पंजीकृत करने से पूर्व ख्याति प्राप्त सम्बन्धित विशेषज्ञों और चिकित्सकों से अभिमत प्राप्त करने के बाद ही अपराधिक चिकित्सा लापरवाही के अभियोग पंजीकृत किये जायें।

डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आप उल्टा चले गये।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बात तो कहने दीजिए। मान्यवर, जन सामान्य और प्रदेश के नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना यह सरकार का दायित्व है और इसके लिए सरकार अत्यन्त संवेदनशील भी है। इसी अनुक्रम में निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम आदि की सुरक्षा के लिए सरकार संवेदनशील है। मरीजों के सम्बन्धियों द्वारा निजी चिकित्सकों से दुर्व्यवहार, नर्सिंग होमों में तोड़ फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय दण्ड विधान में निहित प्राविधानों के अपराध पंजीकृत कर समुचित वैधानिक कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था वर्तमान में संचालित हो रही हैं, जैसा कि मैंने आपके रूद्रपुर के चार प्रकरणों का उल्लेख किया। मैं इसको कहना चाहूँगा कि अरोड़ा क्लीनिंग किच्छा इसमें धारा 147, 148, 352, 323, 324, 504, 506 और 527 इतने अधिक मुकदमें कायम किये गये।

डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहूँगा। मान्यवर, अस्पतालों के लाखों रूपये के उपकरण तोड़ दिये जाते हैं। मान्यवर, एक तरह से यह एक बहुत बड़ी समाजिक बुराई है। आज पूरे देश के आधे से ज्यादा राज्यों में कानून है और इसकी आवश्यकता यहाँ भी महसूस हो रही है, मात्र धारा लगाने से कुछ नहीं होगा, इसमें एक अलग से कानून होना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अद्यतन इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सिंघल जी की बात संज्ञान में रखते हुए मैं इस सम्पूर्ण प्रकरण को जो अन्य राज्यों में कानून बना है, उसका परीक्षण करवा लूँगा।

श्री शहजाद–

मान्यवर, जो मरीज आते हैं अस्पताल में उनके प्रति भी डॉक्टरों की कोई जिम्मेदारी है या नहीं। इसके लिए भी कोई नियम बनेगा कि किस मरीज को लेना है, किस मरीज को नहीं लेना है। नर्सिंग होमों में कभी–कभी मरीजों को लेने से इन्कार कर दिया जाता है। मरीजों की सुरक्षा का ध्यान भी तो डॉक्टरों को रखना चाहिए। वे कभी–कभी बहुत लापरवाही से मरीजों का इलाज करते हैं, जिससे हादसे हो जाते हैं। इसके लिए भी कानून होना चाहिए कि डॉक्टर भी अपने फर्ज को निभाये।

*श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, सिंघल जी द्वारा जो बात उठाई गई, वास्तव में यह बहुत ही गम्भीर विषय है। यह मसला केवल एक शहर या देश का नहीं है। उसी को मद्‌देनजर रखकर आज 8 प्रदेशों ने एक्ट बनाया है। आज चिकित्सकों में भय व्याप्त है और जो नर्सिंग होम हैं, सरकारी अस्पताल भी हैं, उन पर भी इसी तरह के आक्रमण होते हैं। इसलिए अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई गम्भीर मरीज अस्पताल में आता है और यदि चिकित्सकों द्वारा उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया और अगर कहीं उसकी मृत्यु हो गई, तो चिकित्सकों के ऊपर भी और चिकित्सालय पर भी हमले होते हैं, तोड़–फोड़ होती है और मशीनों से तोड़फोड़ की जाती है। यहाँ तक भी देखने में आया है कि अगर कोई मरीज मृत्यु शैय्या पर है, उस वक्त वह किसी नर्सिंग होम में जाता है और उसकी मृत्यु बीच में ही हो जाती है और वहाँ जाकर डॉक्टर यह कहते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई है, तब भी उस डॉक्टर के ऊपर एक्शन होता है। हाँ, माननीय शहजाद जी ने भी जो बात उठाई है कि चिकित्सकों के ऊपर भी कुछ अंकुश लगाना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से चिकित्सकों पर हमला होता है, उनके पास कोई मरीज आता है तो वे उसको एवाइड करते हैं कि उसे अपने यहाँ भर्ती न करे, वे आगे रैफर कर देते हैं, इसलिए अगर मरीज बच सकता था, इस चक्कर में उसकी बीच रास्ते में मृत्यु हो जाती है। रूड़की में भी इसी तरह के केसेज हो चुके हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार से कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों ने एक्ट बनाया है, इस राज्य में भी यह एक्ट बनना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से लिखित रूप में भी कर चुका हूँ। मैं अपनी भावनाओं को सदन के सामने भी रख रहा हूँ।

मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन है सरकार से, कि इस विषय में जैसे और प्रदेश में एक्ट बनाया है, इसी तरह से उत्तराखण्ड में भी एक्ट अवश्य बनना चाहिए और इस सम्बन्ध में मैं बार–बार स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री से भी अनुरोध लिखित रूप में कर चुका हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस सदन में भी अपनी भावनाओं को प्रकट कर चुका हूँ कि इसके ऊपर एक्ट अवश्य बने।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ पर जो तथ्य रखे गये, उन्होंने तो इंडीविजुअल केस में बता दिया कि इसमें ज्यूडिसियल कार्यवाही हुई है, लेकिन आवश्यकता यह है कि किस तरह भय मुक्त होकर ये चिकित्सक अपने कार्य को अन्जाम दे सकें। मान्यवर, जब डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप हो सकता है तो उसे अपने कार्य करने के लिए भय मुक्त किया जाय। मान्यवर, हमारे संविधान में कार्य करने की जैसे ज्यूडिसियल इम्यूमिनिटी है, उसी तरह से मेडिकल सर्विसेज को भी एक एक्ट या लॉ की आवश्यकता है। जब आठ प्रदेश में यह कानून बन चुका है तो हमारे राज्य का यह संज्ञान लेना चाहिए, दो में और बनने जा रहा है वह भी पाईप लाईन में प्रोजेक्ट है। मान्यवर, यदि नर्सिंग होम में जान–माल का नुकसान होता है तो उसका उत्तरदायी कौन होगा ? क्या किसी की जिम्मेदारी निहित की गयी है ? इसलिए मैं मान्यवर, आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस अति महत्वपूर्ण विषय पर इसका संज्ञान लेते हुए अविलम्ब इस पर बिल पास कर एक कानून बनाने का कष्ट करें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि जहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का सवाल है, वहीं प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों की बहुत संख्या है। जिनकी डिग्रियाँ ए से जेड तक पता नहीं क्या–क्या होती है। क्या इनके खिलाफ भी कानून बनाने के लिए सरकार कोई कानून बनाने का प्रयास करेगी या निर्णय लेगी ? आज तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत हल्के तरीके से लिया है। मान्यवर, रात बारह, एक बजे चिकित्सक इलाज के लिए नर्सिंग होम में बुलाये जाने पर आ जाता है और अकेला चिकित्सक होता है, उसके पास केवल एक या दो स्टाफ होता है और 40 या 50 लोग उस सीरियस मरीज के साथ आते हैं और मरीज के साथ यदि वहाँ कुछ हो जाता है और किस तरह से डॉक्टर पर हाथ और लात पड़ती है और नर्सिंग होम तोड़े जाते हैं। मान्यवर, इन डॉक्टरों को एक एक्ट के माध्यम से सुविधा नहीं दे सकते हैं, जिसमें न कोई पैसा लग रहा है। जब कोई तोड़–फोड़ करता है तो दण्ड दिया जाता है, बिना किसी बात के किसी और को नहीं फंसाया जा रहा है।

मान्यवर, क्या हम मानवता के नाते जब डॉक्टर रात के बारह बजे, एक बजे, दो बजे और तीन बजे उठकर किसी व्यक्ति का उपचार करता है, वैसे मान्यवर, अगर किसी को सामान्य रूप से आवाज लगायी जाती है तो वह उठता भी नहीं है, वह रजाई से मुँह निकाल कर कह देता है कि कल आना। मान्यवर, यदि डॉक्टर रात में उठकर आता है और मरीजों को देखता है, उस पर हमला होता है। सरकार इतनी भी संवेदनशील नहीं इस एक्ट के माध्यम से कि एक डॉक्टर को प्रोटेक्ट कर दिया जाय। मान्यवर, पूरे देश में बनता जा रहा है और पूरे देश की माँग है और इस प्रकार के एक्ट का अगर सरकार इसमें एक आश्वासन भी दे देती, वह अच्छा लगता, मगर आपने कह दिया कि इसका परीक्षण करा लेंगे और यह परीक्षण कब तक होगा। क्या अगले बजट सत्र तक इस पर एक्ट लाया जायेगा ? मान्यवर, सरकार की तरफ से एक विनिश्चय आना चाहिए, हमारा यह सौभाग्य है कि इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ गये हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जैसा मैंने अवगत कराया कि अन्य राज्य की भी विधिक परिस्थितियों का परीक्षण कराया जायेगा, इसके बाद भी सम्यक् विचारोपरान्त ही कुछ निर्णय लिया जायेगा।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, हिमाचल में भी इसी प्रकार का एक्ट बनाया जायेगा।

(माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल अपनी बात को कहते हुए 'वेल' में आ गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आ गये।)

(घोर व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जायेंगे, तब तक इनकी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। (भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर गए।)

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य की चिन्ता है, वह स्वाभाविक भी है और ठीक भी है और इसीलिए श्रीमन्, जो सरकार की ओर से वक्तव्य आया है, यदि इस बात को गम्भीरता से नहीं लिया जाता तो सरकार फिर परीक्षण क्यों करती है, और इसलिए कहा गया जैसा कि अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हिमाचल में भी ऐसा एक्ट आ रहा है तो निश्चित रूप से हम उसका परीक्षण करके कार्य करेंगे।

नियम–105 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया तक रेलवे लाईन बिछाई जाय ताकि उक्त सुदूर क्षेत्रों का समग्र विकास से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर से जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया तक रेलवे लाईन बिछाई जाय ताकि उक्त सुदूर क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके।"

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा के लिए समय दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में रामनगर से चौखुटिया तक रेल लाईन जाने का मामला कई वर्षों से चल रहा है, जोकि पहाड़ के लोगों की कई वर्ष पुरानी माँग है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में वर्ष, 1903 में ही लार्ड कर्जन के द्वारा रेल लाइनें बिछा दी गयी थी और वहाँ 103 सुरंगें और 969 ब्रिज और 919 मोड़ को पूरा करते हुए करीब 20 रेलवे स्टेशनों को पार करते हुए रेलें चल रही हैं और कई शिवालिक एक्स0, हिमालयन क्वीन, शिमला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कालका पैसेन्जर ट्रेन, इस तरह की ट्रेनें चल रही हैं। इसी तरह न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग में भी करीब 87.48 किलोमीटर की सड़कें 1881 में भी उन पर काम शुरू हो गया था और वर्ष 1947 तक करीब 35 लोको, 130 पैसेन्जर कोच और 606 माल गुड वैगन उसमें चलने लगे और करीब 5 मेजर और 498 माइनर ब्रिज और 177 मानव रहित क्रॉसिंग।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय सुरेन्द्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ घोषणा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

विधायक निधि की राशि बढ़ाये जाने की घोषणा

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, सदन में जो माननीय विधायक होते हैं, उनके सामने पूरे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, छोटी, बड़ी बहुत सी ऐसी घटनाएँ होती हैं, जो माननीय विधायक के सामने आती हैं और वो उसकी स्वीकृति देते हैं और ऐसा लगा श्रीमन्, कि बहुत सारी छोटी–मोटी चीजें, जो समय पर नहीं होती हैं तो फिर बढ़ती चली जाती हैं, वे समस्याएँ लम्बे समय से माँग थी श्रीमन्, कि विधायकगण की ओर से माननीय नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेता शहजाद साहब और पिछली बार भी श्रीमन्, बातचीत हुई थी और ओम गोपाल जी, इन्होंने अभी चश्मा नहीं पहना है। श्रीमान्, ओम गोपाल जी कहते हैं कि जब मैं चश्मा पहनता हूँ, तभी मेरे ऊपर नजर जाती है, वैसे नहीं जाती। (हँसी) श्रीमन्, पहले यह राशि एक करोड़ की थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद दो किश्तों में उसको 25 और 25 लाख बढ़ाकर उस राशि को डेढ़ करोड़ कर दिया गया है, इस समय सभी माननीय विधायकों की माँग थी और इसलिए उस विधायक निधि में 50 लाख और बढ़ायेंगे। श्रीमान्, वैसे तो 5550 करोड़ रूपये माननीय विधायकों की सहमति से होते हैं और वह अनुमति मिलती है, लेकिन जो विधायक के सीधे निवर्तन पर है, वह 50 लाख है। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट सत्र में जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे थे, तो सभी माननीय विधायकों के अनुरोध पर हमने उनसे निवेदन किया था और उसके बाद उनके कक्ष में वार्ता हुई थी और उन्होंने 50 लाख वृद्धि करने की सहमति की थी। कल भी हमारी और माननीय शहजाद जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है और आज माननीय श्री प्रीतम सिंह, श्री शहजाद, श्री ओम गोपाल, श्री दिवाकर भट्ट और आज गन्ना विकास मंत्री जी के सम्मुख वार्ता हुई और मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी माननीय विधायकों की ओर से कि उन्होंने माननीय

विधायकों की भावना को, जो विकास के प्रति माननीय विधायकों की भावना है उन्होंने महसूस किया है, आप बहुत लम्बे समय तक माननीय विधायक रहे हैं और विधायक होने के नाते विधायक की जो जिम्मेदारी होती है, उसको महसूस करते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठने के बाद भी इस पीड़ा को समझा है, इसलिए मैं समस्त माननीय विधायकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं भी सभी की ओर से विशेष धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि जो आपने वायदा किया था, वह आज पूरा हुआ।

*समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री खजान दास)–

मान्यवर, कल हमने भी इस मामले को रखा और हमारा सम्मान किया, इसलिए हम भी धन्यवाद देते हैं।

नियम–105 के अन्तर्गत श्री ओत सिंह गुनसोला, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक पर्यटन के नये आयाम तलाशने के सम्बन्ध में चर्चा

श्री ओत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि ''प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक पर्यटन के नये आयाम तलाशे जाए''

मान्यवर, सभी माननीय विधायकों की ओर से ऐसा लग रहा है कि सबकी ओर से आपका साधुवाद, आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष जी, यह पर्यटन का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर मैं समझता हूँ कि सदन में और सदन के बाहर भी समितियों के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के माध्यम से, तमाम विशेषज्ञों की राय लेकर इस पर्यटन के विषय पर एक तरह से वृहद् चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि यह प्रदेश विशुद्ध रूप से हमारे नौजवानों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के स्थानीय नागरिकों को और तमाम आयामों को आर्थिकी से जोड़ते हुए नये अवसर प्रदान कर सकती है। यह चर्चा बहुत लम्बी है, बहुत ही वृहद् है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ यह चर्चा जारी रहे और इसकी निरन्तरता बनी रहे।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम–105 के अन्तर्गत डॉ0 हरक सिंह रावत द्वारा उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद–बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किया जाय।"

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री ओम गोपाल अपनी–अपनी सीट पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपको अपनी बात रखने का समय मिलेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह कौन सा प्रस्ताव माननीय नेता प्रतिपक्ष सदन के सामने आज ला रहे हैं। यह उत्तराखण्ड प्रदेश है, यह अलग राज्य है।

*श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड हमने जिन भावनाओं को लेकर बनाया था, यह उसका घोर अपमान है। नेता प्रतिपक्ष जी, यह उम्मीद आपसे नहीं थी। कल आप कह रहे थे कि आपके पास सरकार का पूरा आईना है, यह सरासर गलत है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, ऐसा प्रस्ताव लाना इस उत्तराखण्ड के 42 शहीदों का अपमान करना है। आज जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वे मुद्दे सदन में नहीं हैं। (व्यवधान)

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री ओम गोपाल एवं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना भी अपनी सीट पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी बात कहने लगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप सभी स्थान ग्रहण करें। आपको अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलेगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड की अपनी अलग भौगोलिक परिस्थितियों के साथ छेड़–छाड़ किसी कीमत पर मान्य नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हम क्या मुँह लेकर उस जनता के पास जायेंगे, जिन्होंने हमें यहाँ पर चुनकर भेजा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। सभी माननीय सदस्यों को अपनी–अपनी बात करने का पूरा अवसर मिलेगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, यहाँ पर गलत संकल्प लाया जा रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के साथ छेड़–छाड़ किसी कीमत पर मान्य नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे में तो हमारी विधान सभा ही समाप्त हो जायेगी। उत्तराखण्ड राज्य इसलिए नहीं बनाया गया था कि हम इसको मैदान में बढ़ायेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, आज बिजनौर की बात हो रही है, कल सहारनपुर की बात होगी। मान्यवर, जब एक पार्टी ने गैर उत्तराखण्ड का नारा दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे अपने संकल्प को वापस ले लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपको अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलेगा। कोई गलत प्रस्ताव पेश नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आपकी बात आ गयी है। आपको फिर अवसर दिया जाएगा अपनी बात कहने का।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस ले लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सत्ता पक्ष अपने सदस्यों को अनुशासित करे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया शांत रहें।

सभा मण्डप में घटित घटना पर मार्शल, विधान सभा की रिपोर्ट पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24–12–2009 को माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड लगभग 4:40 बजे जब सभा मण्डप में पहुँचे तो उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्याधिकारी, सुरक्षा स्टाफ, अन्य स्टाफ एवं एक अन्य व्यक्ति श्री शेर सिंह रावत, पुत्र श्री मातबर सिंह रावत, निवासी मकान नं. 72 प्रगति विहार, ऋषिकेश तथा श्री अजीत सिंह कण्डारी, पुत्र श्री मातबर सिंह कण्डारी, निवासी प्रगति विहार, ऋषिकेश भी सभा मण्डप की लॉबी तक पहुँच गये। उक्त लोगों को मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों तथा विधान सभा रक्षकों द्वारा रोका गया। श्री शेर सिंह रावत मुख्यमंत्री जी के साथ ही सभा मण्डप में चले गये। सभा मण्डप में तैनात सहायक मार्शल श्री सत्य प्रसाद गैरोला तथा प्रधान रक्षक श्री चन्द्र बल्लभ जोशी द्वारा उन्हें रोका गया तथा सभा मण्डप से बाहर लाया गया। श्री शेर सिंह रावत की तलाशी ली गयी तो उनके पास एक मोबाईल, पर्स तथा एक प्रवेश पत्र संख्या–0147, जो कि उनके नाम से सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत किया गया है, मिला।

श्री अजीत सिंह कण्डारी के पास से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं मिला। श्री शेर सिंह रावत तथा श्री अजीत सिंह कण्डारी ने पूछताछ के दौरान बताया कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी सभा मण्डप की ओर आ रहे थे तो वह सभा मण्डप की ओर जाने वाले रास्ते पर खड़े थे, तब श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, माननीय विधायक, ऋषिकेश द्वारा उन्हें इशारा कर अन्दर बुलाया गया तो वह भी सभा मण्डप की ओर आ गये, चूँकि वह प्रगति विहार समाज कल्याण समिति की सीवर लाईन से सम्बन्धित पत्रावली के कार्य हेतु विधान भवन आये थे। श्री शेर सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने समझा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय यहीं पर है और वे गलती से सभा मण्डप के अन्दर प्रवेश कर गये। सभा मण्डप के द्वार पर तैनात सहायक मार्शल द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उक्त व्यक्तियों को रोका गया तो उनमें से एक व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य माननीय सदस्यगण के साथ सभा मण्डप में जबरदस्ती चला गया। मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात विधान सभा रक्षकों से पूछने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जब माननीय मुख्यमंत्री सभा मण्डप में आ रहे थे तथा रक्षक प्रवेश पत्रों की जाँच कर रहे थे तो उक्त श्री शेर सिंह रावत आदि को श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, माननीय विधायक जी द्वारा इशारा कर बुलाया गया तो वह भागकर अन्दर की ओर आ गये, उनके पीछे-पीछे मुख्य द्वार पर तैनात श्री सन्तान सिंह चौहान, रक्षक इन्हें रोकने के लिए वहाँ पहुँचे। श्री शेर सिंह रावत तथा श्री अजीत सिंह कण्डारी को इस समय मार्शल कार्यालय में विधान सभा रक्षकों की अभिरक्षा में बैठाया गया है।

माननीय प्रीतम सिंह द्वारा जो जिज्ञासा व्यक्त की गयी थी, उसके सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आयी है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)-

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी ने इस सदन की, सभा मण्डप की सुरक्षा और गरिमा और माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में जो व्यवस्था का प्रश्न इस सदन के सम्मुख उठाया था, निश्चित रूप से यह एक बहुत गम्भीर बात है, क्योंकि आज जिस तरह से पूरे देश में जो वी0आई0पी0 संस्थान हैं, प्रमुख लोगों की सुरक्षा को, पार्लियामेंट को लगातार धमकियाँ मिल रही हैं और कुछ वर्ष पहले देश की पार्लियामेंट पर आतंकवादियों द्वारा हमला भी किया गया और मुम्बई में बम विस्फोट हुआ और पूरे देश में इस तरह की घटनायें घटित हो रही हैं, उस दृष्टिकोण से यह निश्चित रूप से एक गम्भीर घटना है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मार्शल की रिपोर्ट को माननीय सदन के सम्मुख रखा गया है, उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, सुनने के बाद निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति इस सदन में, सभा मण्डप में प्रवेश कर गये थे, क्योंकि मैंने स्वयं भी उनको प्रवेश करते हुये देखा था, तो मैं सोचने लगा कि मैं इन माननीय विधायक को पहचान नहीं पा रहा हूँ, फिर मैंने सोचा कि ये विकासनगर के विधायक हो सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें नहीं पहचानता था।

तो जब तक मैं यह सोच ही रहा था कि यह कौन व्यक्ति अन्दर आ गया तो तब तक मार्शल उन्हें बाहर ले जाने लगे। जिस तरह से सारा घटनाक्रम घटित हुआ, जिसका उल्लेख माननीय अध्यक्ष जी ने किया, उससे लगता है कि यह जानबूझकर की गई गलती नहीं है। यह अज्ञानतावश हो गया है, क्योंकि जैसा मार्शल की रिपोर्ट में भी उल्लेख है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि.....

(माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी द्वारा कुछ कहे जाने पर)

माननीय गणेश जोशी जी, आप लोग हर चीज को हँसी–मजाक का विषय न बनायें, जो चीज मजाक की हो, उस पर तो मजाक करना सही है, लेकिन जब सदन में गम्भीर विषय चल रहा हो, तो गम्भीर हो जाया करिये।

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि यह परम्परा भी है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी इस तरह की घटनायें घटित हुई और हमेशा माननीय सदन ने सहृदयता का परिचय दिया है और ऐसा कृत्य करने वालों को माफ किया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अज्ञानतावश, भूलवश यह गलती की है, उनको यह सदन माफ कर दे।

श्री अध्यक्ष–

अभी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उन सबको यही प्रतीत होता है कि इन व्यक्तियों की सभा मण्डप की लॉबी में तथा सभा मण्डप में प्रवेश करने के पीछे कोई कदाशयता नहीं थी। भ्रमवश वे सभा मण्डप में प्रवेश कर गये, तथापि सदन की या माननीय सदस्यगण की सुरक्षा में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मैं अपेक्षा करूँगा कि भविष्य में सभा मण्डप की लॉबी और सभा–मण्डप में प्रवेश हेतु जाँच हेतु सख्ती की जायेगी और इस सम्बन्ध में हमने एक प्रस्ताव पूर्व में भी पारित किया है कि माननीय सदस्यों को जो प्रवेश पत्र जारी किया गये हैं, परन्तु उनके साथ अन्य आइडेंटिटी भी उसमें जरूरी रहेगी। इसका सख्ती से पालन किया जायेगा।

और वर्तमान परिस्थितियों में जब इन व्यक्तियों की कोई ऐसी मंशा नहीं प्रतीत होती है और मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में सदन की अगर राय हो, तो जो भी राय हो, उससे मैं अपने आपको सहमत करूँगा।

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात कहना चाहूँगा । माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि इस रिपोर्ट में हमारे एक साथी विधायक का इशारा करने की जो बात आयी है, मैं ये चाहूँगा कि माननीय विधायक से अपनी सच्चाई में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई आवश्यकता नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा आपसे अनुरोध किया जा चुका है श्रीमन्, जैसा कि प्रथम दृष्टया मार्शल द्वारा दी गयी इस रिपोर्ट, जो आपके आदेश के माध्यम से दी गयी, यहाँ पर सदन के समक्ष उपस्थित की गयी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूलवश त्रुटिवश अंदर उन्होंने प्रवेश किया है और उनकी कोई मंशा ऐसी नहीं थी और आपने निश्चित रूप से सदाशयता का परिचय देते हुए उनको क्षमादान प्रदान किया है और यही अनुरोध करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ।

श्री शहजाद–

मान्यवर, सभी इससे सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष–

उन्हें रिहा कर दिया जाय, जिन्हें अपनी अभिरक्षा में रखा है, उन्हें रिहा कर दिया जाय।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश, दूसरी श्री हरिदास, तीसरी श्री यशपाल बेनाम, चौथी सूचना हाजी तस्लीम अहमद, पाँचवी श्री केदार सिंह रावत, छठी श्री किशोर उपाध्याय, सातवीं श्री पुष्पेश त्रिपाठी, आठवीं श्री मनोज तिवारी, की कुल आठ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और क्योंकि आज सदन का अंतिम दिन है, इसलिए इन सभी सूचनाओं पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय की भांति उत्तराखण्ड सचिवालय में भी सहायक समीक्षा अधिकारियों के संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान को लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2865/बीस–1–ई–यू0ओ0 43/09, दिनांक 27 नवम्बर, 2009 द्वारा वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति(2008) के आठवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के आधार पर कतिपय अन्य पदों के अतिरिक्त सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत कार्मिकों का वेतनमान रू0 4500–7000 के स्थान पर रू0 5000–8000 का उच्चीकृत वेतनमान दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी कर पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 कतिपय शर्तों के अधीन तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य किया गया है।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2– वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार उत्तराखण्ड सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत कार्मिकों को वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800, वेतन बैंड–1 दिनाँक 1.1.2006 से अनुमन्य किया गया है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत सहायक समीक्षा अधिकारी के वेतनमान संशोधित/उच्चीकृत किये जाने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सचिवालय में कार्यरत सहायक समीक्षा अधिकारियों से उत्तर प्रदेश सचिवालय की भाँति वेतनमान संशोधित/उच्चीकृत किये जाने हेतु प्राप्त प्रत्यावेदन दिनाँक 03–12–09 का परीक्षण कराया जा रहा है।]

राज्य के प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0) जवानों की विभिन्न समस्याओं एवं नया उत्तराखण्ड पी0आर0डी0 एक्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिदास, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[प्रान्तीय रक्षक दल एक्ट, 1948 में निर्मित किया गया था। यह एक्ट पुराना हो गया है। एक्ट में संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में परीक्षण हेतु निदेशालय स्तर पर 07 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें विभागीय प्रतिनिधि के साथ ही प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों के 03 प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।

प्रान्तीय रक्षक दल एक स्वयंसेवी एवं अवैतनिक संगठन है। वर्तमान में कुल 5793 सक्रिय स्वयं सेवक हैं। विभाग द्वारा इन्हें निरन्तर ड्यूटी प्रदान किये जाने हेतु प्रयास किया जाता है। वर्ष, 2007–08 में 2416, वर्ष, 2008–09 में 3377 एवं वर्ष, 2009–10 में अब तक 3393 स्वयं सेवकों को रोजगार/ड्यूटी उपलब्ध करायी जा चुकी है। विभाग द्वारा न केवल विभागीय ड्यूटी स्वयं सेवकों को प्रदान की जाती है, वरन् गैर विभागीय ड्यूटी हेतु भी प्रयास किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कुम्भ मेला के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न जनपदों को पुलिस सहायतार्थ कुल 745 स्वयं सेवक को योजित किया गया है। विभाग द्वारा 720 अनुसूचित जाति के स्वयं सेवकों के व्यक्तित्व का विकास एवं प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।

प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों को ड्यूटी पर ही ड्यूटी भत्तों का भुगतान किया जाता है। दिसम्बर, 2006 में निर्धारित ड्यूटी भत्ता रू0 100/– प्रतिदिन को बढ़ाकर दिनांक 30–09–08 से रू0 120/– प्रतिदिन किया गया है। ड्यूटी भत्ते का निर्धारण होमगार्ड्स जैसे–स्वयंसेवी संगठनों के अनुरूप ही निर्धारित किया गया है।

प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों के कल्याण हेतु प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण कोष की स्थापना की गयी है। इस कोष के माध्यम से प्रान्तीय रक्षक दल के सदस्यों को ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु, शारीरिक विकलांगता अथवा अक्षमता की स्थिति में उनके

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिवार/आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

साम्प्रदायिक दंगों के दौरान मृत्यु होने की दशा में।	रू0 1.00 लाख।
विशेष जोखिम वाली ड्यूटी (चुनाव, कानून तथा दैवीय आपदा) के दौरान मृत्यु की दशा में।	रू0 75 हजार।
सामान्य ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में।	रू0 50 हजार।
उपरोक्त श्रेणियों के सदस्यों की स्थायी अपंगता की दशा में उक्त श्रेणी के लिए अनुमन्य धनराशि की आधी धनराशि तथा गम्भीर रूप से घायल होने पर चौथाई अनुग्रह राशि।	
ड्यूटी/प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार की विपत्ति की दशा में एक बार अधिकतम रू0 5000/- की वित्तीय सहायता दिए जाने का प्राविधान है।	

कल्याण कोष से इस वर्ष 04 तथा अब तक कुल 05 स्वयं सेवकों के आश्रितों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिसमें से 03 आश्रितों को स्वयं सेवक की मृत्यु की दशा में रू0 50-50 हजार एवं 02 स्वयं सेवकों को चोटिल होने की दशा में रू0 5-5 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों के विभिन्न समस्याओं की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह के अन्तिम मंगलवार का दिन नियत किया गया है। इस दिन समस्याग्रस्त स्वयं सेवक विभागाध्यक्ष के समक्ष अपनी समस्या रखते हैं, तथा यथा संभव समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाता है। इसी प्रकार जनपद स्तर पर जिला युवा कल्याण अधिकारी एवं प्रान्तीय स्वयं सेवकों की समस्याओं की सुनवायी हेतु तिथि निर्धारण हेतु निर्देशित किया जा चुका है।]

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम जन–गण–मन के लिए खडे होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन अधिनायक जय हे।

भारत–भाग्य–विधाता।।

पंजाब–सिन्धु–गुजरात–मराठा

द्राविड़–उत्कल–बंग।

विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,

उच्छल–जलधि–तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे,

भारत–भाग्य–विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही सायं 07 बजकर 10 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून, महेश चन्द्र

दिनांक: 24 दिसम्बर, 2009 सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी "क"

(देखिए अल्पसूचित प्रश्न सं0–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–4 पर)

(देखिए अल्पसूचित प्रश्न सं0–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–4 पर)

कुम्भ मेला–2010, हरिद्वार की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत स्थाई निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति (दिसम्बर, 15–12–2009 तक)

क्र0 सं0	कार्यदायी विभाग/योजना का नाम	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि (लाख रु0 में)	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि (लाख रु0 में)	थर्ड पार्टी क्वालिटी ऐश्योरेन्स हेतु फर्म	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
	सिंचाई खण्ड हरिद्वार।				
1.	दक्ष मंदिर घाट के सामने दूसरी ओर स्केप चैनल के बायें किनारे पर घाट निर्माण।	255.33	255.33	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
2.	बैरागी कैम्प स्थित मायापुर स्केप चैनल के बायें किनारे पर आयरिश पुल से सतीघाट तक घाट निर्माण।	412.43	412.43	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
3.	निरंजनी अखाड़े के सामने गणेश घाट के प्लेटफार्म को ऊँचा करके पक्के घाट का निर्माण।	240.04	240.04	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
4.	मालवीयद्वीप को सुभाष घाट से जोड़ने हेतु नाई सोता के निकट स्थाई सेतु का निर्माण।	58.63	58.63	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
5.	कनखल स्थित शीतला माता मन्दिर के प्रांगण एवं घाट का जीर्णोद्धार।	25.02	25.02	टी0यू0वी0 एस0यू0डी0, नई दिल्ली	कार्य पूर्ण
6.	कनखल स्थित श्मशान घाट का नवीनीकरण कार्य	6.44	6.44	टी0यू0वी0 एस0यू0डी0, नई दिल्ली	कार्य पूर्ण
7.	दक्ष मंदिर पर टूटी हुई रैलिंग/पोल को बदलने कार्य।	3.59	3.59	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
8.	बैरागी कैम्प स्थित सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (बैरागी कैम्प में आयरिश ब्रिज से गौशाला तक)	66.88	66.88	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
9.	रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में ललतारी पुल से गऊघाट पुल तक सी0सी0 सड़क का सुधार कार्य।	14.39	14.39	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
10.	हरिद्वार में गंगा कैनाल पर ललतारी पुल के डाउन स्ट्रीम में धोबी घाट पर निर्माण कार्य।	32.22	32.22	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
11.	आपूर्ति धारा कनखल स्केप एवं मुख्य नहर पर पुल जटवाड़ा तक बने घाटों की मरम्मत कार्य।	27.82	27.82	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
12.	हरिद्वार में नहर की पटरी पर गौरीशंकर मंदिर से नजीबाबाद मार्ग के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	72.56	72.56	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
13.	गंगा नहर के दायें किनारे पर खन्ना नगर के समीप घाट निर्माण कार्य	52.86	52.86	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
14.	मायापुर ऐस्केप चैनल के दाहिने किनारे पर महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी के निकट घाट निर्माण।	12.82	12.82	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
15.	हरकी पैड़ी ब्रह्मकुण्ड के तली में सीमेन्ट बैड कंक्रीट को तोड़ने तथा उसके निस्तारण का कार्य।	4.61	4.61	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
16.	रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में अलकनंदा होटल से मेला नियंत्रण भवन तक अखाड़ा मार्ग पर सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	39.19	39.19	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
17.	राजघाट, कनखल का नवीनीकरण कार्य।	16.86	16.86	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
18.	हरिद्वार में गुरू गोलवलकर घाट की टूटी हुई रेलिंग एवं पोल की मरम्मत।	14.84	14.84	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
19.	हरिद्वार में मायापुर स्कैप चैनल के बायें तट पर बलीकरण पाठशाला के सामने घाट का निर्माण।	60.59	60.59	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
20.	कनखल शमशान घाट के सामने स्कैप चैनल के डाइवर्जन पर बैड बार के निर्माण हेतु जी.आई.वायर क्रेट बिछाना।	11.04	11.04	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
21.	हरिद्वार में कुम्भ मेला क्षेत्र में विभिन्न घाटों पर एम.एस. चैन लगाना और काई हटाना।	2.03	2.03	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
22.	हरिद्वार में श्री पायलट बाबा आश्रम के समीप गंगा जलधारा के दाहिने किनारे पर घाट निर्माण कार्य।	18.73	18.73	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
23.	स्नान घाट पर गंगा जलधारा को मोड़ने हेतु मायापुर स्कैप चैनल की रिवेकिंग	25.06	25.06	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
24.	राष्ट्रीय राजमार्ग से हरकी पैड़ी तक 03 नग सड़कों का निर्माण कार्य।	35.60	35.60	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
	यांत्रिक उपकरण एवं भण्डार खण्ड, सिंचाई विभाग, देहरादून				
25.	ऋषिकेश में चन्द्रभागा नदी के किनारे संयुक्त बस स्टैण्ड से एन.एच.–58 तक निर्मित बंधे का सुधार एवं बंधे सड़क का निर्माण का कार्य।	100.70	100.70	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
	पावर हाउस निर्माण खण्ड, सिंचाई विभाग, ऋषिकेश।				
26.	चीला–बैराज मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत कार्य।	37.55	37.55	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
	पेयजल निगम हरिद्वार।				
27.	कुम्भ मेला के अस्थायी सैक्टरों की पेयजल व्यवस्था हेतु 5 नग अन्तः स्रोत कूपों का निर्माण।	546.39	546.39	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
28.	कुम्भ मेला की स्थायी पेयजल व्यवस्था हेतु 2 नग नलकूपों का निर्माण	120.90	120.90	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
29.	कुम्भ मेला की स्थायी पेयजल व्यवस्था हेतु 4 अवर जलाशयों का निर्माण एवं तत्सम्बिन्धित कार्य।	623.70	623.70	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
30.	हरिद्वार में गौरीशंकर सैक्टर की अस्थायी पेयजल व्यवस्था हेतु 01 नग अर्द्ध स्थाई अन्तः स्रोत कूप का निर्माण कार्य।	52.38	52.38	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
	गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई।				
31.	कुम्भ मेला क्षेत्र में ब्रांच सीवर मोपतवाला राइजिंग मैन को बिछाने का कार्य।	477.73	477.73	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
32.	ज्वालापुर व कनखल क्षेत्र की सीवर राइजिंग मैन के बदलने का कार्य।	292.95	292.95	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
33.	मोपतवाला क्षेत्र में ट्रंक सीवर के सुदृढ़ीकरण कार्य। (आनन्दोत्सव आश्रम से मोपतवाला)	702.57	702.57	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
34.	सीवरेज व्यवस्था के रखरखाव हेतु मशीनरी एवं उपकरण का प्रबन्ध।	109.96	109.96	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
	पावर कारपोरेशन।				
35.	ऋषिकेश क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु स्थायी कार्य।	53.73	53.73		कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
36.	मुनिकीरेती क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण हेतु स्थायी कार्य।	109.25	109.25	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
	लोक निर्माण विभाग।				
37.	हरिद्वार रुड़की राजमार्ग एवं लक्सर मार्ग लिंक मार्ग सीतापुर–जमालपुर–जियापोता मार्ग का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण (ल0 5.50 किमी.)।	152.47	152.47	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
38.	हिल बाईपास मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य। (6.50 किमी.)	346.33	346.33	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
39.	मंगलौर लंढौरा मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार का कार्य। (लम्बाई 6.00 किमी.	390.00	390.00	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
40.	बैड़पुर चौराहे से धनौरी डिग्री कॉलेज (भगवानपुर–इमली खेड़ा) तक मार्ग एवं सेतु निर्माण।	1211.99	1211.99	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
41.	मुनिकीरेती क्षेत्र में विट्ठल आश्रम एवं रा.मार्ग संख्या–58 के मिलान पर काठ की पुलिया के ऊपर की ओर नाले पर पार्किंग का निर्माण 75 x30 मीटर।	103.88	103.88	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
42.	जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवानन्द झूला पुल पहुंच मार्ग की मरम्मत का कार्य	6.62	6.62	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
43.	सप्तऋषि आश्रम मार्ग एवं आर.टी.ओ. चौक से खड़खड़ी (वाया पावन धाम) मार्ग का निर्माण कार्य।	681.44	681.44	टी0यू0वी0एस0यू0डी0 नई दिल्ली	कार्य पूर्ण
44.	लक्ष्मण झूला एवं शिवानंद झूला पुलों की रंगाई–पुताई का कार्य।	10.82	10.82	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
45.	हरिद्वार में सूखी नदी पर श्मशान घाट से पावनधाम की ओर जाने के लिए कॉजवे का निर्माण।	16.00	16.00	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
46.	हरिद्वार में एन.एच.–58 से भीमगोड़ा लिंक मार्ग का सुधार कार्य	21.37	21.37	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
47.	हरिद्वार में चंद्राचार्य चौक से एन.एच.–58 तक लिंक मार्ग का सुधार कार्य।	15.56	15.56	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
48.	ऋषिकुल तिराहे से एन.एच.–58 तक लिंक मार्ग का सुधार कार्य।	10.38	10.38	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
49.	हरिद्वार में शंकराचार्य चौक से सिंहद्वार (बाबा कनखल) मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं सुधार कार्य।	443.41	443.41	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
50.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 के किमी0 207 से भीमगोड़ा तक पंतद्वीप पार्किंग हेतु अंडरपास ब्रिज का निर्माण कार्य।	42.78	40.00	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
51.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 में किमी. 209 में पावनधाम से सन्तऋषि आश्रम तक पैदल यात्रियों के जाने हेतु उपरगामी सेतु का निर्माण।	36.24	36.24	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
52.	हरिद्वार में दिल्ली नीतिपाथ मार्ग से हरकी पैड़ी से शिवमूर्ति से देशरक्षक, देशरक्षक से जगजीतपुर तक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा सीवर लाईन डालने के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत का कार्य।	52.42	52.42	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
53.	सर्वानन्द घाट मार्ग के समीप अण्डर पास के लिए पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	15.33	15.33	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
54.	पशुलोक बैराज मार्ग का चौड़ीकरण तथा पशुलोक से राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 पर एस0डी0बी0सी0 कार्य।	234.94	100.00	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
55.	जनपद टिहरी गढ़वाल के तपोवन क्षेत्र में लक्ष्मणझूला सम्पर्क मार्ग के किमी. 0.00 से किमी. 1.20 तक एस0डी0बी0सी0 से नवीनीकरण का कार्य।	21.58	21.58	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
56.	जनपद टिहरी गढ़वाल के मुनि–की–रेती क्षेत्र में बिट्ठलदास आश्रम मोटर मार्ग के किमी. 0.00 से किमी. 2.75 तक एस0डी0बी0सी0 से नवीनीकरण का कार्य।	54.39	54.39	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
57.	ज्वालापुर–ललताराव मार्ग एवं भगत सिंह चौक से एन0एच0–58 तक पेयजल निगम द्वारा की गई रोड कटिंग की मरम्मत का कार्य।	61.91	30.00	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
58.	जनपद टिहरी गढ़वाल में मुनि–की–रेती क्षेत्र में काठ की पुलिया के पास वाहन पार्किंग निर्माण कार्य के अन्तर्गत वाहन पार्किंग हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य।	14.05	14.05	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
	पुलिस विभाग।				
59.	पुलिस लाईन रोशनाबाद में 80 व्यक्तियों हेतु बैरक का निर्माण।	109.52	109.52	टी0यू0वी0एस0यू0डी0 नई दिल्ली	कार्य पूर्ण
60.	कुम्भ मेला–2010 के अन्तर्गत दो पैरा मिलेट्री फोर्स के लिए 40वीं बटालियन पी.ए.सी. हरिद्वार में 50 व्यक्तियों हेतु बैरक का निर्माण।	242.01	242.01	टी0यू0वी0एस0यू0डी0 नई दिल्ली	कार्य पूर्ण
61.	थाना रायवाला में 50 व्यक्तियों हेतु बैरक का निर्माण।	73.21	73.21	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
62.	पुलिस चौकी ढालवाला, थाना मुनिकीरेती में 60 व्यक्तियों हेतु बैरक का निर्माण।	76.34	40.00	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
63.	थाना लक्ष्मणझूला में जल पुलिस चौकी एवं 50 व्यक्तियों हेतु बैरक का निर्माण।	96.03	96.03	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
	शक्ति नहर खण्ड, हरिद्वार।				
64.	कनखल सैक्टर में माँ योग शक्ति सड़क का निर्माण कार्य।	28.88	15.00	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
	नगर पंचायत, मुनिकीरेती।				
65.	मुनिकीरेती में स्व0 श्री राम प्रसाद बहुगुणा मार्ग पर श्री कालूराम के मकान से पुलिया तक सड़क निर्माण।	3.63	3.63	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
66.	दयानन्द आश्रम मार्ग से गंगा नदी तक सड़क निर्माण कार्य।	7.50	7.50	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
	नगर पालिका परिषद्, हरिद्वार।				
67.	हरिद्वार में श्री नाथूराम के मकान से निरंजनी अखाड़े (भाटिया भवन रोड) तक सी0सी0 सड़क निर्माण।	6.45	6.45	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
	नगर पालिका परिषद, रूड़की।				
68.	नगर पालिका कार्यालय के सामने से मेन बाजार होते हुये मछली बाजार तक बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 कार्य।	12.04	5.00	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
	नगर पंचायत, झबरेड़ा।				
69.	मौहल्ला तेलियान में पुलिया से रियासत के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण।	4.77	4.77	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
70.	मौहल्ला छावनी में काली मन्दिर पुल से रविदास मन्दिर तक सी0सी0 सड़क निर्माण।	21.94	21.94	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
71.	मौहल्ला नई मण्डी में प्रह्लाद के कांटे से बिजेन्द्र के मकान जटौल रोड तक सी०सी० सड़क निर्माण।	10.42	10.42	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण
	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, हरिद्वार।				
72.	हरिद्वार में रामलीला भवन वाले क्षेत्र में सी०सी० मार्ग एवं नालियों का निर्माण कार्य।	4.42	4.42	श्री राम इन्स्टीट्यूट, दिल्ली	कार्य पूर्ण

नत्थी "ख"

(देखिये स्थगित अतारांकित प्रश्न सं0–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 25 पर)

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या–1 का संलग्नक

क्र0 सं0	जनपद	पंचायत स्तर/बैठक की तिथि	विभाग/विभागीय अधिकारी जिनके द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया	विभागीय कार्यवाही
1	2	3	4	5
1	हरिद्वार	क्षेत्र पंचायत/दिनांक 6–6–2009	1–डी0एफ0ओ0, हरिद्वार जिला, 2–समाज कल्याण अधिकारी, 3–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, 4–प्रबन्धक, दुग्ध विकास, 5–मुख्य एवं कृषि रक्षा अधिकारी, 6–सहायक निदेशक, मत्स्य, 7–परियोजना प्रबन्धक, स्वजल, 8–परियोजना अधिकारी, उरेडा 9–अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई 10–महाप्रबन्धक, जिला केन्द्र, रूड़की हरिद्वार।	अनुपस्थित अधिकारियों के विरूद्ध जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 8–7–2009 के द्वारा चेतावनी आदेश जारी किया गया है।
2	पौड़ी गढ़वाल	क्षेत्र पंचायत, थलीसैंण/दिनांक 30–06–2009	1–जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी, 2–परियोजना अधिकारी, उरेडा, 3–अधिशासी अभियन्ता, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, 4–अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, श्रीनगर, 5–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौड़ी, 6–जिला बचत अधिकारी, 7–ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक, 8–खण्ड शिक्षा अधिकारी थैलीसैंण, गढ़वाल।	मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुपस्थिति अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आगामी बैठक में नियमित रूप से प्रतिभाग हेतु निर्देशित किया गया है।
3	रूद्रप्रयाग	जिला पंचायत, /दिनांक 12–8–2009	1–अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग, 2–अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, 3–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गुप्तकाशी, 4–जिला पंचायतराज अधिकारी, रूद्रप्रयाग, 5–जिला कार्यक्रम अधिकारी, 6–परियोजना निदेशक, उरेडा, 7–जिला पूर्ति अधिकारी, रूद्रप्रयाग।	जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग के पत्र दिनांक 27–07–09 के द्वारा चेतावनी तथा भविष्य में पंचायतों की बैठकों में नियमित रूप से प्रतिभाग हेतु निर्देशित किया गया है।
4	नैनीताल	क–जिला पंचायत/दिनांक 19–11–2009	1–वन विभाग।	अपर मुख्य अधिकारी, नैनीताल द्वारा दिनांक 05–12–2009 के पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग के उक्त अधिकारी द्वारा जिला पंचायत की बैठक में प्रतिभाग न किये जाने के कारण निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया।

1	2	3	4	5
		ख–क्षेत्र पंचायत/धारी/दिनाँक	2–वन विभाग	अपर मुख्य अधिकारी, नैनीताल द्वारा दिनाँक 05–12–2009 के पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग के उक्त अधिकारी द्वारा क्षेत्र पंचायत की बैठक में प्रतिभाग न किये जाने के कारण निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया। वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, नैनीताल ने अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 25–09–2009 के द्वारा सम्बन्धित का वेतन रोकने हेतु कार्यवाही की गई है।
5	बागेश्वर	क्षेत्र पंचायत, कपकोट	1–पी0एम0जी0एस0वाई0 2–जिलापूर्ति अधिकारी, बागेश्वर।	खण्ड विकास अधिकारी, कपकोट के पत्र दिनाँक 01–08–2009 द्वारा उक्त पी0एम0जी0एस0वाई0 सम्बन्धित अभियन्ता तथा जिलापूर्ति अधिकारी, बागेश्वर को चेतावनी आदेश जारी किया गया।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 वि0स0/416–05–02–2013–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।